CONTENTS

Fifteenth Series, Vol.VI Third Session, 2009/1931 (Saka)
No.16, Friday, December 11, 2009/Agrahayana 20, 1931(Saka)

SUBJECT	PAGES
REFERENCE BY THE SPEAKER	**1**
(i) Eighth anniversary of the terrorist attack on the Parliament House on 13th December, 2001	
(ii) Birthday Wishes to Leader of the House	485
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
***Starred Question Nos.321, 324 to 326 and 328**	**3-42**
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.322, 323, 327 and 329 to 340	
Unstarred Question Nos.3540 to 3769	**43-484**

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **486**

STATEMENT BY MINISTER **498-499**
Status of implementation of the recommendations contained in the 73rd and 79th Reports of Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2008-09) and Counterfeit Currency Notes in circulation, respectively, pertaining to the Department of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and Disinvestment, Ministry of Finance
Shri Namo Narain Meena

BUSINESS OF THE HOUSE **500-504**

MOTION RE: NINTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE **505**

COMPETITION (AMENDMENT) BILL, 2009

STATEMENT RE: COMPETITION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2009 **506**

Shri Salman Khursheed

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE **507-518**
Need to confer the status of 'Heritage City' on Amritsar by shifting it from Category 'B' to Category 'C' grant pattern of the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM)

Shri Navjot Singh Sidhu 507, 510-514

Prof. Saugata Roy 507-509, 516-517

Shri V. Narayanasamy 514-516

Shrimati Sushma Swaraj 517-518

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS-(GENERAL), 2009-10 **521-537**

APPROPRIATION (No. 4) BILL, 2009 **538**

Motion to Consider 538

Clauses 2, 3 and 1 539

Motion to Pass 539

JHARKHAND CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) BILL, 2009 **540-575**

AND

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – (JHARKHAND), 2009-10

Motion to Consider 540-575

Shri Namo Narain Meena 540-541

569-571

Shri Yashwant Sinha 542-552

Shri Jagdambika Pal 553-558

Shri Shailendra Kumar 559-560

Dr. Raghuvansh Prasad Singh 561-563

Shri Vijay Bahadur Singh 564-567

Motion to Consider 571

Clauses 2, 3 and 1 572

Motion to Pass 572

JHARKHAND APPROPRIATION (No.3) BILL, 2009 **574**

Motion to Consider 574

Clauses 2, 3 and 1 575

Motion to Pass 575

MOTION RE: THIRD REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS **576**

RESOLUTION RE: STEPS TO ENSURE AVAILABILITY OF DRINKING WATER IN THE COUNTRY **577-599**

Shri K.C. Singh 'Baba' 577-579

Shri Manohar Tirkey 580-581

Shri Kodikunnil Suresh 582-583

Dr. Mirza Mehboob Beg 584-585

Shri Vijay Bahadur Singh 586-589

Shri Prem Das 589

Shri Arjun Ram Meghwal 590-591

Dr. Tarun Mandal 592

Kumari Agatha Sangma 593-598

Shri Satpal Maharaj 599

Resolution – withdrawn 599

RESOLUTION RE: SPECIAL ECONOMIC DEVELOPMENT PACKAGE FOR THE EASTERN DISTRICTS OF THE STATE OF UTTAR PRADESH **600-628**

Rajkumari Ratna Singh 600-607

Shri Hukumdeo Narayan Yadav 608-613

Shri Shailendra Kumar 614-620

Shri Dara Singh Chauhan 621-626

Shri Harsh Vardhan 627-628

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 632

Member-wise Index to Unstarred Questions 633-636

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 637

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 638

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Franciso Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, December 11, 2009/Agrahayana 20, 1931 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

REFERENCE BY THE SPEAKER

(i) Eighth anniversary of the terrorist attack on the Parliament House on 13th December, 2001

MADAM SPEAKER : Hon. Members, it is with great solemnity that we recall the tragic incident of 13 December, 2001 when Parliament became the target of a terrorist attack.

The cowardly attack was foiled by the alertness displayed by our security forces guarding the Parliament Complex, but in the process five security personnel of Delhi Police; one Mahila Constable of the Central Reserve Police Force and two Security Assistants of Parliament Security Service laid down their lives. A CPWD gardener also lost his life in the attack. A journalist representing the electronic media who was injured during the attack, succumbed later to injuries.

On the eve of the eighth anniversary of this tragic incident, the House pays homage to the supreme sacrifice made by our valiant security personnel, reiterates the commitment of the nation to be ever vigilant towards the threats to the country and its institutions and to the need for making all efforts to combat the menace of terrorism. Let us rededicate ourselves once again to protecting the unity, integrity and sovereignty of our country.

The House may now stand in silence for a short while as a tribute to the memory of the departed.

11.02 hrs.

The Members then stood in silence for a short while.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER : Question Hour – Q. No. 321.

… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR) : Madam Speaker, the Police is firing indiscriminately at Salbani in West Midnapur district which caused injury to six persons and death of one person. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER : I will give you time in 'Zero Hour'. Please raise it in the 'Zero Hour.'

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Thank you.

(Q. No. 321)

श्री मंगनी लाल मंडल : अध्यक्ष महोदया, सरकार का जो उत्तर है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप लोग शांति बनाये रखिए।

...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : उस उत्तर में वालियाथन कमेटी की अनुशंसाओं का उल्लेख संक्षेप में किया गया है, जिसमें सिफारिश संख्या 21 में कहा गया है, जो एम्स के लिए सबसे विवादित मुद्दा रहा है। ...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): आप कौन सा नम्बर बोल रहे हैं?

श्री मंगनी लाल मंडल : मैं सिफारिश संख्या 21 के बारे में बोल रहा हूं।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: आपने वालियाथन कमेटी का कौन सा नम्बर बोला है? ...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : आपने इसमें वालियाथन कमेटी की जो अनुशंसाएं लगायी हैं, उसे मैं पढ़ रहा हूं। आपने कमेटी की रिपोर्ट ले नहीं की है, किसी माननीय सदस्य को नहीं मिली है। उत्तर के साथ आपने संक्षिप्त ब्यौरा लगाया है। मैं उसका आइटम नम्बर 21, जो रिकमैंडेशन के मामले में है, मैं उसे पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है कि यह सबसे बड़ा विवादित मुद्दा है, जिसके चलते पिछले चार वर्षो में एम्स एक विवाद स्थल रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्रताड़ित किया गया। उनकी नियुक्तियों में जो बैकलॉग है, जिसके बारे में कई बार निर्णय हुआ कि आरक्षण के रोस्टर के आधार पर स्पैशल ड्राइव चलाया जाए, विशेष अभियान चलाया जाए। वह चलाने के बाद विज्ञापन भी हुआ, लेकिन 4.11.2008 को जो विज्ञापन हुआ था, उसे समाप्त कर दिया गया। यह कहा गया कि फैकल्टी एसोसिएशन का बड़ा भारी प्रतिरोध है। लेकिन सरकार ने उसे मान लिया है। इसको वहां की शासी निकाय की मीटिंग में 13/08/2008 और 18/08/2008 को निर्णय लिया गया कि सी ग्रुप और डी ग्रुप में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का बैकलॉग है, उसको क्लियर किया जाएगा विशेष अभियान के द्वारा। सरकार ने जो उत्तर दिया है, इसमें जो विरोध हुआ था और जो वालियाथन कमेटी ने कहा है कि बाहर से प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से आप इन वर्गों की नियुक्ति कीजिए और आरक्षण के लाभ से इन वर्गों को वंचित कर दीजिए। आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था है। वर्ष 1956 में एम्स को अधिनियमित किया गया। अगर आप प्राइवेट एजेंसी से हमारे आरक्षण के विशेषाधिकार को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, तो वह अनर्थ होगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर सहमत है कि एम्स में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बैकवर्ड के लिए नियुक्ति में जो

बैकलॉग है, जिसके लिए नियुक्तियां होने वाली हैं, उनको स्थगित करके प्राइवेट एजेंसी से नियुक्तियां ली जाएं ताकि रिजर्वेशन पॉलिसी बाधित हो?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: महोदया, जहां तक वालियाथन कमेटी की बात है, बहुत से सब्जेक्ट्स के बारे में उन्होंने डील किया है, जिनके लिए पूरे एक्ट में अमेंडमेंट्स लानी पड़ेंगी, इस तरह की उनकी सात सिफारिशात हैं और 31 ऐसी सिफारिशात हैं जिनको एक्ट में लाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत सारी सिफारिशात दी हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक, रिपोर्ट सब्मिट होने के बाद, कुछ ही मुद्दों को लिया जा रहा है। उसमें 31 वे मुद्दे हैं जिनके लिए एक्ट में कोई तब्दीली नहीं करनी है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको अभी फर्स्ट फेज में नहीं लिया जा रहा है। जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, सरकार इसको लागू करने के लिए वचनबद्ध है। जहां तक आपने कहा है कि ग्रुप-सी और डी में नियुक्ति के लिए बाहर की एजेंसी होनी चाहिए, नयी पे-कमीशन लागू होने के बाद ग्रुप-डी को ग्रुप-सी में सबमर्ज कर दिया गया है। लेकिन अब बाहर की एजेंसी उसमें नहीं होगी क्योंकि पहले सिफारिश से काम चलता था, एक आदमी बैठकर, चाहे वह डायरेक्टर लेवल पर हो या अन्य किसी व्यक्ति के स्तर पर हो, उनका सेलेक्शन होता था, लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट दी, इसी बीच में उन्होंने किसी एक व्यक्ति के द्वारा सेलेक्शन की प्रोसेस को खत्म कर दिया है और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम तैयार किया है, जिसके द्वारा रिटन एग्जाम होगा। इसमें 90 प्रतिशत नम्बर्स रिटन एग्जाम के होंगे और 10 प्रतिशत इंटरव्यु के द्वारा निर्धारित होंगे। जहां तक आरक्षण का सवाल है, जो सभी गवर्नमेंट इदारों में होगा, वह मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी होगा।...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदया, मेरे प्रश्न का क्लियर उत्तर नहीं आया है। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह ठीक नहीं है। हमको कहते हैं कि पिछली मीटिंग का हवाला दे रहे हैं। 26/11/09 को बैठक हुई है, आपने अपने उत्तर में इसका उल्लेख किया है कि 26/11/2009 को जो बैठक हुई है, उसमें जो निर्णय लिए गए हैं, उनमें से एक निर्णय यह भी है कि वर्ग ग एवं घ स्तर के पदों पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में नामी व्यवसायिक एजेंसी के जरिए भर्ती की जानी चाहिए। यह आपने मान लिया है। जब इसको मान लिया है, तो इसको कंट्राडिक्ट कीजिए कि यह अनुशंसा हम नहीं मानेंगे। हमारी जो विधिसम्मत, संविधानसम्मत व्यवस्था है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए, उनको उससे हम वंचित नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदया, जो हमारा पहला बिंदु है, उसका उत्तर आप दिलवा दीजिए, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि निजीकरण के स्वरूप को वालियाथन समिति ने प्रोत्साहित किया है। उसमें एसोचैम और फिक्की जैसे औद्योगिक घरानों की संस्था में उसे इम्पैनल करने के लिए कहा गया है ताकि धीरे-धीरे निजी भागीदारी एम्स में प्रवेश करे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या एम्स जैसी प्रतिष्ठित संस्था को, इस माध्यम से निजीकरण करने का सरकार विचार रखती है और क्या एसोचैम और फिक्की ने, वालियाथन समिति की अनुशंसा के आलोक में इम्पैनल करने का निर्णय लिया है?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने कहा कि हमने जो-जो भी रिक्मेंडेशन्स एकेडमिक कमेटी से आई हैं, नवम्बर और दिसम्बर के महीने में वे रिक्मेंडेशन्स गवर्निंग बॉडी के सामने और इंस्टीट्यूट बॉडी के सामने रखी और वहां एप्रूव हुई हैं। तमाम रिक्मेंडेशन्स एकेडमिक कमेटी, इंस्टीट्यूट बॉडी और गवर्निंग बॉडी ने क्लीयर की हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री मंगनी लाल मंडल : उसमें सी और डी ग्रूप भी है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: उसमें जो भी कमिट किया है और आप भी कह रहे हैं कि एक्सैप्ट किया है, तो जो भी एक्सैप्ट किया है उसे हम लागू करेंगे।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदया, ये रिजर्वेशन की पॉलिसी के खिलाफ है वालियाथन समिति...(व्यवधान) सी और डी ग्रूप को एक किया है...(व्यवधान) जो एससीएसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन है...(व्यवधान) ये 26.11.09 का स्वशासी निकाय ने और उसने मान लिया है कि बाहर की एजेंसी को हम नहीं ले रहे हैं। हमें आपका प्रोटैक्शन चाहिए।...(व्यवधान) उसका क्या मतलब होता है।

अध्यक्ष महोदया : आप कृपा करके बैठ जाइये। उनको उत्तर पूरा करने दीजिए। आप बीच में मत बोलिये, वे पहले ही पूरा स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: माननीय सदस्य, आपने देखा होगा कि नये कमीशन के द्वारा सी और डी ग्रूप अब एक हो गये हैं। नया आयोग जो बना है उसके हिसाब से यह हुआ है और जो भी रिजर्वेशन उनकी है उस रिजर्वेशन को लागू किया जाए, चाहे ग्रूप सी और डी एक हो गया है या अलग-अलग है। आप बताएं कि उसमें कहां यह बात आती है। ...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : अध्यक्ष महोदया, मुझे आपका प्रोटैक्शन चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: प्राइवेट एजेंसी का क्या मतलब है? प्राइवेट एजेंसी का सिलेक्शन से क्या मतलब है?

श्री मंगनी लाल मंडल: आपने जो उत्तर दिया है पहले उसे आप पढ़ लें। ...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: आज हमने आपके सामने प्रश्न रखा है कि कौनसी चीजें एक्सैप्ट हुई हैं और कौनसी नहीं हुई हैं। इसमें प्रश्न यह भी है कि क्या प्राइवेट एजेंसी के द्वारा सिलैक्शन सी और डी का होगा...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : वालियाथन कमेटी ने मर्जर किया है...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मर्जर हो या न हो, आप समझ नहीं रहे हैं, मैंने खाली आपकी जानकारी के लिए बताया है। ...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : मेरी जानकारी के लिए इनको लिखना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: ठीक है सी और डी ग्रूप का हो गया, आप जानकारी मत लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अब सी और डी ग्रूप नहीं होगा, अब एक ही होगा, मैं आपको यह बता रहा हूं। ...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल: मेरा प्रश्न यह नहीं है कि सी और डी ग्रूप रहे या नहीं रहे...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब देखिये, यह सिलसिला तो चलता रहेगा, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, what I am saying is that if there is something which requires further explanation, you may kindly call them to your office and explain it in thorough detail.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, I will reply to the second supplementary. आप हमारे पास आइये, हम आपको समझा देंगे। ...(व्यवधान) आपको भी समझा देंगे।

अध्यक्ष महोदया, जहां तक दूसरे प्रश्न की बात है, आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के निजीकरण का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने जो रिक्मेंडेशंस दी थीं, वे निजीकरण के बारे में नहीं थीं, लेकिन हमें लगता था कि निजीकरण की तरफ एक रास्ता बनाया जा रहा है इसलिए उसे आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की एकेडिमिक कमेटी, गवर्निंग कमेटी और इंस्टीट्यूट बाडी ने उसे मंजूर नहीं किया है और कहा है कि फ्यूचर में कभी होगा, लेकिन आज गरीबों के लिए पूरे देश में एक ही इलाज कराने के लिए है, जिस पर उन्हें विश्वास और भरोसा है, वह आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है। आज भी यह गरीब लोगों का अस्पताल है, लिहाजा इसे प्राइवेट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Why can you not reject such recommendations?

MADAM SPEAKER: Please take your seat.

श्री निशिकांत दुबे : महोदया, वेलियथन कमेटी बनी थी, क्योंकि एम्स में लड़ाई झगड़ा हो रहा था और प्रधानमंत्री अपने मंत्री को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वालियाथन कमेटी बनाई थी। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 2007 में पीएमओ ने इसका रिक्मेंडेशन भेजा कि इसे इम्प्लिमेंट करना है। इसमें दो ऐसे मेम्बर थे, जिन्होंने कि नोट आफ डिसेंट भेजा। निज़ाम बदलने से नीति बदल जाती है, यह बात सरकार की पहली बार पता चली है।

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री निशिकांत दुबे : महोदया, मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूं। मैं संथाल परगना से आता हूं। मंत्री जी को दो-दो पत्र मैं लिख चुका हूं। वहां के डेढ़ करोड़ लोगों के लिए एक भी अस्पताल नहीं है। कल भी मेरे जिले में आक्सीजन न मिलने की वजह से लोग मर गए हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी इस विषय में पत्र लिखा है। मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि तेंडुलकर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हमारे यहां पचास परसेंट, सत्तर परसेंट से ऊपर गरीबी है और एम्स में ज्यादातर लोग बिहार और झारखंड से आते हैं। यह वर्ष 2007 की अनुशंसा है और अभी मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि हम एम्स का निजीकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 8 सितम्बर और 26 नवम्बर को जो रिक्मेंडेशंस एक्सेप्ट की हैं, उसमें छठा रिक्मेंडेशन कहता है कि AIIMS International should establish collaboration with institutions for medical education and research; and teaching hospitals across the world to advance the cause of global partnership in health and education. The activities may involve consultancy by AIIMS faculty for specific projects; setting up new institutions for medical education or research in other countries.

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।

श्री निशिकांत दुबे : महोदया, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि पार्टनरशिप का क्या मतलब है? यदि वर्ल्ड में यह पार्टनरशिप होगी, तो देश में गरीब लोगों का जो इलाज हो रहा है, वह कहीं न कहीं प्रभावित होगा। मेरा कहना है कि एम्स की तरफ जो गरीब देख रहे हैं और यह जो छठा रिक्मेंडेशन है, क्या यह एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले ही बताया है कि छठा रिक्मेंडेशन, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, पांचवां और छठा रिक्मेंडेशन मिलाकर एक ही है - To set up and affiliate self-financing, non-profit body, namely, AIIMS International which would draw upon intellectual and professional strength of AIIMS for global partnership for training medical education. AIIMS International should establish collaboration with institutions for medical education and research; and teaching hospitals across the world to advance the cause of global partnership in health and education. The activities may involve consultancy by AIIMS faculty for specific projects; setting up new institutions for medical education or research in other countries. इसका जवाब हमने लिखा है - Accepted in principle for future.

SHRI RAJIV RANJAN SINGH *ALIAS* LALAN SINGH (MUNGER): How can you say for future?...(व्यवधान) यह तो अनर्थ हो जाएगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Why can you not reject that recommendation?

अध्यक्ष महोदया : डॉ. डोम, बसुदेव जी, आप मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : आप फ्यूचर की कैसे जिम्मेदारी ले सकते हैं? फ्यूचर की जिम्मेदारी फ्यूचर जेनरेशन लेगी, how can you take the guarantee for the future?...(व्यवधान) क्या आप फ्यूचर की गारंटी लेंगे?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : फ्यूचर की गारंटी आप नहीं लेंगे, फ्यूचर की गारंटी अगली जेनरेशन लेगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, I do not think they can speak for the future generations. They have to speak for themselves. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, क्या आपकी बात खत्म हो गई है?

…(व्यवधान)

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, I have not completed my reply. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: अगर जवाब नहीं सुनना है तो मत सुनिए।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : ये फ्यूचर की बात कैसे कह सकते हैं। एक हफ्ता बाद भी फ्यूचर होता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : AIIMS was created to provide medical treatment to the poor people. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : डॉ. डोम, आप बैठ जाइए। बसुदेव आचार्य जी, आप बैठिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : वे कह रहे हैं कि अभी पूरा उत्तर नहीं दिया है। पहले आप उत्तर सुन लें।

…(व्यवधान)

SHRI SHARAD YADAV : He has already said that the Government has accepted it in principle. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। पहले आप उत्तर सुन लीजिए उसके बाद जो रिएक्ट करना है करिए।

…(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : The Government should reject it.… (*Interruptions*)

श्री शरद यादव : ये देश का नाश करने में लगे हुए हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : पहले आप उत्तर सुन लीजिए। शरद यादव जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing should go on record. You must sit down.

*(Interruptions) ...**

अध्यक्ष महोदया : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम ने कोट किया है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हर एक गरीब के लिए एम्स बनाया था। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप बस कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह वलियाथन कमेटी की रिपोर्ट से कमर्शिएलाइज हो जाएगा, कॉरपोटेराइज हो जाएगा। फिक्की, एसोचेम के प्रतिनिधि को रखने की बात है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइए, आपकी बात पूरी हो गई है। नेता प्रतिपक्ष, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इससे गरीबों का अहित होने वाला है।...(व्यवधान) प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम ने पांच पन्नों का ज्ञापन दिया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप बैठ जाइए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : भारत में वैसे ही चिकित्सा व्यस्था की समस्या बहुत गंभीर है। देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, जो गरीब है। इनकी चिंता प्राइवेट अस्पताल आदि नहीं कर सकते हैं, कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। आज प्रश्न काल में एक-आध उत्तर ऐसा दिया गया जिससे सभी लोगों को चिंता हुई कि क्या एम्स को भी उस दिशा में लिया जा रहा है? इसी कारण यह प्रतिक्रिया हुई।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइए। आप नेता प्रतिपक्ष की बात सुनिए। वे बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

---

* Not recorded.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं चाहूंगा इस विषय पर पूरी चर्चा हो, चाहे कॉलिंग अटैंशन के रूप में हो या किसी और रूप में हो। लेकिन इसके द्वारा जो शंका पैदा हुई है उसका पूर्णतः निर्मूलन होना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: आप तो विपक्ष के नेता हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय, कृपया आप स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद यादव जी, आप बैठ जाइए। मैं समझती हूं कि सदन के सभी सदस्य इस विषय के लेकर अत्यंत चिंतित हैं। जैसा अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष का सुझाव आया है, आप नोटिस दे दीजिए। कॉलिंग अटैंशन में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Q. 322 – Shri Shivarama Gouda – Not present
Shri Rao Saheb Danve Patil – Not present.
Q. 323 – Shri Kachhadia Naranbhai – Not present.
Q. 324 – Shri Baijayant Panda.

(Q. No. 324)

SHRI BAIJAYANT PANDA : Madam Speaker, the hon. Minister, in his reply stated that an amount of almost Rs.4,500 crore has been allocated under the Jawaharlal Nehru National Solar Mission. However, I would like to bring to the hon. Minister's attention, various media reports, quoting hon. Prime Minister that much larger sums would be allocated for solar mission – in fact, it was an amount of Rs.90,000 crore which was mentioned.

This is a very important matter. Would the hon. Minister clarify this? Particularly in the light of the climate change negotiations that India is undergoing currently, solar is critical to our clean energy requirements. What is the difference that is there between the Minister's response and the Prime Minister's statement?

DR. FAROOQ ABDULLAH: There is no doubt about it. The hon. Member is quite right. The final figure that will come will be much larger than this amount of Rs.4,000 crore that is mentioned. But that is over a period; and that money will be needed up to 2030 and beyond. So, there is no difference as far as this reply and the other one goes. This amount of Rs.4,000 is to meet the present demands that will be up to 2022 and maybe, this will increase between this time and then.

We have got to do 1300 MW of solar power in three years. In these three years, 1100MW are those that are grid connected and 200 MW are those that are roof-tops, for the villages that are around the border, the poor villages like we have done in Sundarbans, after the cyclone hit them. So, this is the way we are going to go about it.

Further I would like you to hear some of these, when many of the questions would be answered; you will not ask any questions once I have read this out to you. CERC has announced preferential tariff of Rs. 18.44 per unit for solar PV power and Rs. 13.45 per unit for solar thermal power. This tariff will be paid for a period of 25 years. Zero or concessional duty is applicable on import of certain specific items. Zero Excise duty is on domestic manufacture of many solar energy devices and systems

Under the Mission three major steps are proposed: (i) create volumes which will allow domestic manufacture, (ii) support research and development to reduce material consumption and improve efficiency; and (iii) announce long term policy to purchase power. We have announced a target, as I said, of 1,100 MW grid solar power capacity by March, 2013.

My Ministry is supporting research and development on all aspects of solar energy - starting from poly silicon material, solar thermal coatings to complete solar energy systems. This will be very important to reduce the cost. One company in West Bengal is planning to set up a unit to manufacture poly silicon material in the country.

NTPC Vidyut Vyapar Nigam will purchase solar power for a period of 25 years at a fixed tariff announced by CERC.

I hope these measures will help us reduce the cost of solar power. CERC will review the costs every year and fix tariff accordingly for new projects.

I am happy to inform you that on 9th December, 2009 I have inaugurated the country's first megawatt size grid connected solar power plant at Jamuria, in Asansol district of West Bengal. This was an area which was earlier having coal power station. It has now been taken over by solar power. The plant has already generated more than 3 lakh units of electricity in about three months' time. Two more plants of 2 MW capacity each, have been set up on Karnataka, Kolar and Belgaum districts. They will add one more MW to both the plants very soon. One more plant of 1 MW will be set up in Raichur district in Karnataka. My Ministry has recently made a proposal for another 28 MW capacity solar plants in the country. I understand that many private companies are preparing project to set up more units.

SHRI BAIJAYANT PANDA : Madam, I am happy to hear that the hon. Minister is bringing his energy and enthusiasm to this very important subject. Indeed, 1300 MW of solar power represents a growth forward. However, much more needs to

be done. The Prime Minister in his statement has indicated a figure of 20,000 MW by the year 2020.

Madam, I would like to bring to the attention of the hon. Minister that the measures that he has pointed out tackle one side of the problem. The problem is that solar power while desirable is very costly to set up by some measures as much as three to five times more costly than traditional technologies like coal based technologies. So, the steps that he has mentioned address a part of the problem which is that the CERC's tariff regulations giving Rs.13 and more will then offset the cost of anybody who invests in solar power.

Madam, the hon. Minister should also be aware that many times the CERC's guidelines are either not followed or not possible to be followed by many of the State Electricity Boards and the State Grid Systems because they are unable to buy power at this high cost and then supply it within the States. Therefore, the other side of the problem needs to be addressed, which is to make sure that the cost of putting up the plant is somehow normalized so that these investors, whoever put up these plants, can actually sell their power at more affordable rates to the State Electricity Grids. So, will the hon. Minister consider taking some measures where the cost of setting up the plant is either subsidized or somehow brought down rather than only the tariff being made high?

DR. FAROOQ ABDULLAH: The hon. Member is very right. We should bring down the cost and that is why measures have been taken. For example, many of the imported parts that come in will be on zero duty basis. That will also give the industrialists an opportunity whereby they can set up the plant at a cheaper rate. We are interested in this as a cheaper plant comes up cheaper will be the electricity that we will be able to generate from these plants. I am very happy to tell you that the NVVN which is directly going to purchase this power is the one who will give the money directly to the person who is going to set up the plant. He will not have to worry as to how we are going to work up with the States because his money is guaranteed from what the power he produces. If he

produces power at Rs.18 per unit, he is guaranteed that 18 rupees by the Government.

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदया, आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाके सूर्य के सब से नज़दीक होते हैं। माननीय मंत्री जी खुद वहां के रहने वाले हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे हमारे जम्मू-कश्मीर में सोलर पॉवर के लिये आपने क्या इंतज़ाम किये हैं? दूसरा, माननीय मंत्री जी का जो डिपार्टमेंट है, वह मुझसे ज्यादा जानते हैं कि अपनी स्टेट में इस समय में एक भी सोलर लाइटर नहीं है जिससे हमारी स्टेट के हज़ारों-हज़ार गांव बिजली से वंचित हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने उनके लिये क्या इंतज़ाम किये हैं, और क्या वह इस कार्य को प्रायोरिटी देंगे, यदि हां, तो कब करवायेंगे?

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला : मैडम स्पीकर, ऑनरेबल मैम्बर ने सही फरमाया है। न सिर्फ जम्मू-कश्मीर बल्कि कई हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर ग्रिड का कनैक्शन पहुंचने के लिये बहुत वक्त लगेगा। आजकल हमारी मिनिस्ट्री का सब से बड़ा ध्यान इस तरफ है कि बजाय इसके कि वहां का कोई मिनिस्टर यहां आये, हमारी मिनिस्ट्री खुद वहां जाती है। हमारी मिनिस्ट्री जम्मू-कश्मीर में तीन दफा गई है। हिमाचल प्रदेश गई और अभी उत्तराखंड जाने वाले हैं। मैं वैस्ट बंगाल गया। इसी तरह हम हर जगह जाने के लिये, पहुंचने के लिये कोशिश कर रहे हैं और उनसे कहा है कि हमें जल्दी से अपने प्रोजैक्ट भेजो। हम उन पर एक्शन लें। अभी हमने जम्मू-कश्मीर में सारे कारगिल, गुरेज जो बिल्कुल बॉर्डर पर है और जैसे हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह जी रहे हैं, ये भी वहां वार में थे, वह गुरेज का इलाका हमने उन्हें पैनल देकर टोटली इलेक्टिफाई कर दिया है और हर घर में दो-दो लाइटें आ गयी हैं। एक नयी रोशनी उनके यहां फैल गयी है। यह चीज हम हर स्टेट में करना चाहते हैं। जिस जगह पर पहुंचना मुश्किल है, उसके लिए हमें स्टेट्स की मदद चाहिए। जब तक स्टेट्स हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं भेजेंगे, मेरी मिनिस्ट्री कुछ यूनिलेट्रली नहीं कर सकती है। मैं चौधरी लाल सिंह जी से भी दरख्वास्त करूंगा कि ये प्रदेश सरकार से भी कहें कि वह हमें जल्द से जल्द प्रोजेक्ट्स भेजें, जिन पर हम काम करके उन गावों में बिजली पहुंचा सकें। जब तक वह नहीं आएगा, मैं इनकी स्टेट में तीन दफा गया हूं और सारी मिनिस्ट्री को साथ ले गया हूं, सेक्रेट्री को भी साथ ले गया। हमने कहा कि हमें प्रोजेक्ट्स भेजिए। हमने गवनर्स के लिए भी, राजभवनों के लिए, सचिवालयों के लिए, मिनिस्टर्स हाउसिज़ के लिए लाइटिंग का इंतजाम किया। एक ही गवर्नर हैं, वे बंगाल के हैं, जिन्होंने राजभवन में सोलर लाइट का इस्तेमाल किया है। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे राजभवनों में भी इसका इस्तेमाल होगा। हम चाहते हैं कि हमारे हिन्दुस्तान का आवाम इस चीज को देख सके। इसलिए हम लोग शिरड़ी और अन्य ऐसे धार्मिक स्थान जो हैं, उन्हें भी सोलर लाइट से जोड़ना चाहते हैं ताकि गरीब व्यक्ति

भी देख सके कि इसका कितना फायदा है और उसका किस तरह इससे बिजली का खर्चा नहीं होगा। वे लोग भी रोशनी में पढ़ सकेंगे और उनका घर आबाद रहेगा।

महोदया, मैं आपको यह भी सूचित करना चाहता हूं कि हम यह चाहते हैं कि जो दूर-दराज के गांव हैं, वहां के कम्युनिटी हालों में एक टेलीविजन सरकार दे। हम वहां पर यह पैनल लगाने के लिए तैयार हैं। इससे वहां के बच्चों को एक डिस्टेंट एजुकेशन मिलेगी, हमारी महिला बहनों को नयी-नयी चीजों के बारे में सूचित किया जाएगा और हम इन दूर-दराज इलाके के गांवों में अपने किसान भाइयों को भी नये-नये तरीके सिखा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, वे अपनी प्रदेश सरकारों पर थोड़ा सा इंफ्लुएंस करें कि वे हमारे मंत्रालय को जल्द से जल्द प्रोजेक्ट्स भेजें ताकि हम उनकी मदद कर सकें।

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय, आप इस पर भी विचार करें कि पार्लियामेंट में भी सोलर लाइटिंग हो।

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला : महोदया, मैं सोलर लाइट से पार्लियामेंट को इलेक्टिफाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदया, माननीय मंत्री जी कुछ महीने पहले शिमला गये थे। जहां तक मुझे जानकारी है, इन्होंने शिमला और हमीरपुर सिटी को सोलर सिटी घोषित किया। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितना धन केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी और इस प्रोजेक्ट को कितनी जल्दी शुरू किया जाएगा।

महोदया, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि अभी गांव की बात मंत्री जी ने कही। पहले केंद्र सरकार सोलर लाइट 75 परसेंट, 80 परसेंट सब्सिडी पर उपलब्ध करवाती थी। वह सब्सिडी बिल्कुल बंद कर दी गयी है। गांव में जो स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट लगती थी, आज वह बिल्कुल नहीं दी जा रही है, वह सब्सिडी पूरी तरह से बंद कर दी गयी है। हिमाचल प्रदेश के अगर हजारों गावों में स्ट्रीट लाइट पहुंची तो वह उस परियोजना के अंतर्गत पहुंची थी। मेरा निवेदन रहेगा कि उस सब्सिडी को जारी रखा जाए ताकि पहाड़ी राज्यों के गावों मे भी लाइट उपलब्ध हो सके। मेरा आपके माध्यम से ऐसा माननीय मंत्री जी से निवेदन है।

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला : महोदया, मैं इनसे यह बात कहूंगा कि कई इलाकों में, जो फॉर फ्लांग एरियाज़ हैं, बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर 90 परसेंट सब्सिडी इन चीजों के लिए केंद्र सरकार देती है। जहां तक बाकी गावों की बात है, आपने बताया कि वहां पहले सब्सिडी होती थी और अब नहीं है, मैं इसे एग्जामिन कराऊंगा और इसका उत्तर आपके पास दो दिन में पहुंच जाएगा कि हमारी आजकल की इस पर क्या नीति है?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आप उसे कंटीन्यू करेंगे या नहीं।

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला : क्यों नहीं? हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 325 श्री के.डी. देशमुख - उपस्थित नहीं।

श्री जगदीश शर्मा

(Q. No. 325)

श्री जगदीश शर्मा : अध्यक्ष महोदया, देश में बेरोज़गारी दूर करने के लिए, रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए और जो देश की समृद्धि के लिए जो आर्थिक विकास के क्षेत्र हैं, उसके लिए रिज़र्व बैंक ने गाइडलाइन तैयार की है कि जो ऋण बँटेगा, उसमें 40 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्र की सेवाओं को होगी। प्राथमिकता क्षेत्र में उन्होंने कुछ चीज़ों को जोड़ा जो पहले बहुत कम थी। कृषि था, लघु उद्योग था, दूसरे क्षेत्र थे। लेकिन बाद में इन्होंने इस सेवा क्षेत्र में ऋण के मामले में काफी विस्तार किया। नाम बताने में बहुत समय लगेगा लेकिन 20-25 सेवाओं को उन्होंने इसमें जोड़ दिया। जो ऋण देने का परसेंटेज था, वह केवल 40 परसेंट ही रखा। महोदया, आप भी अपने चुनाव क्षेत्र में काफी जाती हैं। बैंकों का जो रवैया है कृषि क्षेत्र में किसानों को ऋण देने का ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिये।

श्री जगदीश शर्मा : महोदया, हम बिल्कुल व्यावहारिक बात कर रहे हैं। चूँकि सवाल का जवाब तब तक नहीं आएगा जब तक हम अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र के ऋण देने में बिना 20 परसेंट दिये हुए, कम से कम बिहार राज्य की बात मैं कर रहा हूँ ...(व्यवधान)

जब तक बैंक को 20 परसेंट नहीं मिलेगा, तब तक किसान क्रैडिट कार्ड से लोन नहीं मिलता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका प्रश्न अभी तक नहीं आया है। आप प्रश्न पूछिये।

श्री जगदीश शर्मा : हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदया : वह है, लेकिन आप प्रश्न पूछिये।

श्री जगदीश शर्मा : महोदया, कल इलाकों में जब इन बैंकों के कारण कोई एमपी पीटे जाएंगे तो क्या होगा? मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ और बैंक के किसी अधिकारी से कहता हूँ कि ऋण देना है, तो वे एमपी से बात नहीं करते हैं। पब्लिक कहती है कि बैंक केन्द्र सरकार के हैं, आप केन्द्र में हमारे प्रतिनिधि हैं, आपकी बात नहीं सुनेगा तो किसकी बात सुनेगा? महोदया, मैं जानना चाहता हूँ कि चाहे वह ट्रैक्टर का लोन हो, हारवैस्टर का लोन हो, इन बैंकों का दुकानदारों से तय रहता है और वे कहते हैं कि इस दुकान से लो नहीं तो हम लोन नहीं देंगे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इतनी लंबी भूमिका कर रहे हैं। आप प्रश्न पूछिये।

श्री जगदीश शर्मा : हम सवाल पूछ रहे हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि जो प्राथमिकता क्षेत्र में आप लोन देते हैं, उसमें आपने सेवाओं का विस्तार किया है, तो क्या आप इसके परसेंटेज को, 40 परसेंट जो बहुत पहले से है, उसको बढ़ाकर 75 परसेंट करेंगे? दूसरा यह कि प्रधान मंत्री रोज़गार योजना समेत जो प्राथमिकता क्षेत्र की योजनाएँ हैं, जिसमें आप ऋण देते हैं, उसमें नहीं है। क्या उसके लिए देश में एमपी की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग कमेटी बनाएँगे?

अध्यक्ष महोदया : आपका प्रश्न हो गया है। धन्यवाद। अब आप बैठ जाइए।

श्री जगदीश शर्मा : महोदया, एमपी की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग कमेटी बनाने की मैं मांग करता हूँ।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: The hon. Member's moot question is whether the priority sector lending will be increased from 40 per cent to 75 per cent. My response to that would be that it is not possible because there are certain criteria for the total bank deposit money. Certain amount is to be kept under CRR, certain amount is to be kept under SLR and disposable amount which can be advanced by the banks, from there 40 per cent amount is being dedicated to the priority sectors and priority sectors have also been identified.

Now with the regard to the question about the service sectors within the priority sector which provide employment, we have made the expansion of that and always there is a scope for looking into it as per demand. But the other extraneous issues issue which the hon. Member has brought to the notice if the Branch Manager or other authorities of the banks do not listen to the suggestions of hon. Members of Parliament or other things if he can bring these to my notice, surely I will issue instructions, it is expected that the Members of Parliament should be extended due courtesy. If a public office holder and somebody does not do it, it is the dereliction of duty but at the same time I will request the Members of Parliament, as I sometimes receive individual loan application and for advocacy for individual loans is not the job of the Members of Parliament.

श्री जगदीश शर्मा : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि हम 40 परसैंट को मांग के अनुरूप बढ़ाएंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो प्राथमिकता सैक्टर तय किया, उसमें इन्होंने दर्जनों सेवाओं को जोड़ दिया, ये बढ़ाने के लिए कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि इनकी प्रधान मंत्री रोजगार योजना प्राथमिक क्षेत्र में है और वह गरीब शिक्षित नौजवानों को लोन देने की है। ये कह रहे हैं कि हमें लिखना पड़ेगा, आप दरख्वास्त लिखिए। हमने इन्हें पहले लिखा भी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्राथमिकता क्षेत्र में लोन दिया जाता है, क्या उस क्षेत्र से संबंधित जो सांसद हैं, उनकी अध्यक्षता में फाइनेंस डिपार्टमेंट उन ऋणों के वितरण में उसकी मोनिटरिंग के लिए कमेटी बनाने का विचार रखते हैं?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: My response is no. We cannot allow the commercial activities of the banks should be supervised by the representatives of the people. Many years ago this issue was debated and a Committee was appointed under the Chairmanship of Shri V.K.Krishna Menon. At that point of time the public sector banks were coming and so it was suggested that the Committee of the Parliament represented by the Committee on Public Undertakings could look into the functioning of the public sector units but individual banks or their transactions cannot be allowed to be looked into by the individual MPs or by any extraneous elements.

Secondly, the hon. Member is making a mistake. These are advances for the commercial activities which are to be supported, for instance, the *Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana.* Budgetary allocations are there which is provided; resources are provided through the Budgetary support. Where is the question of commercial activity there? … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: आपका प्रश्न हो गया है।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: जगदीश शर्मा जी, आप बैठ जाइए, अपना स्थान ग्रहण करिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जगदीश शर्मा जी, आप स्थान ग्रहण करिए। अब उस पर लम्बी बहस नहीं चल सकती है। यह प्रश्न-काल है।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत रहिए, श्री सम्पत जी की बात को सुनिए।

SHRI A. SAMPATH : Sir, the hon. Minister has stated in the reply that out of the 27 public sector banks, 24 have achieved the stipulated target of 40 per cent and out of the 22 private sector banks, 17 banks have achieved the target.

Madam, through you I would like to ask the hon. Minister to reveal the names of the public sector banks and the names of the private sector banks including the foreign banks who have not achieved the target as fixed by the Reserve Bank of India.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: The hon. Member must have noticed from the statement itself that even those banks which failed to reach the target of 40 per cent priority sector lending if there is a shortfall that shortfall is to be made up and this is to be made up by making equal amounts of money equal to the shortfall to the Rural Infrastructure Development Fund (RIBS) or certain other funds which are being exercised by the Reserve Bank where these resources would be utilized for building up those projects which will generate employment. It is a long list which the hon. Member wanted to have. I can lay it on the Table of the House because it will take some time to read it out.

MADAM SPEAKER: Shri Vijay Bahadur Singh – not present.

(Q. No. 326)

SHRI R. DHRUVANARAYANA : In the hon. Minister's reply it is said that the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 is being replaced by the Food Safety and Standards Act. 2006.

I would like to ask the hon. Minister whether the provisions of this Act have been implemented. If so, what is the outcome?

SHRI DINESH TRIVEDI: Madam Speaker, this is under process. In this, 42 provisions have been notified out of the 101 provisions. When all of them are notified, it will come into action in its full force.

SHRI R. DHRUVANARAYANA : What measures have the Government taken to maintain the quality and hygiene of perishable products, like meal, fish, vegetables, fruit and milk, which are being sold by road-side vendors?

SHRI DINESH TRIVEDI: The provisions of the PFA Act are in effect now, which take care of it. Basically, it is the State Governments which implement it. The food inspectors go out, inspect them, give it to the laboratories, and then they are tested. If there are complaints, cases are filed and the provisions of the law take care of it.

SHRI VARUN GANDHI : My question relates to rural consumers. The rural consumers in our nation are less likely to have authentic information regarding manufactured food articles and beverages, and are thus most susceptible to exploitation by companies that are local, that are imitating the FMCG majors, thus, creating spurious products which are immensely damaging to rural consumers' health. The *Jago Grahak Abhiyan*, which, I think, is very successful is less likely to reach them as well.

So, I would like to know whether the Government proposes to take any specific steps to protect the rural consumers from these false brands and spurious products as well as whether the Government proposes to involve the *panchayati raj* institutions to reach out to rural consumers and enhance their knowledge about these questionable products.

SHRI DINESH TRIVEDI: I fully agree with the hon. Member that we need to protect the consumers, especially those who are more vulnerable. The present PFA Act of 1954, which as I just mentioned, is going to be replaced by the Food Safety and Standard Act, 2006. We personally feel that the provisions of these Acts will take care of this particular issue.

At the same time, we all have a social obligation as well. We do also have consumer courts, we do also have people at the *panchayat* level for this. I personally feel that no law or no Act can fully address this problem. That is why, a self-regulation code also will come into effect. I think this is one issue which we have to collectively tackle. As far as awareness is concerned, if need be, we have to go beyond the aspects of law.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR: Madam Speaker, diabetologists and specialists of internal medicine belonging to international fraternity have forecasted that India is going to become the diabetes capital in a very short time Diabatese is a killer disease. The major component of these drinks is sugar. Now, it is seen through research that consumption of excess sugar and glucose results in further depletion of the betacells resulting in more severe form of diabetes which is a killer disease.

So, through you, Madam, I wish to know from the hon. Minister whether any plan is being made to put a cautionary note on these proprietary products as "these contains certain components which might enhance diabetes" so that we can curtail this killer disease from our population.

SHRI DINESH TRIVEDI: The present Act has provisions where the labelling has to contain not only the sugar contents but also the calories etc., which takes care of hon. Member's question.

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 327 - श्रीमती सुमित्रा महाजन - अनुपस्थित।
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया - अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या 328 - श्री घनश्याम अनुरागी।

(Q. No. 329)

श्री घनश्याम अनुरागी : माननीय अध्यक्षा जी, मैं जालौन संसदीय क्षेत्र, बुन्देलखंड से आया हूं। हमारे पूरे क्षेत्र में बिजली 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं मिलती है और हमारा पूरा क्षेत्र कृषि पर आधारित है। वहां कृषि के अलावा और कोई रोजगार के साधन नहीं हैं। वहां लगातार 3-4 साल से सूखा भी पड़ता रहा है। पूरे देश के सामने बुन्देलखंड की लगातार चर्चा तो हुई कि बुन्देलखंड में हम कृषि के लिए, किसानों के लिए यह करेंगे, बिजली मुहैया कराएंगे, वह करेंगे, लेकिन वहां कोई ऐसी स्थिति नहीं आई, जिससे किसानों में आक्रोश और निराशा है। मेरा निवेदन है कि जो सौर ऊर्जा से बिजली बनती है, इस पर न प्रदेश सरकार चिन्तित है और न केन्द्र सरकार चिन्तित है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री घनश्याम अनुरागी : हमारा आपसे केवल यह अनुरोध है कि सौर ऊर्जा से जो बिजली की लागत है, क्योंकि वहां गहरे नलकूपों की आवश्यकता है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिये, उत्तर देने के लिए भी समय चाहिए।

श्री घनश्याम अनुरागी : माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हम सौर ऊर्जा की लाइट के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी दे रहे हैं तो हम निवेदन करेंगे कि गहरे नलकूपों के लिए 90 फीसदी अनुदान...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिये।

श्री घनश्याम अनुरागी : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या बुन्देलखंड में गहरे राजकीय नलकूपों के लिए बिजली मुहैया कराने के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी मुहैया कराएंगे?...(व्यवधान)

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला: मैडम स्पीकर, मैं अपने मैम्बर का बहुत मशकूर हूं, जिन्होंने यह सवाल बहुत अच्छी तरह से पूछा है। यह बिल्कुल सही बात है कि भारत में 80 फीसदी लोग किसान हैं। इसमें कोई शक नहीं है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पानी का वाटर टेबल नीचे जा रहा है...(व्यवधान) सुनिये। बुन्देलखंड के बारे में आप जानते हैं कि हमारी जो सरकार है, उसने बहुत बड़ी रकम बुन्देलखंड के लिए दी है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शान्ति से सुन लीजिए।

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला: अब या तो इस सवाल का जवाब सुनिये, या फिर मैं बैठ जाता हूं। मैं यह कहना चाहता था कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आपको बिजली चाहिए, लेकिन वहां बिजली पहुंची ही नहीं है, न ग्रिड का कनैक्शन अभी तक पहुंचा है। आप चाहते हैं कि सोलर ऊर्जा से इसे बनाया जाये, मगर अभी

तक वह टैक्नोलोजी नहीं आई है, जिससे इतने डीप वैल्स के लिए सोलर इनर्जी इस्तेमाल हो सकती है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, इस हाउस को इन्फोर्म करना चाहता हूं कि हमने सुना है कि जर्मनी में एक ऐसी टैक्नोलोजी उन्होंने विकसित की है, मगर हमारे साइंटिस्ट उसको देखने जाएंगे और जल्द से जल्द उसको देखकर हमें पता लगेगा कि क्या यह टैक्नोलोजी इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं की जा सकती है।

12.00 hrs.

...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। मैं सारे हाउस से गुजारिश करूंगा, क्योंकि पंजाब से भी हैं, उनकी भी यह मुसीबत है, क्योंकि वहां पंप्स के लिए डीजल का इस्तेमाल होता है, जो पर्यावरण को खराब करता है। इसलिए हम इसके बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं कि किस तरह से हम किसान के लिए यह सुविधा पहुंचा सकें। आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए कि हम इसे कर सकें। ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम अनुरागी : सब्सिडी की बात करते हैं, बुंदेलखंड में ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। ऐसा नहीं करते हैं, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला : आप मेरी बात सुनिए या मत सुनिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप मंत्री हैं। आप क्या रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। ऐसा नहीं करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री घनश्याम अनुरागी : हमारे संसदीय क्षेत्र में न बिजली जल रही है, न सिंचाई की व्यवस्था है। वहां किसान भूखों मर रहा है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Question Hour is over.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, Question Hour is over.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी आप बैठए। आप क्या कर रहे हैं? Don't react.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

*(Interruptions) ...**

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल समाप्त हो गया है। इतना उत्तेजित नहीं होते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

MADAM SPEAKER: Question Hour is over.

... (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

12.02 hrs

REFERENCE BY THE SPEAKER-Contd.

(ii) Birthday Wishes to Leader of the House

MADAM SPEAKER: Hon. Members, on behalf of the House and on behalf of myself, I want to wish many happy returns of the day to the Leader of the House. I wish him good health and many more years in the service of the nation.

… (*Interruptions*)

SOME HON. MEMBERS: What about Cake!

… (*Interruptions*)

12.03 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (PROF. SAUGATA ROY): On behalf of Shri S. Jaipal Reddy, I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Delhi Development Authority, New Delhi, for the year 2008-2009, under Section 26 of the Delhi Development Act, 1957.

(Placed in Library, See No. LT 1229/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): On behalf of Kumari Selja, I beg to lay on the Table :-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Cooperative Housing Federation of India, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Cooperative Housing Federation of India, New Delhi, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1230/15/09)

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): महोदया, मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

1. ट्राईबल को-आपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
2. ट्राईबल को-आपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1231/15/09)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA TIRATH): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Social Welfare Board, New Delhi, for the year 2007-08, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Social Welfare Board, New Delhi, for the year 2007-08.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 1232/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 the Foreign Exchange Management Act, 1999:-

(1) The Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) (Second Amendment) Regulations, 2009, published in Notification No. G.S.R. 813(E) in Gazette of India dated the 12th November, 2009.

(2) The Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Third Amendment) Regulations, 2009, published in Notification No. G.S.R. 836(E) in Gazette of India dated the 23rd November, 2009.

(3) The Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) (Amendment) Regulations, 2009, published in Notification No. G.S.R. 837(E) in Gazette of India dated the 23rd November, 2009.

(4) The Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Second Amendment) Regulations, 2009, published in Notification No. G.S.R. 838(E) in Gazette of India dated the 23rd November, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 1233/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): On behalf of Shri S.S. Palanimanickam, I beg lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Life Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Life Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2008-2009.

(ii) 39th Valuation Report (Hindi and English versions) of the Life Insurance Corporation of India, Mumbai, as on 31st March, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 1234/15/09)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pratichi (India) Trust, Delhi, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pratichi (India) Trust, Delhi, for the year 2007-2008.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 1235/15/09)

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 48 the Life Insurance Corporation of India Act, 1956:-

(i) The Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2009, published in Notification No. G.S.R. 631(E) in Gazette of India dated the 2nd September, 2009.

(ii) The Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Amendment Rules, 2009, published in Notification No. G.S.R. 753(E) in Gazette of India dated the 15th October, 2009.

(iii) The Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 2009, published in Notification No. G.S.R. 818(E) in Gazette of India dated the 12th November, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 1236/15/09)

(5) A copy of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Amendment Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. 816(E) in Gazette of India dated the 12th November, 2009 under Section 74 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT 1237/15/09)

(6) A copy of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (National Fund for Control of Drug Abuse) Amendment Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. 581(E) in Gazette of India dated the 19th August, 2009 under Section 77 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT 1238/15/09)

(7) A copy of the Income-tax (Dispute Resolution Panel) Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 2958(E) in Gazette of India dated the 20th November, 2009 under section 296 of the Income Tax Act, 1961, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT 1239/15/09)

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944 :-

(i) G.S.R. 576(E) published in Gazette of India dated the 17th August, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 14/2002-C.E. (N.T.) dated 8th March, 2002.

(ii) G.S.R. 704(E) published in Gazette of India dated the 25th September, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 44/2001-C.E. (N.T.) dated 26th June, 2001.

(iii) G.S.R. 830(E) published in Gazette of India dated the 18th November, 2009, together with an explanatory memorandum exempting handmade biris, matches manufactured in non-

mechanized sector and RCC pipes assesses from filing the annual installed capacity statement *viz.*, ER-7 return.

(iv) G.S.R. 772(E) published in Gazette of India dated the 21st October, 2009, together with an explanatory memorandum exempting packing materials, mentioned therein, manufactured by a Small Scale Industry unit, where the manufacturer has affixed the specified goods with a brand name or a trade name of another person who is not eligible for grant of exemption for period as specified in the notification.

(Placed in Library, See No. LT 1240/15/09)

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962 :-

(i) G.S.R. 1570(E) published in Gazette of India dated the 26th June, 2009, together with an explanatory memorandum regarding rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for purpose of assessment of imported and export goods.

(ii) G.S.R. 1603(E) published in Gazette of India dated the 30th June, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus. (N.T.) dated 3rd August, 2001.

(iii) G.S.R. 1679(E) published in Gazette of India dated the 9th July, 2009, together with an explanatory memorandum notifying amendments in the Determination of Origin of Goods under the Asia-pacific Trade Agreement Rules, 2006.

(iv) G.S.R. 1748(E) published in Gazette of India dated the 15th July, 2009, together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 36/2001-Cus. (N.T.) dated 3rd August, 2001.

(v) G.S.R. 1808(E) published in Gazette of India dated the 22nd July, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 68/2009-Cus. (N.T.) dated 26th June, 2009.

(vi) G.S.R. 1857(E) published in Gazette of India dated the 29th July, 2009, together with an explanatory memorandum regarding rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for purpose of assessment of imported and export goods.

(vii) G.S.R. 1870(E) published in Gazette of India dated the 31st July, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus. (N.T.) dated 3rd August, 2001.

(viii) G.S.R. 2123(E) published in Gazette of India dated the 13th August, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus. (N.T.) dated 3rd August, 2001.

(ix) G.S.R. 2193(E) published in Gazette of India dated the 27th August, 2009, together with an explanatory memorandum regarding rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for purpose of assessment of imported and export goods.

(x) G.S.R. 2209(E) published in Gazette of India dated the 31st August, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus. (N.T.) dated 3rd August, 2001.

(xi) G.S.R. 2382(E) published in Gazette of India dated the 15th September, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus. (N.T.) dated 3rd August, 2001.

(xii) G.S.R. 2460(E) published in Gazette of India dated the 25th September, 2009, together with an explanatory memorandum regarding rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for purpose of assessment of imported and export goods.

(xiii) G.S.R. 2492(E) published in Gazette of India dated the 30th September, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus. (N.T.) dated 3rd August, 2001.

(xiv) G.S.R. 2622(E) published in Gazette of India dated the 15th October, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus. (N.T.) dated 3rd August, 2001.

(xv) G.S.R. 2667(E) published in Gazette of India dated the 22nd October, 2009, together with an explanatory memorandum regarding rates of exchange for conversion of Swedish Kroner into Indian currency or *vice-versa* for purpose of assessment of imported and export goods.

(xvi) G.S.R. 2713(E) published in Gazette of India dated the 28th October, 2009, together with an explanatory memorandum regarding rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for purpose of assessment of imported and export goods.

(xvii) G.S.R. 2734(E) published in Gazette of India dated the 30th October, 2009, together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 36/2001-Cus. (N.T.) dated 3rd August, 2001.

(Placed in Library, See No. LT 1241/15/09)

(10) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) under sub-section (8) of Section 10 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and 1980:-

(i) Report on the working and activities of the Oriental Bank of Commerce for the year 2008-2009, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1242/15/09)

(ii) Report on the working and activities of the Dena Bank for the year 2008-2009, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1243/15/09)

(iii) Report on the working and activities of the Indian Bank for the year 2008-2009, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1244/15/09)

(iv) Report on the working and activities of the Indian Overseas Bank for the year 2008-2009, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1245/15/09)

(v) Report on the working and activities of the Vijaya Bank for the year 2008-2009, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1246/15/09)

(vi) Report on the working and activities of the UCO Bank for the year 2008-2009, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1247/15/09)

(vii) Report on the working and activities of the Punjab National Bank for the year 2008-2009, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1248/15/09)

(viii) Report on the working and activities of the Corporation Bank for the year 2008-2009, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1249/15/09)

(ix) Report on the working and activities of the Bank of Baroda for the year 2008-2009, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1250/15/09)

(x) Report on the working and activities of the Canara Bank for the year 2008-2009, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1251/15/09)

(11) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2008-2009.

(iii) Annual Report of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited

Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1252/15/09)

(12) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, Mumbai, for the year ended 31st March, 2009, alongwith Audited Accounts under sub-section (2) of Section 32 of the and comments of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, 1961.

(Placed in Library, See No. LT 1253/15/09)

(13) A copy of the Reserve Bank of India (Note Refund) Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. 125 in Gazette of India dated the 17th July, 2009 under section 28 of the Reserve Bank of India Act, 1934.

(Placed in Library, See No. LT 1254/15/09)

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pratichi (India) Trust, Delhi, for the year 2006-2007, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pratichi (India) Trust, Delhi, for the year 2006-2007.

(15) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (14) above.

(Placed in Library, See No. LT 1255/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI BHARATSINH SOLANKI): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1256/15/09)

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the National Hydroelectric Power Development Corporation Limited, Bhopal, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the National Hydroelectric Power Development Corporation Limited, Bhopal, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1257/15/09)

(b) (i) Review by the Government of the working of the North Eastern Electric Power Corporation Limited, Shillong, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the North Eastern Electric Power Corporation Limited, Shillong, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1258/15/09)

(c) (i) Review by the Government of the working of the NTPC Limited, New Delhi, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the NTPC Limited, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1259/15/09)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

(i) The Joint Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2009 published in Notification No. JERC-01/2009 in Gazette of India dated the 3rd August, 2009.

(ii) The Joint Electricity Regulatory Commission (Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) Regulations, 2009 published in Notification No. JERC-04/2009 in Gazette of India dated the 6th August, 2009, together with a corrigendum thereto published in Notification No. 6/2/2009-JERC dated the 22nd October, 2009.

(iii) The Joint Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Officers and Staff) Regulations, 2009 published in Notification No. JERC-02/2009 in Gazette of India dated the 3rd August, 2009.

(iv) The Joint Electricity Regulatory Commission (Appointment and Functioning of Ombudsman) Regulations, 2009 published in Notification No. JERC-03/2009 in Gazette of India dated the 7th August, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 1260/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DINESH TRIVEDI): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Notification No. S.O. 2076(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 10th August, 2009 appointing 10th August, 2009 as the date on which the provisions of the Drugs and Cosmetics (Amendment) Act, 2008 shall come into force issued under Section 1 of the said Act.

(Placed in Library, See No. LT 1261/15/09)

(2) A copy of the Notification No. G.S.R. 677(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 15th September, 2009 regulating or restricting the manufacture, sale or distribution of the drug 'Oseltamivir Phosphate' and 'Zanamivir' and preparations based thereon indicated for H1N1 viral influenza (swine flu) in human and for preventing their misuse in public interest issued under Drugs and Cosmetics Act, 1940.

(Placed in Library, See No. LT 1262/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DINESH TRIVEDI): On behalf of Shri S. Gandhiselvan, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1263/15/09)

(2) A copy of the Drug and Cosmetics (Sixth Amendment) Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 764(E) in Gazette of India dated the 20th October, 2009 under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 1264/15/09)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1265/15/09)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurveda and Siddha, New Delhi, for the year 2008-2009.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurveda and Siddha, New Delhi, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Ayurveda and Siddha, New Delhi, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 1266/15/09)

———

12.05 hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 73rd and 79th Reports of Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2008-09) and Counterfeit Currency Notes in circulation, respectively, pertaining to the Department of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and Disinvestment, Ministry of Finance

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 73rd and 79th Reports of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2008-09) and Counterfeit Currency Notes in circulation, respectively, pertaining to the Department of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and Disinvestment, Ministry of Finance.

I deem it my privilege to make a statement on the status of implementation of recommendations contained in the 73rd and 79th Report pertaining to the Department of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and Disinvestment of the Standing Committee on Finance (14th Lok Sabha) in pursuance of Direction 73-A of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha *vide* Lok Sabha Bulletin, Part II dated 1st September 2004.

The 73rd and 79th Report of the Standing Committee on Finance (14th Lok Sabha) were presented to Lok Sabha on 18th December, 2008.

The 73rd Report relates to examination of Demands for Grants (2008-09). In the Report, the Committee deliberated on various issues and made seven (7) recommendations. These recommendations mainly pertain to the issues relating to the budget provisions for Indian Development Economic Assistance, Viability Gap Funding, display of information in "Budget at a Glance", appointment of independent directors in the Board of PSUs in the context of the listing agreement prescribed by SEBI, shortfall in agricultural lending targets, One/Time Settlement

Scheme (OTS), The Real Time Gross Settlement (RTOS/National Electronic Fund Transfer (NEFT) facility, etc. , Government has taken necessary actions and accepted the recommendations in all cases.

The 79th Report relates to Counterfeit Currency Notes in Circulation. In the Report, the Committee deliberated on various issues and made ten (10) recommendations. These recommendations pertain to issues of the gravity and magnitude of the menace of circulation of fake currency in the country, constitution of nodal group for monitoring, conducting comprehensive enquiry into the origins of Fake Indian Currency Notes (FICN) from across the borders, phased withdrawal of Rs. 1000 denomination 2000 series, difference between the number of soiled notes that are coming back to the RBI system and the number of new notes that are being issued, modification of the existing stringent penal provision to protect innocent common man who carries FICN unknowingly, if any breach of exclusivity agreement executed by the suppliers is actually occurring, setting up of a Joint Venture Paper Mill for production of security paper etc. All the recommendations have been accepted excepting one and detailed information has been furnished.

Action Taken Statements on the recommendations/observations contained in the 73rd and 79th Reports had been sent to the Standing Committee on Finance on 17th April, 2009 and 26th March, 2009 respectively. Present status of implementation of the recommendations made by the Committee in the 73rd and 79th Reports is indicated in Annex-I and Annex-II respectively, which are laid on the Table.

I would not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the Annexures. I would request that these may be taken as read.

(Placed in Library, See No. LT 1267/15/09)

12.07 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): With your permission, Madam, I rise to announce that Government Business for the remaining part of the Session will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Consideration of Resolution seeking approval to constitute a new Railway Convention Committee (15th Lok Sabha) for determination of 'Rate of Dividend payable by the Railways to the General Revenues and other ancillary matters'.
3. Discussion and voting on Supplementary Demands for Grants (Railways) for 2009-10.
4. Introduction, consideration and passing of the Appropriation (Railways) No. 4 Bill, 2009.
5. Consideration and passing of the following Bills:-
   (a) The Competition (Amendment) Bill, 2009 to replace an Ordinance;
   (b) The National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2009;
   (c) The National Green Tribunal Bill, 2009;
   (d) The State Bank of Sourashtra (Repeal) and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, 2009; and
   (e) The Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2009.
6. Consideration and passing of the Legal Metrology Bill, 2009, as passed by Rajya Sabha.
7. Consideration and passing of the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain

Establishments) Amendment and Miscellaneous Provisions Bill, 2005, after it is passed by Rajya Sabha.

8. Consideration and passing of the Civil Defence (Amendment) Bill, 2009.

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): अध्यक्ष महोदया, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाए।

1. पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर अंतर्गत मानसी जंक्शन काफी महत्वपूर्ण है। मानसी जंक्शन स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर उसे मॉडल स्टेशन बनाया जाए।
2. बिहार राज्य अंतर्गत खगड़िया जिला में एन.एच.-107 के पिरनगरा से माली के बीच बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में बने पुराने ह्यूम पाइप कलभर्ट के स्थान पर उच्च स्तरीय ब्रिज एवं पथ का उच्चिकरण कराया जाए।

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित एजेंडों के शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

1. उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा एवं व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु कार्य।
2. मेरे प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र में साईं नदी में प्रदूषण को दूर करने हेतु एवं इसमें किए गए कार्यों की समीक्षा का कार्य।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, I would request you to include the following items in the next week's agenda:-

1. Kanhangad-Panathur Railway Line should be included in the next Railway Budget itself.
2. Endosulphan, a chemical pesticide which is dangerous to the human health, should be banned.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, the following items may be included in next week's agenda:-

1. The preparation of Commonwealth Games as it is going to be held in the year 2010 which will consolidate the position of India in the Comity of Nations.
2. Fund for Health Mela organized by the Ministry of Health in each Lok Sabha constituency should be enhanced in view of the current pricing scenario.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): I would like to request you to kindly include the following subjects in next week's agenda:

1. Adverse effects of BT cotton is a matter of deep concern for all the concerned, particularly the farmers. Therefore, the long pending Seed Bill be brought before the House for discussion.
2. Water Management in the country is urgently needed particularly in view of the Global Warming and its impact on the country.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में जोड़ने की व्यवस्था की जाये।

(क) "कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा वर्ा 1990-91 में कोल कंपनियों के एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ने के लिए कोल ट्रैंक रोड नामक सम्पर्क सड़क की जर्जर स्थिति की समीक्षा और झारखंड में निर्मित उक्त सड़कों और पुलों के निर्माण और जीर्णोद्वार की आवश्यकता"।

(ख) "सेन्ट्रल कोल फिल्डस लिमिटेड द्वारा वर्ष 1980 में चरही क्षेत्र के हजारीबाग जिला के पचमों पंचायत के किसानों को कोयला खदान खोलने हेतु अधिगृहीत भूमि को टिस्को कम्पनी को "लीज डीडँ के आधार पर बिक्री की गयी/बिक्री की जा रही भूमि पर अविलम्ब रोक लगाने की आवश्यकता अथवा उक्त भूमि के किसानों के माध्यम से बिक्री कराने की अनुमति प्रदान करने की आवश्यकता"।

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): अध्यक्ष महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को चर्चा हेतु जोड़ने की अनुमति दें।

(1) तेलंगाना पृथक राज्य से संबंधित खबर से देश में राज्यों के पुनर्गठन एवं नए राज्यों के गठन को लेकर संसद में सभी माननीय सांसदों के विचार जानने हेतु खुली व लम्बी चर्चा करायी जाये।

(2) योजना आयोग द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन औ र इस महीने होने वाली राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक स्थगति होने से देश के विकास पर होने वाले प्रभावों के बारे में संसद में खुली व लम्बी बहस करायी जाये।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): अध्यक्ष महोदया, लोक सभा की अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषयों को शामिल कराने का कट करें।

1. बिहार के रोहतास तथा औरंगाबाद नक्सल प्रभावित जिलों में औरंगाबाद पटना एनएच 98 से नासरीगंज-विक्रमगंज पथ पर सोन नदी पर पुल बनाने का कार्य।
2. हमारे संसदीय क्षेत्र कारकोट के जिले रोहतास तथा औरंगाबाद एवं कैमूर जिले में जहां अभी तक केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना का कार्य।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जायेः-

1. राजधानी दिल्ली में विशेषकर उत्तर-पूर्वी संसदीय क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले को राष्ट्रीय सम विकास योजना में सम्मिलिति किए जाने के बारे में।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये।

1. रेल मंत्रालय रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण हेतु राज्य सरकारों से 50 प्रतिशत भागीदारी मांगता है। राज्यों के सीमित संसाधनों के देखते हुए इस नीति पर पुनर्विचार कर सभी आरओबी का निर्माण रेल मंत्रालय अपने संसाधनों/निधियों से करे।
2. देश के जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में कुपोषण लगातार बढ़ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष परियोजना तथा इन क्षेत्रों में विकास हेतु धनराशि आवंटन की घोषणा सरकार करे।

MADAM SPEAKER: Hon. Members, before we take up the Calling Attention, we have a motion and introduction of a Bill to be taken up. If the House agrees, we take up Calling Attention after that.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, please.

12.15 hrs.

MOTION RE: NINTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to move:

> "That this House do agree with the Ninth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 10th December, 2009."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Ninth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 10th December, 2009."

The motion was adopted.

12.15 ½ hrs.

COMPETITION (AMENDMENT) BILL, 2009*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Competition Act, 2002.

---

* Published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.12.09.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Competition Act, 2002."

The motion was adopted.

SHRI SALMAN KHURSHEED: I introduce the Bill.

12.15 ¾ hrs.

STATEMENT RE: COMPETITION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2009*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by the Competition (Amendment) Ordinance, 2009 (No. 6 of 2009).

(Placed in Library, See No. LT 1269/15/09)

---

* Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 1269/15/09.

12.16 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Need to confer the status of 'Heritage City' on Amritsar by shifting it from Category 'B' to Category 'C' grant pattern of the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM)

SHRI NAVJOT SINGH SIDHU (AMRITSAR): Madam Speaker, I call the attention of the Minister of Urban Development to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> "Need to confer the status of 'Heritage City' on Amritsar by shifting it from Category 'B' to Category 'C' grant pattern of the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM)."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (PROF. SAUGATA ROY): Madam, hon. Members have called the attention of the Government on the urgent need to confer the Status of 'Heritage City' on Amritsar and for shifting it from category 'B' to category 'C' grant pattern under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission.

The Government of India has launched the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) for reforms driven, fast track, planned development of select cities with focus on efficiency in urban infrastructure/Service delivery mechanism, community participation, accountability of Urban Local bodies/ Parastatals towards citizens. The duration of the Mission is for seven years beginning 2005-06 to 2011-12 during which the Mission seeks to ensure sustainable development of select cities. Keeping in view the available resources, 65 cities/ urban agglomerations (UAs) have been selected as Mission cities on the basis of their population as per 2001 census and have been divided into three categories. Category 'A' consists of cities/ urban agglomerations with 4 million plus population as per 2001 census. Category 'B' includes cities/ urban agglomerations with million plus population but less than 4 million

population as per 2001 census. Category 'C includes cities/ urban agglomerations with population of less than 1 million as per 2001 census and includes State capitals and select cities/UAs with religious, historical or touristic importance.

The pattern of funding of mission cities under JNNURM is linked to the category in which the city is placed. Cities/UAs in category 'A' are eligible for 35 per cent grant from Centre. Cities/ UAs in category 'B' are eligible for 50 per cent grant. Cities/ UAs in category 'C', other than cities/ towns of North East and Jammu & Kashmir, are eligible for 80 per cent grant from the Centre. Cities/towns in the North Eastern States and Jammu & Kashmir are eligible for 90 per cent grant from the Centre under the Mission.

Amritsar has a population of 10.03 lakh as per 2001 census and therefore, is included in category 'B' i.e. cities/ urban agglomerations with a million plus but less than 4 million population as per 2001 census. It will not be eligible for category 'C which is only for cities having a population of less than one million as per 2001 census. Since population of a city as per 2001 census is the criteria for categorization of a mission city, there is no provision or scope for shifting a city from one category to another.

It is pertinent to note that there is no provision for declaration of a city as "heritage city" by the Ministry of Urban Development. Moreover, under JNNURM, the basis of categorization of cities in category 'A', 'B' and 'C is primarily on the population criteria.

The indicative seven year mission allocation for the mission cities in the State of Punjab under Urban Infrastructure and Governance (UIG) component of JNNURM is Rs. 507.75 crore. A total of 6 projects have been approved under UIG for which an Additional Central Assistance (ACA) of Rs. 362.69 crore is committed. Thus, a balance of Rs. 145 crore is still available for the State. An additional allocation of Rs. 100 crore each for Amritsar and Ludhiana was provided in 2008-09 which is also available.

Till date, five projects have been approved for Amritsar, viz.- (l) Water supply, sewerage and sewerage treatment for Amritsar, (2) Construction of two lane elevated road from GT road to Golden Temple and four lane elevated road from Maqbulpura Chowk to Bhandaripul, (3) Rehabilitation of existing sewerage system for walled city areas, Phase II, (4) Integrated solid waste management Project for Amritsar, (5) Rehabilitation of existing water supply system for walled city area, Amritsar. The total cost of these five projects is Rs. 484 crore and ACA committed is Rs. 242 crore which is 50 per cent of the project cost as per funding pattern provided under guidelines for UIG of JNNURM for category 'B' cities.

Projects relating to water supply including sanitation, sewerage, solid waste management, urban transport, urban renewal and development of heritage areas are eligible for funding. As there is a balance allocation left, Amritsar City is eligible to take up projects for development of heritage areas.

MADAM SPEAKER: Thank you, Mr. Minister.

Now, Shri Navjot Singh Sidhu.

SHRI NAVJOT SINGH SIDHU : Madam Speaker, let me, at the outset, say that this is a grave omission. The big bone of contention is this. Should Amritsar be categorized according to its population or should Amritsar be categorized according to its religious, historic and tourist importance?

The hon. Minister says that अमृतसर की पॉपुलेशन तीन हजार ज्यादा है, इसलिए अमृतसर को लिस्ट-बी में रखना चाहिए। I would like to draw the attention of this august House to List C, which says: “selected cities, State capitals and other cities of religious, historic and tourist importance”.

महोदया, क्या सूरज को प्रमाण देने की जरूरत है कि उसमें तेज है, क्या उसका प्रकाश प्रमाण नहीं है कि उसमें तेज है। एसजीपीसी कहती है कि दो लाख लोग पर रोज वहां शीश नवाने जाते हैं, पगड़ियां तो कम हैं, आप वहां जाकर देखिये, हिंदू, मुसलमान, हर धर्म के लोग वहां जाते हैं और वहां

आवाज गुंजती है " मानस की जात सबै एकै पहचानबो, अव्वल अल्ला नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिआ कौन भले कौं मंदे" यह आवाज गुंजती है वहां और आज मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है और याद दिलाना पड़ता है कि श्री अमृतसर साहब पॉपुलेशन के आधार पर जज किया जाएगा और उसकी कोई हिस्टोरिक-टूरिस्ट इम्पोर्टेंस नहीं है। महोदया, मैं तो इतना ही कहूंगा, ज्यादा तो कह नहीं सकूंगा क्योंकि मिनिस्टर साहब अदब वाले आदमी हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इन लिस्टों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बौना फिर बौना है चाहे पर्वत के शिखर पर खड़ा हो और देवता फिर देवता है चाहे कुंए की गहराई में खड़ा हो।

महोदया, बड़े से बड़े डिग्निटरीज वहां जाते हैं। The recent example is the Canadian Prime Minister. वह हिंदुस्तान सिर्फ दरबार साहब जाने के लिए आये। Queen Elizabeth, Shri Rahul Gandhi, our own Prime Minister and the whole House will agree कि वहां सब लोग आस्था से जुड़े हैं।

महोदया, मैं बनारस जाता हूं, और ज्योतिर्लिंगों के आगे शीश नवाता हूं। मैं हरिद्वार में जाकर गंगा भी नहाता हूं। ये तो हमारे देश की धरोहर हैं। " जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।" क्या यह हमारा मूल नहीं है? महोदया, श्री अमृतसर साहब हमारा मक्का है, जेरूस्लम है, रोम है, वैटिकन है और हमारी विरासत की जड़ है। क्या हम उस जड़ को नहीं सीचेंगे? क्या हम यह कहेंगे कि अमृतसर साहब की कोई हिस्ट्री नहीं। गुरू रामदास पातशाह, शाहों के शाह सोढ़ी पातशाह, उन्होंने खुद अमृतसर साहब की रचना की।

Akal Takht Sahab, the temporal seat of the Sikhs is stated in Amritsar और अमृतसर रिलिजीयस सिटी के आधार पर जज नहीं होता। *Mahodya*, our history can be judged from the medieval times. Starting from Mohammad Gazni to the overthrow of the Mughal Empire, Amritsar was part of the Punjabi *suba* .लाहौर डिस्ट्रिक्ट के साथ एक हजार साल से जुड़ा हुआ था। The irony of the situation is कि दोनों लव के नाम पर आधारित हैं और लव-कुश का जन्म स्थान भी श्री अमृतसर साहब है। लाखों लोग राम तीर्थ पर शीश झुकाने आते हैं। दोनों शहर पार्टीशन के बाद अलग हुए। The irony that I am coming to is that Lahore has been recognised as a world heritage site और श्री अमृतसर साहब इस देश की हैरीटेज साइट्स में नहीं है। सारी दुनिया में Lahore is the Number 8 city when it comes to infrastructure और श्री अमृतसर साहब नम्बर आठ पर नहीं हैं। मैं हैरान हूं, अगर मुझे हिस्ट्री बतानी पड़ती है। मैं क्या कहूंगा कि

उन्हें यह फिक्र है हर दम नई तर्जे दफा क्या है,

हमें भी शौंक है देखें कि सितम की इंतहा क्या है।

मेरे सभी भाई सुनें

गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं वाकिफ,

सितम करते हैं वो, खुदा जाने खता क्या है।

महोदया, हमारी खता क्या है? I know the time is less, and I will put it very succinctly. *Mahodya,* the hon. Prime Minister, a good man, a man of pedigree 50 लाख लोगों के सामने श्री अमृतसर साहब में घोषणा की और कहा, मुझे खुशी है, मैं उनके बेटे समान हूं कि मैं श्री अमृतसर साहब का शरणागत हूं और मैं चाहता हूं कि यह दर्जा श्री अमृतसर साहब को दिया जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री साहब को क्या कहूं, वे हमारे मेहरबां हैं, बहुत देर कर दी मेहरबां आते-आते। मैंने यहां उन्हें कहते हुए सुना था कि देश सिवा वरमोहे है, शुभ करमन् के कभहु न डरूं। महोदया, श्री अमृतसर साहब को कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ देंगे, तो उनका अपना दर्जा बढ़ जाएगा। मैं उनके पांव भी छुऊंगा, झोली ले कर उनके पास जाने को तैयार हूं। That is all that I have to say. अमृतसर हमारी शान है, हिंदुस्तान की आन है। वंदे कहो, कहो मातरम् बात है अपनी आन की, बात है अपनी शान की, जय भारत-जय भारतीय, जय बोलो हिंदुस्तान की।

SHRI PRATAP SINGH BAJWA (GURDASPUR): Hon. Speaker, we also associate ourselves to what Shri Navjot Singh Sidhu has said about Amritsar. Amritsar should get this status.

MADAM SPEAKER: Kindly send your names to the Table.

श्री कमल किशोर कमांडो, डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री महाबल मिश्रा, श्री ए.सम्पत, श्री सुदीप बंदोपाध्याय, श्री कल्याण बनर्जी, डॉ. काकोली घोष दस्तिदार, श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर, श्री अम्बिका बनर्जी, डॉ. रत्ना डे, श्री सतपाल महाराज, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री दुष्यंत सिंह, श्री प्रताप सिंह बाजवा अपने को इस विषय से संबद्ध करते हैं।

MADAM SPEAKER: Shrimati Maneka Gandhi – Not present.

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदया, जब नवजोत सिंह और हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए नोटिस देने के बारे में सोच रहे थे, तब मुझे एक ही आश्चर्य हो रहा था कि इतना बड़ा अन्याय अभी तक होता आया है, इसे किसी ने सुधारा क्यों नहीं। हम आपके आभारी हैं कि इस नोटिस को आपने एडमिट किया और इस बारे में आज चर्चा हो रही है। अगर देखा जाए कि यह जो

तर्क सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, this is ridiculous in the extreme. हम सभी लोग और माननीय मंत्री जी भी जानते होंगे कि हमारी सैंसस इतनी ज्यादा साइंटिफिक नहीं है कि वह एक हजार, दो हजार लोगों की गिनती करे और श्री अमृतसर साहब को सिर्फ इसलिए यह दर्जा न दिया जाए कि वहां की जनसंख्या दस लाख नहीं है, बल्कि दस लाख तीन हजार है। यह बड़ी विचित्र चीज है। मैंने जब नवजोत सिंह जी से कहा कि सरकार यह कहे कि 3000 लोगों की वजह से अमृतसर साहब को यह दर्जा नहीं दिया जा रहा है, मैं तो बिहार का हूं, अमृतसर में बहुत से बिहारी साथी रहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करके 3000 लोग वापिस ले जाऊंगा। सरकार कहे कि 3000 लोग कम कर दो तो हम यह दर्जा दे देंगे। श्री अमृतसर साहब की हेरिटेज का ख्याल नहीं, टूरिस्ट पोटेंशियल का ख्याल नहीं, हिस्ट्री का ख्याल नहीं। यह कहा जाना सरासर गलत है। मैं मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन की मोडिफाइड गाईडलाईन में साफ तौर से लिखा हुआ है -

> "The National Steering Group may consider addition or deletion of cities, towns under Category 'C' other than State Capitals based on the suggestions received from State Governments. The number of cities in the Mission shall, however, remain around 60. "

We can understand that number 60. It is due to fund constraints. But in the case of Amritsar, where is the hesitation? Where is the delay? In fact, Madam, if I may say, we were actually expecting an answer from the Government that, yes, this has been an oversight and is being corrected. But I was surprised this morning when I received this two-page note, which I think even if a computer was to churn out or even if it was done in a robotic fashion, it would not refuse. Nobody would refuse giving Amristar the status. It is refused just because of the 3,000 over the cut off mark. There is no scientific way to prove that those 3,000 is the exact number.

मैं दूसरी बात इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत बातें संस्कृति, इतिहास के बारे में करते हैं। हमें अकसर चिंता भी होती है कि हमारी नई पीढ़ी कल्चर और हिस्ट्री से नहीं जुड़ रही है, धीरे-धीरे सब चीजों को भूलती चली जा रही है। लेकिन हम सच मायने में सोचें कि हम सांस्कृतिक जगहों पर, ऐतिहासिक महत्व की जगहों पर कितना समय, कितना दिमाग और कितना धन खर्च करते हैं तो हम नहीं करते हैं। बिहार में गया स्थान है, मैं गया के लिए कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

किसी और चीज के लिए है। मैं विषय से अलग नहीं होऊंगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक इनक्रेडिबल इंडिया कैम्पेन चलता है। क्या इससे ज्यादा इनक्रेडिबल बात हो सकती है कि श्री अमृतसर साहिब को दर्जा न मिले, गया के बारे में न सोचा जाए, नालंदा के बारे में न सोचा जाए, which is the seat of learning universally, विक्रमशिला के बारे में न सोचा जाए। मैं तो सिर्फ इतना कहते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि अमृतसर साहब के साथ जो नाजायज हुआ है, इसे शीघ्रताशीघ्र, बिना किसी विलंब के, अगर संभव हो तो आज ही घोषणा हो जाए। आज बड़ा शुभ दिन है कि हमारे प्रणब मुखर्जी साहब का जन्मदिन है। वे सदन के नेता हैं। आज हमें आप यह तोहफा दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदया, आज की स्थिति ऐसी है कि कुछ समय देश में किसी न किसी वजह से से हर जगह तनाव है। कहीं किसी बकवास रिपोर्ट की चर्चा पर तनाव है, किसी राज्य में किसी और वजह से तनाव है, किसानों को लेकर तनाव है। अगर अमृतसर साहिब के बारे में घोषणा हो जाती है तो देश भर में एक अच्छा मैसेज जाएगा, तनाव कम होगा, एकता का संवाद जाएगा। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों से जो अनदेखी हुई है, इस अनदेखी को आज ही खत्म किया जाए।

MADAM SPEAKER: Shri Prem Das Rai—Not present.

Shri Raj Babbar—Not present.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam Speaker, one part of the hon. Member's Calling Attention is specifically mentioning about declaring Amritsar as a heritage city.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मैडम, इस विषय से संबंधित मैम्बर्स नहीं आये हैं। इसलिए आप हमें एक क्वैश्चन पूछने का मौका देने की कृपा करें। हमारे यहां इलाहाबाद में भी जवाहर लाल नेहरू शहर नगर निकाय योजना है।

अध्यक्ष महोदया : अभी मंत्री महोदय बोल रहे हैं, इसलिए आप बैठ जाइये।

SHRI V. NARAYANASAMY: Only on that part, I would like to clarify the position to the hon. Member who has given the notice.

The hon. Chief Minister of Punjab wrote a letter to the hon. Prime Minister on 26.8.2009 to declare Amritsar as a heritage city. In that, in the second part, he has mentioned that the purpose is to get the advantage under the JNNURM that is being implemented by the Urban Development Ministry. The Municipal Commissioner of Amritsar wrote to the Joint Secretary in the PMO reiterating the same view on 20th October 2009. The hon. Member of Parliament, Shri Navjot Singh Sidhu, wrote to the hon. Prime Minister on 24.10.2009 on the same issue and the main issue was availing of the financial assistance under the JNNURM.

Madam, I would like to mention here that there are some cities called 'heritage cities' by name. But, from the point of view of the legal terminology, under the Asian Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 the Government of India declared 3675 heritage sites and monuments and archaeological sites. States have also declared about 3700 and odd**.** Those sites and the archaeological monuments in the heritage sites are more than a hundred years old. The Act covers only those monuments and archaeological sites which are more than a hundred years old. There is no terminology called heritage city under our Act.

Going to the UNESCO, there also heritage sites have been mentioned and cultural heritage has been mentioned. I would like to mention that the terminology 'cultural heritage' under the UNESCO means monuments, architectural work, works on monumental sculpture and paintings, elements of structures of archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combination of features which are of outstanding universal value from the point of view of history and science. This is the UNESCO definition of cultural heritage sites.

In the year 2004, the Government of India took up the matter of declaring the Golden Temple as a heritage site. There were some objections raised within India and abroad. Therefore, it was not taken up further by the Government of India to UNESCO. There are natural formations which have been declared as heritage sites and the other is urban landscape. The purpose of this Calling

Attention is to declare a city as a heritage city. But it will not give the benefit of the JNNURM because it is on the population criterion as the hon. Minister has mentioned. The concept of heritage city has not been accepted universally anywhere.

Moreover, I would like to further submit here about Taj Mahal. Under the UNESCO it is a monument which has been universally accepted as of universal outstanding value. But Agra has not been declared as a heritage city. Take another example of Qutab Minar. It is also one of the world heritage sites. But the entire Delhi has not been declared as a heritage city. Therefore, under our law and also the UNESCO law, any city cannot be declared as a heritage city because if we declare it for argument sake, without admitting it, they have to go the authorities concerned for getting permission to raise construction or modification of a building. That will totally create a situation where the people of Amritsar will suffer.

Therefore, Madam, for the development of Amritsar we are all together on that issue. The Ministry of Urban Development will deal with the subject.

As far as declaring Amritsar as a heritage city, it is not the concept in our law and also under the UNESCO law. Therefore, Madam, it is not possible for the Government to consider that. … (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Madam, I have heard the impassioned plea of the hon. Member Shri Navjot Singh Sidhu on the question of declaring Amritsar as a heritage city and for transferring it from 'B' category city to 'C' category city. I think, hon. Member Shri Sidhu is suffering from a misconception. The fact that Amritsar is in the 'B' category does not mean that Amritsar does not have religious, tourist or other importance. We are next to none in respecting the holy status of the Guru Harmandar Sahib, founded 400 years ago by Arjun Devji, We are fully aware of the tourist attraction that Amritsar has.

But the question here is simple. It is on the question of inclusion under JNNURM. As I said, cities with a population of four million plus are

automatically included. Then cities with a population of one million plus are automatically included. So, to include those cities which are not coming under these two categories, we have made another categorization calling 'State Capitals and other cities of religious, historic and tourist importance'. Amritsar was automatically included. Why should Amritsar go under that category?

Madam, if I may give an example, Nanded, in Maharashtra associated with the memory of Guru Gobind Singh has been included in the third category. It has a population of only 4.31 lakh. Similarly, Hardwar, Mathura, Tirupati, Porbandar associated with the memory of Gandhiji, Bodh Gaya, Puri, Ajmer Pushkar – all these have been included in the 'C' category under JNNURM because they are not coming in the million plus population category.

So, to say that Amritsar is 'B' category does not mean that anybody is lessening the historic, tourist and religious importance of Amritsar. The only thing is that under JNNURM there is no provision for shifting a city from one category to another since it is strictly made on the basis of the population of 2001 census. Census is the only available data on population available to the Government of India.

So, I would appeal to hon. Member that there is still a balance of Rs. 345 crore available from the Central Government. We have already sanctioned five schemes for Amritsar. There is a balance of Rs. 345 crore. We would like to urge you and through you to the Government of Punjab that let them submit proposals for this huge amount. The amount of Rs. 345 crore means the total project would be of Rs. 690 crore. Tremendous improvement can be done in Amritsar with this money. You are not utilising the money that is already available and you are raising this demand which, I do not think, is very reasonable.

With all due respect, this is my submission.

MADAM SPEAKER : Thank you so much.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, हिन्दी में एक कहावत है - "तनख्वाह आधी कर दें पर नाम दरोगा धर दें " नाम और रुतबे का अपना एक महत्व होता है। सिद्धू जी ने यह विषय इसलिये नही

उठाया कि हमें सरकार से रुपये ज्यादा चाहिये। जब श्री नारायणसामी जी बोलने के लिये खड़े हुये तो हमारे मन में एक आशा जगी कि एक मंत्री की जगह दूसरा मंत्री खड़ा हुआ है, वह हमारी मांग को मान लेगा लेकिन हम सब को आश्चर्य हुआ कि आपने हमारी मांग को पूरी तरह से रद्द कर दिया। यह पहली बार हुआ है कि दोनों तरफ से एक मांग का समर्थन हुआ। उस तरफ बैंचों पर बैठे हुये लोगों ने भी कहा कि हम अमृतसर को हैरिटेज सिटी चाहते हैं। यहां से केवल सिद्धू जी ने नहीं बल्कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मांग के साथ है कि श्री अमृतसर साहब को हैरिटेज सिटी का दर्जा दिया जाना चाहिये। इतनी टैक्नीकल बात हो रही है कि 3000 लोग ज्यादा हैं। इतना सैंसेज़ आपका परफैक्ट हो गया कि आप 10 लाख तीन हजार पर पहुंच गये। मैं उस मांग को पुन: दोहराती हूं। श्री प्रणब मुखर्जी, नेता सदन यहां मौजूद हैं, उनका आज जन्म-दिवस भी है। वह अपने पीछे के दोनों मंत्रियों को ओवररूल करते हुये खड़े हों, गुरु की कृपा उन पर होगी।

श्री अमृतसर साहिब को आप हैरिटेज सिटी का दर्जा दीजिए। यह सवाल 3,000 या 3,100 का नहीं है, यह सवाल पैसे का नहीं है। हम पैसे के लिए नहीं मांग रहे हैं, यह आस्थाओं का प्रश्न है, यह भावनाओं का प्रश्न है। पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में सिख समाज के जो लोग रहते हैं, वे श्री अमृतसर साहिब को हैरिटेज सिटी ही मानते हैं। केवल उसे डिक्लेयर करने की बात है। मैं नेता सदन से प्रार्थना करूंगी कि जो तकनीकी बातें यहां कही गयी हैं, उन तकनीकी बातों से हटकर, वे आज यह तोहफा अपने जन्मदिन के दिन सारे सिख समुदाय को ही नहीं, क्योंकि श्री अमृतसर साहिब हिन्दुओं के लिए भी उतना ही प्रिय है, वह हम सब की भावनाओं का प्रतीक है। श्री अमृतसर साहिब को हैरिटेज सिटी डिक्लेयर करने का हम सब लोगों को उपहार दें।

महोदया, मैं आपके माध्यम से नेता सदन से यह कहना चाहती हूं।...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): तकनीकी बातों से ऊपर उठकर श्री अमृतसर साहिब को हैरिटेज सिटी का दर्जा डिक्लेयर करना चाहिए।...(व्यवधान)

(Placed in Library, See No. LT 1268/15/09)

MADAM SPEAKER: Now, we start 'Zero Hour'. Shri Sudip Bandyopadhyay.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, recently, we met the Prime Minister. Other parties also met the Prime Minister. The question was basically of law and order situation or killings in West Bengal. There is no differentiation … (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): How can law and order situation be raised? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: This is a State subject. What do you want from the Centre?

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Madam, police firing is going on. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: What do you want from the Centre?

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Every day there would be killings and nothing would be done. … (*Interruptions*) It is a failure on the part of the State Government. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. I want to know from him.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You tell me what you want from the Centre.

… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Police has fired indiscriminately towards the common people at Salbani, District Midnapore, resulting in six persons receiving the bullet injuries. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: What do you want from the Centre?

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

---

* Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। मैं उनसे पूछ रही हूं।

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I am asking him what he wants from the Centre.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You tell me what you want from the Centre. Do not raise a State matter.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

MADAM SPEAKER: Shri Badruddin Ajmal.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Kindly sit down. Please do not interrupt.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Do not raise your voice.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आपका हो गया। आप बैठ जाइए।

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1 p.m.

12.50 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirteen of the Clock.

---

* Not recorded.

13.01 hrs

The Lok Sabha re-assembled at One-Minute past Thirteen of the Clock.

(Madam Speaker *in the Chair*)

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS -- (GENERAL), 2009-10- Contd.

MADAM SPEAKER: Now, we will take up Item No.17. The hon. Minister is to reply on the Discussion on the Supplementary Demands for Grants (General) for 2009-2010.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Thank you, Madam, Speaker. First of all, I would like to express my gratitude to all the distinguished Members who have participated in the discussion on the first batch of the Supplementary Demands for Grants. I am, particularly, grateful to my distinguished colleague and predecessor Shri Yashwant Sinha because I, as a political activist, know how crucial his home-State election is. He was totally in the midst of the elections, but despite that and the election process is not yet over, still he has come here. He had also mentioned yesterday that it was his first appearance in this Winter Session itself. Naturally, as an experienced Finance Minister he managed the finance of this great country for such a long period of time and in a very difficult time also as it was not a very easy time. Unfortunately, in this Ministry, no Finance Minister can say that he is quite happy because after all the responsibility and complexity of this Ministry, particularly, in the context of our level of development, it is always difficult to maintain balance and keep every side in the proper perspective.

Before I come to the specific points that Shri Yashwant Sinha and other distinguished Members -- who have participated -- made, I would just like to give the broad features of the Supplementary Demands and the major items of expenditure for which I owe an explanation to the hon. Members and to the House, and through this House to the people of this country.

As the hon. Members are aware that in order to minimize the adverse impact of the global meltdown on the Indian economy, the Government took a conscious decision of continuing with the policy of providing the fiscal stimulus, and presented the Budget in 2009-2010 with a fiscal deficit of 6.8 per cent of GDP. The overall financial performance in the first half of the fiscal year 2009-2010 is in line with the Budget. I would not say that it is in line with the total satisfaction, but it is in line with the Budget estimates presented in July 2009. The impact of the stimuli have also started showing results with the economy as it has been noticed that in the first half of the fiscal year, the GDP growth in the first quarter has been 6.1 per cent, and in the second quarter it has been 7.9 per cent.

So, taken together, it would be around seven per cent. I do not know what would be the figure of the third quarter because we have noticed in the basket of GDP, in the first quarter, the contribution of agriculture was 2.5 per cent, but in the second quarter, the contribution of agriculture has come down to 0.9 per cent, and the full impact of the adverse monsoon might not have been totally reflected in that quarter. So, there may be layover in the remaining period, we will have to see.

We had to reduce the rates of taxes and duties which were continued in the Budget of 2009-10, to counter the adverse effects of economic slowdown, along with new Budget proposals in Direct and Indirect Taxes. The Gross Tax to GDP ratio was estimated at 10.9 per cent in the BE of 2009-10 as against the Gross Tax to GDP ratio of 11.5 per cent in 2008-09; that is of course a provisional account. In absolute terms, the Gross Tax revenue in BE in 2009-10 was estimated at Rs. 6,41,079.34 crore. This reflects a growth of 5.1 per cent over Gross Tax receipts of 2008-09. However, the Gross Tax revenue collection up to October, 2009, shows a decline of 7.5 per cent over the same period in 2008. This is primarily attributed to the steep decline in the Indirect Tax components, namely, the Union Excise Duties and Customs. It has to be noted here that in 2008-09, the Indirect Tax rates were much higher during this period. However, the likely shortfall in the Indirect Tax

components is expected to be compensated with the higher collection in the Direct Tax components in 2009-10.

The hon. Members will recollect, I am just giving the approximate figures, Rs. 3,70,000 crore is the Direct Tax, and Rs. 2,69,000 crore is the Indirect Tax. That was the component of the tax revenues. Taken together, it would be roughly about Rs. 6,39,000 crore. We will be reaching around that figure; maybe, a little plus or minus. But the component of the Indirect Taxes' share would be substantially reduced, as I have explained.

Plan expenditure during 2009-10 is estimated at Rs. 3,25,149 crore reflecting a growth of 18 per cent over the provisional actuals of 2008-09. This is 33.6 per cent over BE of 2008-09. Plan expenditure of Rs. 1,48,024 crore during April to October, in the first seven months, of current fiscal year account for 45.5 per cent of the BE 2009-10 and reflects a growth of 23.6 per cent over the previous year Plan expenditure during the same period. Considering the fact that Budget was presented only in July, 2009, and Plan outlay is at a historical high of 5.6 per cent of GDP, this shows good pace of the Plan expenditure.

However, non-Plan expenditure is estimated in BE 2009-10 at Rs. 6,95,689 crore which constitutes 68.1 per cent of the total expenditure during 2009-10, and reflects the growth of 14.8 per cent over the non-Plan expenditure of 2008-09. The non-Plan expenditure for the period of April to October has increased from Rs. 2,88,657 crore in 2008 to Rs. 3,88,837 crore in 2009, reflecting the growth of 34.7 per cent. This accounts for 55.9 per cent of the estimated non-Plan expenditure in BE 2009-10. The higher rate of growth in non-Plan expenditure is primarily on account of increase in salary and pension-related expenditure due to the implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations, increase in food and fertilizer subsidy and expenditure on account of agricultural debt waiver and debt-relief schemes to the farmers.

Major subsidy accounted for under the non-Plan expenditure have shown higher outgo during April-October of the current fiscal year when compared to the same period during the previous fiscal year. The outgo on the food subsidy for example has increased from Rs.28,673 crore to Rs. 44,550 crore reflecting a growth of 55.4 per cent. Another non-discretionary item, namely, pension has also shown higher outgo of Rs.25,402 crore during this period of the current financial year showing an increase of 67.7 per cent over the corresponding period of the previous year. Similarly, the increase in salary related expenditure is of the order of 51.2 per cent. This is on account of the implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations. In the latter half of the current fiscal year, rate of growth of salary and pension related expenditure would moderate due to the base effect because substantially we had to pay in that period and it was front loading and not evenly distributed.

Now I am coming to the borrowings. The net market borrowing requirement of the Government for the fiscal year 2009-10 through market loans is budgeted at Rs.3,97,957 crore inclusive of repayments amounting to Rs.53,136 crore. The gross issuance of dated securities for the fiscal year works out to Rs.4,51,093 crore. After adjusting the Budgeted de-sequestering of MSS cash balance amounting to Rs.33,000 crore, the budgeted issuance of dated securities to the market through auctions for the fiscal 2009-10, accordingly works out to Rs.4,18,000 crore. As against the above, dated securities amounting to Rs. 3,64,000 crore have been issued till December 4, 2009 accounting for 87 per cent of the gross borrowings. Even though the gross borrowings have increased by about 65 per cent over last year's actuals, this has been done in a non-disruptive manner. The Government borrowings are front loaded in the first half of fiscal year to ensure that there was adequate space for the private sector in the second half where their demand would pick up. The weighted average cost of the borrowings is also lower at 7.19 per cent as against 8.51 per cent in the corresponding period of the previous year. Despite the higher market borrowings

of the Government in the current year, there is ample liquidity in the system and RBI has been absorbing around Rs.1,16,000 crore per day on average in the current fiscal year through reverse repo transactions.

In the above background, I have presented before the House the Demands for the first batch of Supplementary Grants in 2009-10. This supplementary proposal includes 61 Grants and two Appropriations. Authorisation is being sought for the gross additional expenditure of Rs.30,942.62 crore of which cash outgo is proposed for Rs.25,725.22 crore including a provision of Rs.3139.90 crore for transfer of the disinvestment receipts already received in the Consolidated Fund of India as Non Debt Capital receipt to the National Investment Fund. Apart from this, the other proposals involve Technical Supplementaries of Rs.5,216.67 crore and Token Supplementaries of Rs.0.73 crore. The proposals involving Token and Technical Supplementaries are to be met from savings or enhanced receipts/recoveries and will not result in cash additionality.

The main items or the purposes for which I have provided cash additionality in the First Batch of Supplementary Demands 2009-10 include:

- Rs.242.10 crore for the purchase of Uranium for the Nuclear Fuel Complex and purchase of raw materials by Bhabha Atomic Research Centre and other units;
- Rs.249.70 crore for equity investment in Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited;
- Rs.3,000 crore for additional subsidy requirements relating to imported decontrolled fertilisers and indigenous Urea;
- Rs.800 crore for equity infusion in the National Aviation Company of India Limited (the old Air India);
- Rs.249.24 crore for meeting additional requirement towards payment of pensions in the Department of Telecommunications;
- Rs.171.75 crore for meeting additional requirements for Optical Fibre Cable based Network for Defence Services;

- Rs.3458.98 crore for food subsidies including payment of bonus on minimum support price and payment to State Governments on decentralised procurement of food grains;
- Rs.2,210 crore for additional requirements relating to Defence Pensions;
- Rs.1200 crore as additional provision for the National Calamity Contingency Fund;
- Rs.4533.33 crore towards additional expenditure on Civil Pensions and Family Pensions and other retirement benefits;
- Rs.3139.90 crore for transfer of disinvestment receipts to National Investment Fund for expenditure in respect of identified social sector schemes (An equivalent amount has been received as disinvestment proceeds on the receipts side);
- Rs.499.91 crore for reimbursement of losses to Cotton Corporation of India on account of minimum support price operation on cotton;
- Rs.404.55 crore for meeting the additional expenditure on projects undertaken by Delhi Development Authority in connection with the Commonwealth Games 2010;
- Rs.350 crore for equity contribution to Delhi Metro Rail Corporation (DMRC);
- Rs.1675 crore for providing loan as Pass Through Assistance to (i) DMRC (Rs.1500 crore), (ii) Bangalore Metro (Rs.135 crore), (iii) Chennai Metro (Rs.40 crore);
- Rs.1200 crore for meeting additional requirements under Integrated Child Development Services Scheme;
- Rs.350.58 crore for Loans and Advances to Organising Committee for the Commonwealth Games 2010;
- Rs.268 crore for other Commonwealth Games related expenditure, that is, re-creation of playing facilities, preparation of teams, upgradation/creation of venue for Commonwealth Games, incremental infrastructure in MTNL for providing connectivity to High Definition TV and Integrated Security Solutions;

• Rs.135 crore for carrying out BPL survey including the administrative expenditure.

If cash additionality of Rs.3139.90 crore sought to transfer to the National Investment Fund is excluded, for which an equivalent amount has already been received as Non Debt Capital Receipt, the proposals involving net cash outgo will amount to Rs.22,585.92 crore, or 2.21 per cent of the total Plan and Non-Plan expenditure provision in the BE 2009-10. Even this additionality is not expected to result in any significant variation from the Budget Estimates of Plan and Non-Plan expenditure in 2009-10, as there would be equivalent overall savings in other grants. The total expenditure for 2009-10 (including Railways) is, therefore, expected to remain within the Budget estimates 2009-10 of Rs.10,20,838 crore. With the prevailing trends in receipts and expenditures, coupled with the 'better than expected performance' in the economy during the second quarter of 2009-10, it is expected that the fiscal deficit will remain within the estimates of 6.8 per cent presented in the Budget in July 2009.

Madam, a question legitimately may be asked by the hon. Members, that when I am injecting cash outflow of Rs.25,000 crore, which will naturally exclude the amount of Rs.3,000 crore which has been deposited to NIF, how can I say that the total budgetary expenditures including Railways will remain the same? These are technical issues. Of course, my colleague Shri Sinha is fully aware of it; he does not require any explanations, but others may require.

It is because of the savings that will take place in other Grants for which I am not providing supplementary, there is no occasion that I will take into account and give the details of how much savings will take place under which Grant and under which account. But we have internally made the calculations and on the basis of that, I found out that there would be no net outgo, and the additionality of the expenditure compared to be 2009-10 of Rs.10,20,838 crore would not be more, because of the savings in some other areas and the demands are not synchronizing and that is why, this is taking place.

I would also like to respond to certain other points that the hon. Members have raised, particularly, my distinguished predecessor, Shri Yashwant Sinha, who has very correctly pointed out that the basic issue of the Indian economy currently with which we are confronted today is, to what extent we can manage inflation and to what extent we can achieve fiscal consolidation.

I have indicated the figures in the FRBM – I had projected in the Budget. I do believe that this is absolutely necessary because without that, it would not be possible for having any credibility about the economy. The situation which we had to face in 1989-90 and 1990-91 was, we went on merrily borrowing, without taking note of how we are going to maintain equilibrium, and it created a situation where we found an extremely awkward position and it was not easy for any Finance Minister to go and get money from outside sources, whether it is multi-lateral agencies or any other bilateral donors. It is not expected.

Therefore, keeping that in view, in the year, with which we started, that is, 2008-09, the fiscal deficit was 6.2 per cent, in 2009-10, the Budget that I presented, I left with a fiscal deficit of 6.8 per cent. I could not venture to take the risk of reducing it within the year; it was not possible because I could not withdraw the stimulus packages which amounted to Rs.1,86,000 crore in three instalments, and which have provided certain reliefs. But the commitment that we have made in the Budget document in July 2009, which I presented, is that we must come back to the fiscal deficit of 5.5 per cent by 2010-11 and 4 per cent in 2011-12.

I will have the additional advantage of the recommendations of the 13th Finance Commission whose reports are likely to be available before the end of the year; we should see what prescriptions they make for further fiscal consolidation; that will guide us.

Madam Speaker, it has been very correctly pointed out by Shri Yashwant Sinha that whether some of the expenditures which I have provided in the Supplementary Demands could have been anticipated. He gave the example of the Air India saying as to why I am providing Rs.800 crore for it in the Supplementary

Demands. The health of Air India was known to everybody. It was also known that it would require the Government support. We could not do it at the time of presentation of the Budget because the revival scheme of the Air India was not visible or available at that time. Thereafter, a Group of Ministers was appointed. The GoM sat, discussed and deliberated and after having interactions with the management of the Air India - I am using the old name not the new nomenclature, NACIL - gave certain recommendations. These recommendations include that we may have to provide Rs.2000 crore to it. In the first two months I am providing Rs.800 crore. After that they have promised to take certain deliverable steps which may improve the situation. I hope so. After all, we can only hope and we cannot predict in precise terms what is going to be the outcome.

Similarly, in respect of the Defence expenditure, particularly Defence pension expenditure, I agree with him that we knew what would be our expenditure on the pension accounts. As you know, the bulk of the enhancement made in the pay scales as per the recommendations of the Sixth Pay Commission was paid in 2008-09 but there were residues which we had to pay in the first half of 2009-10. That is why, in my written observations I have stated that the non-plan expenditure has increased substantially because we had to pay some of the residues of the debt-waiver scheme, some of the residues of the implementation of the Sixth Pay Commission's recommendations and the pensionary benefits, particularly to the large number of ex-Servicemen. Particularly PBOR, Persons Below officer Ranks, were to be provided the larger pensionary benefits which were not predicted in the Sixth Pay Commission as it was an improvement made after the negotiations. When it was finalised, I had to make the provisions for that.

Therefore, there are certain areas where certain expenditures were not anticipated. I am admitting it very frankly because after all, on money matter this House is the master of the whole thing. I cannot spend a naya paisa or even withdraw a naya paisa from the Consolidated Fund of India without the approval of my masters who are sitting around this House. Therefore, they should know the

inherent difficulty that any and every Finance Minister while presenting the Budget will have to face because he has to depend considerably on the estimate. Actual numbers are available to us maximum up to the month of December. Therefore, for three months of the current fiscal year, January, February and March, it will always be an estimate. With regard to the expenditure also there are estimates only. We expect that there may be some savings somewhere. It is difficult to identify. With that hope, sometimes on some occasions, it is not always, the actual requirement is little bit under-funded.

During 1999-2004, the average fiscal deficit was 5.5 per cent of GDP and the average fiscal deficit during 2004-08 was 3.58 per cent of GDP. Shri Yashwant Sinhaji, I am taking the same calculation. The bonds and other things which have been done earlier, I am not including them in it. As I mentioned earlier, the fiscal deficit during 2008-09 was 6.2 per cent and in the current year it is 6.8 per cent. But if we go year-wise, then we will find that there has been noticeable improvement. During 1999-2000, it was 5.3; 2000-01 – 5.6; 2001-02 – 6.2; 2002-03 – 5.9; 2003-04 – 4.5; 2004-05 – 4.0; 2005-06 – 4.1; 2006-07 – 3.5; 2007-08 – 2.7; and 2008-09 provisional account - 6.2.

Now, I do not know actually how much I will be able to save but due to the austerity measures on the non-plan side, there is five per cent and ten per cent cut on certain items. If it provides some savings and the trends which we have and as per the meeting which I had with the Financial Advisers of all the Ministries, who are the eyes and ears of the Finance Minister, I found up to September, there is some reduction in the non-plan expenditure. But I do not know to what extent it would be possible.

We are also trying to find out how to control the subsidies on fertilizer and petrol. As regards petroleum subsidy, we have appointed a Committee which is looking into it and they will give a report. Similarly, with regard to fertilizer subsidy, the Government is working on the nutrient based subsidy and direct

subsidy transfer to the farmers. Here too, I am waiting for the other inputs which may be available to us.

Two other initiatives which we have taken are the direct tax code for the reforms of direct taxes. This initiative was taken earlier but I am also carrying it on. I mentioned it in the other forum and in this House also I would like to assure the hon. Members that I do not have a closed mind. I have an open mind. I have laid certain proposals in the form of Direct Tax Code but that is not *Bhagwat Geeta*. It cannot be said that it cannot be changed. If the system does not accept it and if the people and the stake holders say that it is not acceptable to them, we will like to arrive at a consensus among all the stake holders on this issue and after that we will proceed to finalise it.

Similarly, on the GST, the initiative was taken during Shri Yashwant Sinha's time through the institution of Empowered Committee of the State Finance Ministers. We are also working on it. Still there are divergent views but I am not trying to iron them out by inflicting or imposing any decisions on them. I am allowing them to have discussions. I will also have discussions with them in other connections. Therefore, I do hope that these measures will help in fiscal management. I also do hope that the recommendations of the Thirteenth Finance Commission would also be helpful to us for the fiscal management. It would be prudent and we are looking forward to that.

Another issue was raised and legitimately concerns were expressed about the Central Government debt and debt-GDP ratio. It is true that at one point of time, the debt-GDP ratio reached as high as 63.5 per cent and for quite some time, the debt-GDP ratio was at that level. In 2002-03, it was 63.5; 2003-04, it was 63.0; 2004-05 – 63.3; and 2005-06 – 63.0. Then it has started coming down slightly and in the current year, in 2009-10, as per Budget Estimates, it would be 59.7 per cent.

Another issue has been raised. So far as the Revenue Deficit in the seven months is concerned, it is 73.1 per cent of BE. No doubt it is a matter of concern. But as the hon. Members are aware, sometimes we have to do frontloading of

expenditure as in this case we had to do it to meet the commitments of the Pay Commission; to meet the pensionary commitments and to meet the commitments in respect of certain other expenditures. But the revenue realisation is not frontloaded. It is more or less even. Sometimes revenue comes in the later part of the year. Therefore, the figure which is being shown in the first seven months of the year is not actually reflective figures. When we will reach the figure at the end of the year that will give the correct position.

Madam, there are some big ticket items, as I mentioned, like payment of increased salaries and pensions. I had to pay 60 per cent of the arrears, then increased expenditure on food and fertilizer subsidy, part payment under agricultural debt waiver and debt relief schemes. Therefore, one need not worry over it.

Another area of concern and this also is related to the overall economy – exports are still not picking up. Almost 13 months now starting from October 2008 till October, 2009, in all these 13 months there has been a negative growth. I am afraid that it will continue for some more time. My colleague, the Minister in charge of Commerce and Industrial Development has expressed some optimism and I would like to share his optimism and if it happens it will help us. But one factor remains and that is unless we diversify our export markets and if it is uni-directional which is currently now, nearly 62 per cent of the exports are directed towards North America, Europe and Japan and when there is an economic slowdown in these countries, naturally there is less demand and it gets reflected in our less export performance, poor export performance. It is happening like this. It is not possible to switch over to other markets. We should make conscious efforts so that it can be evenly spread and I do hope the various instrumentalities and trade agreements including CECA which we have with the ASEAN and other countries that will help diversify the export markets.

Madam, I would now refer to the last but not the least point, perhaps the most important point and that is pricing. No doubt, rising prices is a matter of

great concern. But this time unfortunately it has happened. It is not substantial because of the demand management. It is mainly because of the shortage of supply. There is an imbalance between demand and availability. Take the case of essential items like pulses, edible oil and sugar. There is always a perennial shortage of edible oil in this country. At one point of time we had to import two million tonnes of edible oil. Now we have reduced that substantially but still it is there. If the international commodity prices go up, then naturally our prices will also go up. There is a short supply of sugar. Yesterday there was an exhaustive discussion on it. When the requirement is 250 lakh tonnes or 25 million tonnes and if in the production there is a shortfall of four to five million tonnes, then naturally the prices will go up. There is also a cost-push factor which has to be kept in mind. Now, let us shut our eyes and keep in mind that if one quintal of sugarcane is sold at Rs. 200 plus, with 8 or 8.5 per cent recovery – then you add the conversion and other costs – what would be the final price of sugar? This is the ground reality.

Similar is the case with other essential commodities, like wheat and rice. We jack up the Minimum Support Price. The Minimum Support Price mechanism has undergone a major change. Originally the scheme was that if the market prices fall below a certain level, then the Government will intervene and buy at that price. Today, it is not relevant. Nobody can take a risk with regard to food grains, like wheat and rice. Therefore, the Government has to go in for a massive procurement. Currently, the wheat procurement price is Rs. 1,100 per quintal and the rice procurement price is Rs. 950 plus a bonus of Rs. 50 per quintal. By whatever name you call it, money is money. For one quintal of paddy, you have to pay Rs. 1,000 per quintal. When you procure 32 to 33 per cent of the total production and when you fix the benchmark price, how do you expect that the market prices will be less than that?

The third imbalance which is taking place is that the actual shortage. Take the case of pulse. Somehow or the other, even in the late eighties and early nineties, we made a mission mode exercise to have a programme to improve our

pulse production. But farmers did not buy it. I have suggested to the experts, in consultation with the Minister of Agriculture, to come out with another package which can induce the farmers to go in for larger production of pulses. With greater varieties of seeds and with some technological inputs, if we can make a break-through in the case of pulses, four to five million tonnes of shortage can be made up. Our total requirement is about 15 to 18 million tonnes, and our production is 14 million tonnes. So, there is a shortage of four million tonnes. Except Myanmar, Argentina, and Turkey, no other country has exportable surplus. See the dichotomy! We have put it under the OGL and there is zero duty for import. Still the private importers are not importing because they are making their own calculations. If they import, their landed cost would be more than the prevailing prices. We have put a large number of items, including sugar, under the OGL. But these are not coming because the international prices are ruling higher. When we have to calculate the international prices, we will also have to add the transportation cost and we have to take into account the landed cost at which the actual importers will import. We are trying to do it by providing subsidies, at least to protect the vulnerable sections of the society.

Therefore, to insulate the adverse impact of the price rise, particularly to the weaker sections, the biggest effective instrument is the Public Distribution System (PDS). If we can improve the Public Distribution System and improve the delivery mechanism --I have just stated that how much subsidies I am providing on foodgrains and other commodities and the benefit of providing subsidies we can get --if the Public Distribution System improves and its delivery capacity improves substantially so that, at least, the targeted group for which the Public Distribution System is meant, targeted Public Distribution System which is in operation, then it will be good. All these schemes which were mentioned yesterday like the *Antyodaya* Scheme, 35 kgs of rice for the BPL etc., - we are providing it. We are inducing the State Governments to have more off-takes, but the State Governments are also calculating whether they will make profit or loss

by taking that. But I do agree that price is an important issue which is to be tackled. This time there has been delayed impact of the seasonal factor. Normally, what we notice is that the prices of fruits, vegetables and milk, etc. go up at a particular season. But after the festive season in October is over, there is a tendency of coming down, but this year it has not taken place.

Somebody has suggested that why do you not ban the forward trading. On all the essential foodgrains items, ban has been put. Those items are banned for forward trading, but import is also not adequately taking place. Public Sector organizations are trying to import as much as they can. We have told them to at least ensure, to the extent it is possible. The latest figures which we got day-before-yesterday show some moderate trend, but I am not quoting it. I am keeping my fingers crossed and for another week or ten days I shall have to see that whether it has been set in or not. Otherwise, on 14 essential items, we are monitoring on a daily basis, but price is an important factor. There are certain elements as I mentioned earlier and one factor is cost-push. Another is, of course, the demand is increasing everyday and demand will increase. Production, marketing and the demand ought to be matched.

Madam, I would like to address the last point because some concern has been expressed about the actual quantum of the shortfall of foodgrains. Various figures are being quoted like 10 million tonnes, 15 million tonnes and at one point of time, it was thought of 20 million to 25 million tonnes. Even if I assume that it is 15 million tonnes, we have calculated the buffer which we are having including the strategic reserves and there will be adequate foodgrains availability. In the wheat season which will start from 1st of April, 2010, we will have nearly 7.7 million tonnes of surplus, and in the rice season which we have begun from 1st October, we had started the season with 66 lakh tonnes, which means 6.6 million tonnes. Keeping aside the normal buffer stock, the strategic reserve of 5 million tonnes, taking all these things into account, I am quite confident that there will be no shortage of the foodgrains, but we shall have to see that the foodgrains are

made available through the Public Distribution System, at least, for the targeted group at the affordable cost.

Shri Bishnu Pada Ray raised specific issues relating to Andaman and Nicobar Islands. Necessary allocations have been made for the UT of Anandman and Nicobar Islands for payment of arrears on account of the Sixth Central Pay Commission to the employees of the UT Administration. Provision for payment of the salaries and arrears is made in respect of the employees of the UT of the Andaman and Nicobar Islands and not for the employees of the local bodies. This is meant for the Central Government employees. UT employees are Central Government employees but the local body employees are not.

For the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Limited, a sum of Rs.11 crore has been provided as Non-Plan loan in the BE 2009-10. Pending approval of the restructuring of this Company, the amount has been approved for release in order to meet the salary and the statutory dues of the Company. These few specific issues were raised by the hon. Member who represent that Island Territory. So, I thought that I should respond to them.

Once again, I express my gratitude to the hon. Members for their very valuable suggestions, each one of which, I have noted. Thank you Madam Speaker.

MADAM SPEAKER: Thank you, hon. Minister.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants (General) for 2009-10 to the vote of the House.

The question is:

> "That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March,

2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1, 2, 4 to 7, 9, 11, 12, 14, 17 to 21, 28 to 33, 35, 38, 39, 41, 44, 46, 49, 51, 53 to 55, 57 to 62, 64, 65, 67, 71, 74, 79, 80, 84, 86 to 88, 90 to 93, 100, 101 and 103 to 105."

The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: The Supplementary Demands for Grants (General) for 2009-10 are passed.

13.53 hrs

APPROPRIATION (No.4) BILL, 2009*

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2009-10.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2009-10."

The motion was adopted.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I introduce** the Bill.

MADAM SPEAKER: Item No. 19 - Hon. Minister.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I beg to move**:

> "That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2009-10, be taken into consideration."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2009-10, be taken into consideration."

The motion was adopted.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.12.09.

** Introduced and Moved with the recommendation of the President.

MADAM SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and theLong Title were added to the Bill.

MADAM SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MADAM SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

13.56 hrs

JHARKHAND CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) BILL, 2009 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – (JHARKHAND), 2009-10

MADAM SPEAKER: The House will now take up item nos. 20 and 21 together.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Madam Speaker, I beg to move:

> "That the Bill to amend the Jharkhand Contingency Fund Act, 2001 be taken into consideration."

The Supplementary Budget is introduced to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand and the monies required to meet the supplementary expenditure charged on the Consolidated Fund of the State of Jharkhand. Since the Parliament was not in session and the circumstances existed which rendered it necessary for temporary enhancement of the ceiling of the Jharkhand Contingency Fund from Rs. 150 crore to Rs. 500 crore, this Bill has been introduced here.

The State Government has sought Supplementary Grants to the tune of Rs. 1,074.03 crore out of which Rs. 40 lakh is charged. The Non-Plan demand is Rs. 412.30 crore to meet the drought situation. The other major component of expenditure is Rs. 29.38 crore on election, Rs. 20 crore on roads and Rs. 54.14 crore on education.

MADAM SPEAKER: Mr. Minister, you may speak on the Bill.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Madam, the 2009-10 Budget of the State of Jharkhand received the assent of the President on 22nd July, 2009 and the date of issue of the Jharkhand Contingency Fund Ordinance, 2009 was 20th October, 2009. The matter for consideration today is the Supplementary Budget for 2009-10 and the Bill to amend the Jharkhand Contingency Fund Act, 2001.

MADAM SPEAKER: Motions moved:

> "That the Bill to amend the Jharkhand Contingency Fund Act, 2001 be taken into consideration."

> "That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 3, 6, 9, 10, 18, 21 to 23, 26, 27, 30, 33, 39 to 42, 44, 47, 48 and 51."

13.58 hrs (Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the Chair*)

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): सभापति महोदय, मैं तीन-चार बातें आपके माध्यम से इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि ये जो अनुपूरक मांगें आई हैं, क्या इन्हें इस सदन में लाना उचित है? झारखंड में चुनाव चल रहे हैं। वहां अभी दो फेज का चुनाव बाकी है- एक फेज कल होगा और लास्ट फेज 18 दिसम्बर को होगा। वहां अभी 30 सीटों का चुनाव होना बाकी है, जबकि अभी सिर्फ 51 सीटों का चुनाव हुआ है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इसे इस समय इस सदन के सामने लाना सर्वथा अनुचित है।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): यह आचार संहिता का उल्लंघन है।

श्री यशवंत सिन्हा : चुनाव आयोग के द्वारा जो आचार संहिता लगी हुई है, यह उसका खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है। झारखंड के चुनाव के नतीजे 23 दिसम्बर को आ जायेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि एक-दो

दिन के भीतर वहां एक सरकार का गठन हो जायेगा। वह सरकार फिर वहां विधानसभा बुलाकर अनुपूरक मांगे पारित कर सकती थी...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सिन्हा जी, सरकार द्वारा कुछ पत्र सभा पटल पर रखने हैं। इसके पश्चात आप अपना भाषण जारी रखेंगे।

14.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE – CONTD.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, on behalf of my colleague, Shri S.S. Palannimanickam, I beg to lay on the Table:

(1) A copy each of the following notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-

(i) Notification No.137/2009-Customs published in Gazette of India dated the 11th December, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002.

(ii) Notification No. 138/2009-Customs published in Gazette of India dated the 11th December, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 69/2004-Customs, dated the 9th July, 2004.

(iii) Notification No. 139/2009-Customs published in Gazette of India dated the 11th December, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 20/2006-Customs, dated the 1st March, 2006.

(Placed in Library,See No. LT-1266-A/15/09)

14.02 hrs.

JHARKHAND CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) BILL, 2009 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – (JHARKHAND) 2009-10 –Contd.

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): सभापति महोदय, मेरा पहला एतराज यह है कि झारखड की अनुपूरक मांगे इस सदन में नहीं आनी चाहिये थीं। आज 11 दिसम्बर है और सदन में हम चर्चा करने जा रहे हैं जबकि झारखड विधानसभा के नतीजे 23 दिसम्बर को आ जायेंगे। केवल 12 दिन का समय है और उसके बाद सरकार का गठन होगा। वह सरकार अपनी व्यवस्था जिस तरह से चाहेगी, चलायेगी।

सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेता का भी पूरा सहयोग मिल रहा है कि एन.डी.ए. स्पष्ट और आरामदेह बहुमत की तरफ बढ़ रही है। 25 दिसम्बर को हमारे आदरणीय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। उस दिन तोहफे के रूप में हम झारखंड की सरकार उन्हें अर्पित करेंगे। उसके बाद वह सरकार अपना काम चलायेगी। कहां अनुपूरक मांगें चाहिये, कहां क्या करना है और कहां क्या नहीं करना है, उस सरकार पर छोड़े दें, यह सरकार क्यों तय करे? फिर मामला केवल 15 दिन का ही तो है।

सभापति महोदय, मैं अनुपूरक मांगों की आइटम्स देख रहा था और उनमें ऐसी कोई आईटम नहीं है जिसे 15 दिन के लिये स्थगित न किया जा सके। माननीय मंत्री जी बतायें कि क्या उसके बगैर झारखंड सरकार रुक जाती या कोई बड़ा आवश्यक काम रुक जाता, क्या इसे पारित कराना आज के दिन आवश्यक था? इसलिये, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसे वापस ले लें। अगर वापस नहीं लेते हैं तो सदन इसे खारिज कर दे।

सभापति जी, मैं अनुपूरक मागों की आइटम्स देख रहा था जिनमें एक आईटम तिमाड़ विधानसभा के हुये चुनाव का खर्च इसमें दिखाया गया है। आप सभी लोग उस इतिहास को जानते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन तिमाड़ विधानसभा क्षेत्र से जनवरी में चुनाव लड़े थे लेकिन हार गये। उसके बाद 19 जनवरी को वहां राष्ट्रपति शासन लगा। यहां राज्य का बजट पारित किया गया तो उस समय यह आइटम शामिल क्यों नहीं की गई? जनवरी, 2009 की आइटम आज के अनुपूरक मांगों में नहीं शामिल की जानी चाहिये थी क्योंकि उसका खर्चा पहले ही हो चुका है। इसी तरह मैं कई और आइटम्स देख रहा था। अगर बजट ढंग से बनाया जाता तो उसी समय उन्हें शामिल किया जाना चाहिये था जब बजट पारित हो

रहा था। भारत सरकार ने अनुपूरक मागों में जिन बिन्दुओं को बहस के लिये रखा है और जिस जबरदस्त तरीके से झारखंड की अनुपूरक मांगें रख रहे हैं, यह तो एक तरह से अकुशलता है।

यह इतना मजाक है कि जो आइटम्स जनवरी, फरवरी में हुए वे झारखंड के जुलाई, अगस्त के बजट में शामिल नहीं किए गए। वहां पर इस तरह का बेकार बजट कौन बनाता है? वास्तव में यह एक शर्म का मामला है। बजट में हम जिन-जिन आइटम्स को एन्टीसिपेट कर सकते थे, उन्हें एन्टीसिपेट नहीं किया गया और सप्लीमेंट्री डिमांड लेकर आ गए कि साहब, यह हमें चाहिए। उसी के चलते 150 करोड़ रूपए की जो आकस्मिक निधि थी, उसके लिए ऑर्डिनेंस ले आए कि इसे 500 करोड़ रूपए कीजिए। इसकी क्या आवश्यकता थी? इसमें कहीं पर भी आपने अनुपूरक मांगें पेश कीं, मैं खोज रहा था कि इसमें कहीं पर भी लिखा जाता कि अब तक कितना खर्च हो गया, किस आइटम पर कितना खर्च हुआ। कम से कम आप सितम्बर तक की तो फिगर देते कि सितम्बर तक इतना खर्च हुआ। उसके बाद आप कहते कि हमें इतना चाहिए तो हम आपको उपलब्ध कराते।

महोदय, वह स्टेटमेंट इसमें नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि झारखंड के बजट के बारे में अखबारों में जो खबर छपी है। वह यह है कि 8,200 करोड़ रूपए की योजना मद है। शायद यह नवंबर के अंत तक की फिगर है कि 8,200 करोड़ रूपए के खिलाफ सिर्फ 2,056 करोड़ रूपए ही खर्च हुए हैं। जब खर्चा ही नहीं हो रहा है तो योजना मद में किस बात की सप्लीमेंट्री डिमांड। केन्द्रीय योजना 1,355 करोड़ रूपए और खर्च 244 करोड़, गैर योजना 13, 437 करोड़ रूपए और खर्च 4,200 करोड़। कुल बजट 22,992 करोड़ रूपए और खर्च 6,500 करोड़। नवंबर के अंत तक यही खर्च है और उसके बाद कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री दो, काहे के लिए सप्लीमेंट्री दो, किस बात के लिए सप्लीमेंट्री। सितंबर के अंत तक कोई स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर नहीं है। अखबारों में जो बात छप रही है, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं, खर्च के मामले में।

महोदय, मंत्री महोदय को बताना पड़ेगा, अगर उसे विदड्रा नहीं कर रहे हैं कि उन्हें किसलिए चाहिए, किस बात के लिए चाहिए। जब खर्च ही नहीं हो रहा है तो एडिशनल पैसा झारखंड सरकार को क्यों दिया जा रहा है? अब आप देखिए, इसमें मैं कह रहा था कि बहुत सारी बातें हैं। रेलवे के लिए राज्य सरकार का जो कन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके लिए इस सप्लीमेंट्री डिमांड में हमने व्यवस्था की है। राज्य का जो कन्ट्रीब्यूशन है, हम लोगों के समय में यह तय हुआ था कि जो नयी लाइनें झारखंड में बिछायी जाएंगी, उसमें दो तिहाई रेल मंत्रालय यानी कि भारत सरकार देगी और एक तिहाई झारखंड सरकार देगी। यह तो बहुत दिन पहले का कमिटमेंट है। जब बजट बना तो उसमें एक तिहाई कन्ट्रीब्यूशन के लिए व्यवस्था

क्यों नहीं की गयी, उसे अब सप्लीमेंट्री डिमांड्स में क्यों लाया जा रहा है? कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है कि इसका यह हाल क्यों हुआ?

महोदय, उसी तरह से वसूली की स्थिति भी अच्छी नहीं है। जितनी वसूली होनी चाहिए, उससे बहुत कम वसूली हुई है। झारखंड को जो बजटरी घाटा है, वह आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। अब मैं आपके सामने झारखंड की ओवर ऑल तस्वीर आपके सामने रखता हूं। झारखंड के ऊपर कर्ज का जो भार है, वह धीरे-धीरे बढ़ता चला गया है। अभी झारखंड के ऊपर 22 हजार करोड़ रूपए का कर्ज है और उसमें 4,575 करोड़ रूपए का घोटाला है। 22 हज़ार करोड़ रुपये का ऋण है और 4575 करोड़ रुपये का घोटाला है। अभी परसों वित्त मंत्री जी झारखंड में थे। उन्होंने वहाँ मीडिया को कहा कि झारखंड में जन वितरण प्रणाली फेल हो गई है। यह देश के वित्त मंत्री का राँची से बयान है। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि झारखंड में जन वितरण प्रणाली फेल हो गई है इसलिए महंगाई का असर यहाँ अधिक है। ''जन वितरण प्रणाली की दुकानों से गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों के लिए चीनी, खाद्य तेल, दाल, चावल सस्ती दरों पर मिलती है। यदि जन वितरण प्रणाली ठीक रहती तो यहाँ के गरीबों को चीनी पाँच रुपये किलो में उपलब्ध होती। ऐसा नहीं होने के कारण झारखंड में महंगाई का ज्यादा असर पड़ा है।'' यह वित्त मंत्री जी का बयान है। यहाँ उनके राज्य मंत्री महोदय का सदन के सामने स्टेटमैंट है ''Distribution of levy sugar has been started. Doorstep delivery of food grains has also been initiated.'' आप झारखंड के सांसद हैं, मैं झारखंड का सांसद हूँ। आप बताइए कि डोरस्टैप डिलीवरी ऑफ फूडग्रेन्स कहाँ हो रहा है झारखंड में? लेवी शुगर पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम से कहाँ मिल रही है? या तो राज्य मंत्री महोदय ने इस सदन को गुमराह करने के लिए यह स्टेटमैंट पेश किया या यहाँ कल-परसों जो उनके सीनियर वित्त मंत्री महोदय कहकर आए हैं, उन्होंने सही बात नहीं कही। क्यों नहीं कहेंगे सही बात? जब वे राँची गए थे, वहाँ उन्होंने बयान दिया चुनाव के समय और यह कहा कि झारखंड में जन-वितरण प्रणाली फेल हो गई है, तो क्या हम डोरस्टैप पर डिलीवरी दे रहे हैं? बिल्कुल असत्य बात यह लिखी है कि चीनी पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम से मिल रही है, फूडग्रेन्स को डोरस्टैप पर डिलीवर कर रहे हैं। कहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): सही कौन है?

श्री यशवंत सिन्हा : यह तो वे बताएँगे कि कौन सही है। दोनों के बीच में जो विरोधाभास है, उसको मैंने आपके सामने रखा। जब जन वितरण प्रणाली फेल हो गई तो इसमें बहुत सारे आइटम्स ऑफ एक्सपैंडीचर

हैं, जो जन वितरण प्रणाली से ही संबंध रखते हैं कि हमें फ्री फूडग्रेन्स के लिए इतना चाहिए, उतना चाहिए। वह सब बेकार है, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा।

कल यहाँ पर नरेगा पर चर्चा हो रही थी। सामान्य चर्चा हो रही थी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उनकी दुखती रग है, क्यों बोलते हो।

श्री यशवंत सिन्हा : एक सदस्य वहाँ बैठे थे। उन्होंने खूब ज़ोर ज़ोर से कहा कि नरेगा ऐसी योजना है जो दुनिया भर में कहीं नहीं चली। ...(व्यवधान) सभापति महोदय, उस वक्तव्य के बाद मैंने जाकर कुछ और जाँच की कि झारखंड में नरेगा में जितने जॉबकार्डधारी बने, उन सबको सौ दिन का रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए 4000 करोड़ रुपये के आबंटन की आवश्यकता है। पिछले वर्ष जो ज़रूरत थी, उसके बदले आबंटन 2500 करोड़ रुपये था। 2500 करोड़ रुपये तो आबंटन ही कम रहा। उसके बाद आप देखिये सितंबर के महीने में वहाँ के राज्यपाल महोदय का एक बयान आया जो अखबारों में छपा। ''नरेगा फेल्ड - 10 अरब लैप्स्ड।'' 2500 करोड़ रुपये की एलोकेशन है और उसमें से राज्यपाल महोदय के अनुसार 1000 करोड़ रुपये भारत सरकार को वापस लौट गया क्योंकि खर्च नहीं हो पाया। खर्च कितना हुआ - 1500 करोड़ रुपये। कितने की आवश्यकता थी - 4000 करोड़ रुपये की। उसके बाद उन्होंने कहा कि कैसे फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, उनके एक सलाहकार हैं राष्ट्रपति शासन में जिनका नाम है ... * । उनका बयान छपा है। अखबार में लिखा है कि इस अवसर पर...* ने कहा कि नरेगा की योजनाओं को लागू करने में सबसे भ्रष्ट जे.ई. है, जे.ई. का मतलब जूनियर इंजीनियर है और बी.डी.ओ. उससे भी भ्रष्ट है। जे.ई. सोचता है कि वह जो कर रहा है, वही अच्छा है।

सभापति महोदय, ग्रामसभा पर उसे विश्वास नहीं है। नरेगा तब तक सफल नहीं होगा, जब तक गांवों के लिए पैसा नहीं मिलेगा। सभी जानते हैं कि हमारे यहां पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं और इसलिए सरकारी पदाधिकारी इसे चलाते हैं। ग्रामसभा कहीं नहीं होती है, ग्रामसभा के नाम पर सरकारी दफ्तर में लोग बैठ कर उसकी कार्यवाही तय कर देते हैं और वहीं पर ठेकेदार तय हो जाता है। बैंक एकाउंट की बात हुई, बैंक एकाउंट नहीं खुलता है। वहां पर पता नहीं लोगों को कितने दिनों तक मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। बैंकों की हालत यह है कि वहां जब लोग जाते हैं तो बिना पैसे लिए हुए बैंक के पदाधिकारी उन्हें पैसा निकालने की अनुमति नहीं देते हैं। हर स्तर पर भयंकर भ्रष्टाचार झारखंड में है और उससे नरेगा भी अछूता नहीं है। अगर किसी को सर्टिफिकेट चाहिए तो राज्यपाल महोदय का खुद का और उनके सलाहकार का बयान इस बात को साबित करता है।

---

* Not recorded.

सभापति महोदय, मुझे जब हमारे उपनेता ने झारखंड में फोन करके कहा कि यहां अगर आप आ रहे हैं तो इस विषय पर बोलें तो दो-तीन दिन के अखबार को मैंने ज्यादा गौर से देखा। अखबार में एक हैड लाइन दी हुई है कि चीफ इंजीनियर सहित चार इंजीनियर सस्पैंड। ये क्यों सस्पैंड हुए, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। किसानों से प्राप्त बीज के पैसे कृषि पदाधिकारी खा गए। बोकारो एक छोटा जिला है, सब जिले अब छोटे हैं। एक जिले में बी.आर.डी.एफ., बैकवर्ड रीज़न डेवलपमेंट फंड जो है, उसमें 41 करोड़ का घोटाला। ये सब ज़मीनीस्तर पर हो रहा है। डीजीपी से जवाब-तलब, क्योंकि सिक्रेट फंड का घोटाला हो गया। दो आईएएस आफिसरों के ऊपर कार्यवाही, क्योंकि वे अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा अन्न योजना का अन्न निगल गए।...(व्यवधान) ''बीज वितरण में गड़बड़ी, फंसेंगे अधिकारी।'' विष्णुगढ़ में, जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में है, नरेगा का दो करोड़ रुपया मजदूरों का बकाया। वह बेचारा काम करके बैठा हुआ है और महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन उसे पेमंट नहीं होता है। उसे इसलिए पेमंट नहीं होता है, क्योंकि जब तक वह पैसा नहीं खिलाएगा, तब तक उस मजदूर का पेमंट नहीं होगा। ये सब जो व्यवस्था बनी है कि बैंक में रुपया जमा हो जाएगा और सीधे बैंक से आराम से निकल जाएगा। ये सब कागज पर है, कम से कम झारखंड में यह लागू नहीं है। राजीव गांधी विद्युतीकरण का काम धीमी गति से हो रहा है, डेढ़ साल में मात्र 22 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। ''करोड़ों खर्च के बावजूद हजारों लाभुक आवासहीन,'' यहां पर नरेगा से ही संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि एक जिला है, वहां कुछ धार्मिक एनजीओज़ हैं। झारखंड में खूब चलता है - धार्मिक एनजीओ। चार सौ करोड़ रुपए नरेगा के नाम पर धार्मिक एनजीओज़ को दे दिया गया। एक पर्टिकुलर जिले में, जहां खास तौर पर एक व्यक्ति का प्रभाव है, मैं जानता हूं, मगर मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वह दूसरे सदन में है।

सभापति महोदय, उनके कहने पर नरेगा के अंदर 20 करोड़ या 25 करोड़ रुपए वहां दे दिए गए और कुछ खर्च नहीं हुआ। अब लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह उसे वापस लिया जाए। कितना कहें। अब अगर यहां से, सप्लीमेंट्री डिमांड पारित कर, पैसे भेजते हैं और भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश नहीं लगता है, तो मैं बहुत गम्भीरता के साथ, इस बात को इस सदन में कह रहा हूं कि इस पैसे का भी वही हस्र होगा, जो कि पहले गए पैसों का हुआ। यह सदन यहां इसलिए नहीं है कि हम लोग अनुमति दे दें और वहां जाकर पैसे लुट जाएं।

सभापति महोदय, झारखंड में, सिर्फ ऊपरी लैवल पर, मधु कोडा के लैवल पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, केवल वही समस्या नहीं है, वह तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है ही, लेकिन उसके साथ-साथ निचले स्तर पर अब जो भ्रष्टाचार पहुंच गया है, उसका कैंसर हमारी बॉडी पॉलिटी में फैलते-फैलते, हर अंग को टच कर रहा है। वहां राज्य सरकार का हैलीकॉप्टर चलता था। उसके दुरुपयोग का मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है। अब बार-बार राज्य सरकार से मांगा जा रहा है कि कौन चढ़ा, नहीं चढ़ा, बहुत लोग चढ़े, नाम ही एंटर नहीं किया। आप समझ सकते हैं कि सिविल एविएशन रूल का इस प्रकार से उल्लंघन किया गया है और सरकारी प्रॉपर्टी को अपनी फेमिली प्रॉपर्टी समझा गया। अपनी बपौती समझ रहे हैं कि हैलीकौप्टर में जो चाहे, चढ़ जाए। ...(व्यवधान) मैं राज्यपाल के बारे में अभी कहता हूं। आप सोचिए कि जब वहां इस तरह का भ्रष्टाचार है, नरेगा हो या विकास की दूसरी योजनाएं हों, तो क्या हम पैसे को वहां लूटने के लिए उपलब्ध करा दें? मैं सदन में कह रहा हूं कि झारखंड को तब तक एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, जब तक कि वहां पर चुनी हुई सरकार बहाल नहीं हो जाए और चुनी हुई सरकार जब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाए।

सभापति महोदय, अब आप देखिए कि मधु कोडा मुख्य मंत्री बना दिए गए, किसने बनाया, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं यही कह सकता हूं कि हमने नहीं बनाया। इन्होंने बनाया, इन्होंने नेतृत्व संभाला कि एन.डी.ए. की सरकार को गिराकर, निर्दलीय मुख्य मंत्री, मधु कौडा को, जो निर्दलीय विधायक थे, उनके समर्थन से बना दो। वे बन गए। उसके बाद उनके 23 महीनों में जो कुछ हुआ, वह अब दुनिया के सामने है, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है, वह यह है कि उसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की कोई एजेंसी जांच नहीं कर रही है। मैं चाहूंगा कि उसकी जांच कौं-कौन सी एजेंसियां कर रही हैं, यह वित्त मंत्री महोदय बताएं क्योंकि वे वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि उसमें इन्वैस्टीगेशन हो रहा है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ऐनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट का, उसमें इन्वैस्टीगेशन हो रहा है इन्कम टैक्स का। ये दोनों केन्द्रीय एजेंसीज हैं। उसके बाद इन्वैस्टीगेशन हो रहा है, राज्य के निगरानी विभाग का। बहुत दिनों तक हम लोग कहते रहे कि इसमें करप्शन की जांच कहां हो रही है? इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, वह इन्कम टैक्स कलैक्ट करेगा। इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट का काम करप्शन इन्वैस्टीगेशन करने का नहीं है। वह तो कहेगा कि तुम्हारी इतनी इन्कम हुई, उस पर टैक्स दो। अगर उसमें जानबूझकर किसी ने छिपाया है, तो उसके लिए जो पैनल्टी है, वह पैनल्टी लगाएगा। इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट, भ्रष्टाचार के लिए मधु कोडा और उनके सहयोगियों को कोर्ट-कचहरी में खड़ा नहीं कर सकता। प्रवर्तन निदेशालय क्या करता है, प्रवर्तन निदेशालय, मनी लॉंडरिंग एक्ट

के अन्तर्गत, अगर मनी लॉंडरिंग हुआ है, हवाला ट्रांजैक्शन हुआ है, यहां का पैसा बाहर गया है, तो वह उसकी जांच करेगा, कर भी रहा है। आज ही मैंने अखबार में देखा कि कोर्ट की परमीशन ली है और लैटरोगेटरी भेज रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट के लोग सात मुल्कों में जा रहे हैं, यह देखने के लिए कि उन्होंने कहां-कहां इन्वैस्टमेंट किया है। ...(व्यवधान) वे पिकनिक मनाएंगे और क्या करेंगे। वे सात मुल्कों में जाएंगे, लेकिन एनफोर्टमेंट डायरैक्टोरेट भी भ्रष्टाचार की जांत तो नहीं करेगा। भ्रष्टाचार की जांच प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में होगी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, स्टेट का निगरानी डिपार्टमेंट जांच करेगा या सी.बी.आई. जांच करेगी, तीसरी कोई संस्था जांच नहीं करेगी। इस केस में सी.बी.आई. की जांच नहीं हो रही है। राज्य की निगरानी जांच करने जा रही है। राज्य की निगरानी क्या जांच कर रही है कि उनके पास आय से अधिक सम्पत्ति है। आय से अधिक सम्पत्ति की जांच हो रही है और हम सब जानते हैं, यहां कपिल सिब्बल जी बैठे हैं, बहुत ही एमीनेंट लॉयर हैं कि आय से अधिक सम्पत्ति का मामला जब आता है तो सबसे ज्यादा मुश्किल उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना होता है और सब जानते हैं कि कैसे बड़े-बड़े राजनेताओं के खिलाफ भी वह फेल कर गया है।

लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अभी तक दो चीजों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। स्पेसिफिक केसेज़ ऑफ भ्रष्टाचार हुए हैं। माइनिंग लीज़ दी गई, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। इसमें आय से अधिक सम्पत्ति का मामला तो समझ में आता है कि उसने पहले भ्रष्टाचार किया, तब सम्पत्ति अर्जित की तो आप उसके खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति का मामला चालू करो। लेकिन उसने आय से अधिक सम्पत्ति उपलब्ध कैसे की, उसकी आय का वह पैसा कहां से आया, इस पर दो बातें, जो मैं कह रहा था, बहुत महत्वपूर्ण हैं। नम्बर एक-मधु कौड़ा ने तो फाइलों में वह नोट नहीं लिखा कि फलां-फलां व्यक्ति को या कम्पनी को माइनिंग लीज़ दे दी जाये। वह किस पदाधिकारी ने लिखा होगा, वह कौन पदाधिकारी था? आज तक किसी भी अखबार में मैंने ऐसे पदाधिकारी का नाम नहीं पढ़ा है। आज तक इस बात की कहीं जांच नहीं हो रही है कि किस पदाधिकारी ने फाइल में क्या लिखा, जिस पर कि मधु कौड़ा ने अपने हस्ताक्षर किए होंगे तो कैसे पदाधिकारी बिल्कुल बचे हुए हैं? उनके खिलाफ क्या जांच हो रही है? आय से अधिक सम्पत्ति की स्टेट निगरानी जांच करेगी तो क्या उसमें पदाधिकारी चक्कर में आएंगे, परिधि में आएंगे? नहीं आएंगे।

दूसरा कि चार हजार करोड़ रुपये का घपला हो गया तो किसी ने दिया होगा न, उसको उसने भारत सरकार के मिंट से तो प्रिंट नहीं किया, किसी ने उसको दिया। किसने दिया, यह जांच नहीं हो रही है। किसी कम्पनी ने दिया होगा, जिसको फायदा हुआ होगा। उसकी जांच कौन कर रहा है? कोई नहीं। मैं इस सदन में भारत सरकार के ऊपर यह आरोप लगाता हूं कि जान-बूझकर मधु कौड़ा के मामले को ठंडे बस्ते में डालने का *(Interruptions)* ...* प्रयास हो रहा है। क्यों? क्योंकि मधु कौड़ा की डायरी के पृष्ठ अखबारों में छपे हैं। उसमें नाम लिखे हुए हैं कि फलां-फलां को उसने दिया। जरा सी जांच होगी तो पता चल जायेगा कि कौन-कौन लोग उसके लाभुक हैं, किसने फायदा उठाया है।

अब एक तरफ तो ई.डी. (एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट) की जांच हो रही है, इन्कम टैक्स की जांच हो रही है तो सी.बी.आई. से क्यों नहीं जांच कराते? कांग्रेस पार्टी के जो नेता इस चुनाव प्रचार के दरम्यान झारखंड गये, उन्होंने प्रैस को कहा कि हो सकता है कि सी.बी.आई. की जांच भी हो जाये। हो सकता है नहीं, कराओ सी.बी.आई. की जांच। मैं सदन में मांग करता हूं कि सी.बी.आई. की जांच कराओ और इन सब लोगों को पकड़ो। देश का इतना बड़ा घोटाला हुआ है। शायद देश के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ। इससे पूरा झारखंड प्रदेश बदनाम हुआ, पूरा देश बदनाम हुआ और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं कि इन्कम टैक्स इन्कम टैक्स विभाग ले ले, प्रर्वतन निदेशालय यह कर ले और स्टेट की निगरानी जांच करे। स्टेट की निगरानी लाइबेरिया में देखने के लिए जाएगी कि उसने वहां पर माइंस खरीदीं कि नहीं। उसमें सी.बी.आई. की जांच होनी चाहिए।

दूसरी बात, वहां पर एक राज्यपाल महोदय थे। 19 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लग गया। राज्यपाल महोदय के ठाठ बन गये। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि राज्यपाल महोदय के दो निकटतम जो पदाधिकारी थे, उन दोनों के ऊपर सी.बी.आई. की रेड हो चुकी है और दोनों के खिलाफ सी.बी.आई. की जांच चल रही है और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इस चुनाव के दरम्यान कांग्रेस पार्टी के जो नेता झारखंड गए, उन्होंने कहा, आपने देखा कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ कितना लड़ते हैं। हम लोगों ने उस राज्यपाल को यहां से ट्रांसफर कर दिया। उसको जहां भेजा, उसके बाद उसके कार्यकाल को बढ़ाया भी नहीं, उसको घर भेज दिया। क्या यही पनिशमेंट होना चाहिए? मैं इस सदन के माध्यम से डिमांड करता हूं कि उस राज्यपाल के खिलाफ भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसने भारी घपला किया है। जैसे अंग्रेज भारत को लूटते थे, जब हम उनकी दासता में थे, उसी

* Not recorded.

तरह उस राज्यपाल ने झारखंड को लूटने का काम किया है। उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या उसको हटा देना ही काफी है? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, झारखंड में आप आज झारखंड सरकार पर किसी भी स्पॉट पर अपनी उंगली रखें, वहीं आप देखेंगे दलदल है, वहीं आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार का भयंकर दलदल है। ...(व्यवधान) झारखंड की यहां सप्लीमेंट्री डिमांड्स पेश हो रही हैं। यह तो मजाक है। यह मजाक है और मैं कहता हूं कि इस मजाक का अंत करिए। मैं राज्य मंत्री मीणा जी से आग्रह करूंगा कि इसको प्रेस मत करिए। इसको वापस लीजिए और झारखंड की जो निर्वाचित सरकार होगी, उसके ऊपर छोड़िए कि वह आगे क्या करना चाहती है? इस प्रकार भारत सरकार को, चुनाव में जो आदर्श आचार संहिता लागू होती है, उसके घेरे में लाने का दुस्साहस आप मत कीजिए। यह आपके लिए भी बेहतर होगा और झारखंड के लिए भी बेहतर होगा। ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): It will be better for you. … (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA : It will be better for Puducherry also. … (*Interruptions*) महोदय, मैं अंत में यही कहूंगा कि यह बिल्कुल ही अनावश्यक है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि यह इस सदन से पास हो। झारखंड में इस सदन को एक रूपया भी अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जब तक झारखंड को हम साफ-सुथरा नहीं कर लेते, स्वच्छ नहीं बना लेते, क्योंकि इस प्रकार की सड़ी-गली सरकार को और प्रशासन को हम एक रूपए के साथ भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे झारखंड के कंटीजेंसी और सप्लीमेंट्री बजट के उस विधेयक पर, जिसे माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, भाग लेने की अनुज्ञा दी है। पूर्व माननीय वित्त मंत्री जी जो खुद वित्त मंत्री रहे हैं और बजटीय प्रोवीजन को भी जानते हैं, कंटीजेंसी फंड को भी जानते हैं। राज्यों और केंद्र में बजट के बाद फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट और सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट का प्रावधान भी जानते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार किसी राज्य का कोई सप्लीमेंट्री बजट आ रहा हो और उसकी आवश्यकता नहीं है।

महोदय, जिस तरीके से सदन में कहा गया कि अगर राज्य में कंटीजेंसी को रेज करने के लिए जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया या सप्लीमेंट्री बजट के लिए उन्होंने जो अनुदान मांगों को प्रस्तुत किया है, उसको खारिज कर दिया जाए, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसका और आवश्यकताओं का दोनों का समन्वय है और मैं समझता हूं कि जहां खुद उन्होंने स्वीकार किया कि 23 दिसंबर को चुनाव हो जाएंगे, नयी सरकार बन जाएगी, तो निश्चित तौर से खर्च तो नयी सरकार ही करेगी। आज इस सदन में हम इस विधेयक को लेकर आए हैं। दोनों सदनों से पारित होने और महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद जब यह राज्य में जाएगा, तो निश्चित तौर से उस समय तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। यह सवाल राज्यपाल शासन का नहीं है। आने वाली सरकार हमारी पार्टी की होगी या किसी अन्य पार्टी की होगी, उसका भी प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि हम जो विधेयक लेकर आए हैं, यह राज्य की आवश्यकताओं की अति आवश्यकता थी। अगर किसी राज्य के कंटीजैंसी फंड को बढ़ाया जाए, तो याद कीजिए इसी सदन में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि इस देश में सबसे ज्यादा सूखा अगर कहीं पड़ा है, तो वह झारखंड में पड़ा है। वह आपके पड़ोस का राज्य है, आप जानते हैं। उसे हम कैसे फोरसी कर सकते थे, कैसे दृष्टिगत कर सकते थे। जिस समय इस सदन ने ऐनुअल बजट या जनरल बजट को पारित किया था, उसके बाद राज्य जिस भयंकर संभावित सूखे से प्रभावित हुआ, उसके लिए हम किस तरह यह प्रावधान कर सकते थे। राज्य के सभी 24 जिलों के प्रखंड सूखाग्रस्त होने के कारण अगर वहां राहत कार्यों को चलाया जा रहा है, राहत कार्यों को चलाया भी गया, चुनाव का समय नहीं है जो कहा जाए कि चुनाव में खर्च हो गया, चुनाव से पूर्व राहत राहत कार्य शुरू हो गए। माननीय सुषमा जी ने कहा कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। जब कई प्रदेश सूखे से प्रभावित थे, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष के सब लोग उसके लिए चिंतित थे। राज्यों में हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी हम केन्द्र सरकार से मांग कर रहे थे कि सूखा प्रभावित राज्यों में केन्द्र की टीम भेजी जाए, असैस किया जाए। उस समय माननीय कृषि मंत्री जी ने भी कहा था कि हमारे राज्य से हमने दो बार मुख्य मंत्री जी से बात करने का प्रयास किया। उन्होंने हमें इंटरटेन नहीं किया और हमें इस बात की

जानकारी नहीं हो पाई। 24 जनपदों के सभी प्रखंडों में सूखा राहत कार्यों को चलाए जाने के लिए कंटीजैंसी फंड को डेढ़ सौ करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच सौ करोड़ रुपये कर दिया गया। लोक सभा का सत्र नहीं चल रहा था। 20 अक्टूबर को जब अध्यादेश के माध्यम से हमने पैसा लिया, तो स्वाभाविक है कि जब लोक सभा चलेगी, तब तत्काल हमें विधेयक लाकर उस पैसे को रैटीफाई करना होगा। हम आकस्मिकता निधि को क्यों बढ़ाते हैं?

14.38 hrs. (Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

हम केन्द्र और किसी भी राज्य में कंटीजैंसी फंड इसलिए बढ़ाते हैं कि हम ऐनुअल बजट में कभी इस बात का प्रावधान नहीं कर सकते। अगर कोई नैचुरल कैलेमिटी हो जाए...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है। There are only 40 Members. There is no quorum. This is something which is ridiculous. We are deciding something about Jharkhand and there are only 40 people. You need at least 55 peoples. क्या यह सरकार इस मामले में गंभीर है?...(व्यवधान) एक तो आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है।...(व्यवधान) झारखंड के बारे में चर्चा हो रही है और सदन में कोरम नहीं है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please take your seat.

Are you raising the issue of quorum seriously?

SHRI KIRTI AZAD : Yes, very much.

MR. CHAIRMAN**:** The bell is being rung-

Now, there is Quorum in the House.

Shri Jagdambika Pal, you may continue your speech.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No, you cannot talk like this in the House.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats. Please do not stand in front of the hon. Member who is speaking in the House.

… (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: You people will have to see on your side also before raising the issue of Quorum in the House. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Jagdambika Pal, you may continue your speech.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record other than what is being spoken by Shri Jagdambika Pal. Therefore, please keep quiet.

*(Interruptions) …**

श्री जगदम्बिका पाल : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृपा करके कोरम पूरा कर दिया। मैंने आपसे स्वयं इस बात को कहा कि संविधान निर्माताओं ने इस बात की परिकल्पना की थी कि अगर किसी भी राज्य या केन्द्र का बजट प्रस्तुत किया जायेगा, तो ऐसी परिस्थितियां भी उस बजट के प्रस्तुतीकरण के बाद निर्मित हो सकती हैं चाहे वह नेचुरल कैलामिटी हो या ऐसी जो दृष्टिगत न की जा सके, उनके लिए कंटीजेंसी फंड भी बनाया जायेगा। मूल बजट में जिसका प्रावधान नहीं करते हैं, उसकी आवश्यकता के लिए पापुलर गवर्नमैंट्स अपने नये कार्यक्रम की शुरुआत करती हैं जैसे आज झारखंड राज्य में गरीब, दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी और अल्पसंख्यक छात्राओं को मुफ्त साइकिल मिलती थी। आज इस सरकार ने निश्चय किया अब हम छात्रों को मुफ्त साइकिल देंगे। अगर इसकी परिकल्पना हमने उस बजट में नहीं की थी और उसके लिए सप्लीमैंट्री बजट लेकर आ रहे हैं, तो इस पर माननीय सदस्य कहेंगे कि हम इस बजट को खारिज करें, तो उस झारखंड प्रदेश के सुदूर अंचलों में, गांवों में बैठे हुए आदिवासी लड़के, जिनको पहली बार अपने स्कूल तक जाने के लिए मुफ्त साइकिल का प्रावधान यह सरकार करने जा रही है, जिसके लिए इस बजट का प्रावधान किया और जिसके नाते इसको सप्लीमैंट्री बजट लेकर लाना पड़ा या कंटीजेंसी फंड बढ़ाना पड़ा, तो मैं समझता हूं कि यह जनहित में है। क्योंकि अभी तक केवल वहां की छात्राओं को, चाहे वे आदिवासी हों, एस.सी और एस.टी या अल्पसंख्यक हों, उनको मुफ्त साइकिल मिलती थी। क्या इसमें प्रावधान नहीं किया गया कि अब आपके झारखंड प्रदेश के उन आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित और अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को जो गरीब है, उनको भी साइकिल का प्रावधान किया जायेगा। इसी तरह त्यौहार के लिए प्रावधान किया गया है।

---

* Not recorded.

अगर बीपीएल परिवार के लोग जो अन्त्योदय रहित थे, उन परिवारों को अनुदानित दर पर मुफ्त लेवी चीनी का वितरण करने के संबंध में कोई फैसला किया गया और उसके लिए जिस ढंग के प्रावधान की आवश्यकता हुई या बीपीएल परिवारों को आगामी त्यौहार के अवसर पर पांच किलो चावल प्रति परिवार मुफ्त में वितरण करने की बात है, मैं समझता हूं कि यह सब बात जनहित की है। अगर कोई राज्य सरकार यह फैसला करती है कि हम अन्त्योदय परिवारों को अगर कहीं रोजगार के अभाव में दो जून का भोजन मयस्सर नहीं हो रहा है, अगर उनके चूल्हे की आग ठंडी है, तो उन अन्त्योदय परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से वह मुफ्त दिया जा रहा है, तो उसके लिए निश्चित तौर से हमें बजटरी प्रोविजन करना पड़ेगा और उसके लिए कंटीजेंसी फंड लेकर आना पड़ेगा। इसी तरह से चीनी वितरण और खाद्यान्न की बात है। माननीय सदस्य ने अभी तमाम समाचार पत्रों का उल्लेख करते हुए पिछले दिनों राज्यपाल की सरकार की कार्रवाई की बात कही है। मैं समझता हूं कि जिस समय लोक सभा का सत्र नहीं चल रहा था, 20 अक्टूबर को जब अध्यादेश जारी करना पड़ा, तो उस अध्यादेश के द्वारा हमने कंटीन्जेंसी फंड को 150 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रूपए किया गया, तो जिस समय लोक सभा का यह सत्र चल रहा है, उसमें सबसे पहले हमें इसे लोक सभा से पारित कराना होगा। क्या इस प्रजातंत्र में यह अधिकार है कि कोई राशि अगर अध्यादेश के माध्यम से ले ली जाए जब लोक सभा या विधानसभा सत्र में न हों, लेकिन जब उनका सत्र चले उसके बाद भी वह पैसा बिना जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा पारित किए हुए उसको रेगुलराइज किया जा सकता है? मैं समझता हूं कि नहीं किया जा सकता। यह तो संवैधानिक बाध्यता है क्योंकि उस समय वहां पर कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी, निश्चित तौर से इस विधेयक को लोक सभा के समक्ष लाना अति आवश्यक है। अगर हम इसे खारिज कर दें, तो एक कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। अगर हमने कंटीन्जेंसी फण्ड को बढ़ाया है तो उसके बारे में विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 24 जनपदों के तमाम प्रखण्डों में इस शताब्दी का जो भयंकर सूखा पड़ा है, उससे प्रभावित लोगों, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, दलितों, मजलूमों के लिए राहत कार्य चलाए जा सकें। आज झारखण्ड में राज्यपाल शासन है, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुईं कि यह काम करना पड़ा। अगर राज्य में ऐसी परिस्थितियां हैं, तो निश्चित रूप से राज्यपाल जी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। जिस काम की हम लोकप्रिय सरकार से अपेक्षा करते हैं, अगर उससे बढ़कर कार्य वह जनहित में कर रहे हैं, सूखे से प्रभावित लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस विधेयक को पारित करना चाहिए।

माननीय सदस्य ने सड़कों के अनुरक्षण की बात कही है। पिछले दिनों, जब वर्ष 2000 में यह राज्य बना था, हम सभी की अपेक्षाएं थीं कि झारखण्ड सरप्लस स्टेट होकर आया है और इस देश के सभी राज्यों से अच्छा राज्य होगा। निश्चित तौर से हमने इसकी कल्पना की थी, हम अपेक्षा भी करते थे। माननीय

सदस्य ने भी परिकल्पनाएं कीं, उनको साकार करने की कोशिश भी की। किसी भी राज्य को अगर केन्द्र का वित्तमंत्री मिल जाए, तो निश्चित तौर पर उस राज्य की न केवल अपेक्षाएं बढ़ेंगी, बल्कि वास्तविकता के धरातल पर लोगों के विकास के ख्वाब को तामील करने में हम सक्षम हो सकते हैं। आज माननीय सदस्य जिस घाटे की बात कह रहे हैं, वर्ष 2000 में जब यह राज्य सरप्लस स्टेट था, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2000 से 2009 तक की अवधि में केवल एक वर्ष राज्यपाल शासन रहा, शेष अवधि में वहां जो भी मुख्यमंत्री बने चाहे वह मधु कौड़ा हों, अर्जुन मुंडा हों, बाबूलाल मरांडी हों, सभी भारतीय जनता पार्टी के थे, कांग्रेस का वहां अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना।...(व्यवधान) 15 नवंबर, 2000 को बाबूलाल मरांडी जी को आपने शपथ दिलाई। वह मुख्यमंत्री बने और उसमें मधु कोड़ा जी मंत्री बने। आप सभी माननीय सदस्यों को यह बात याद होगी। वर्ष 2002 तक वह सरकार चली और उसमें तीन मंत्री ऐसे थे, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिन्होंने बारगेन और बुली करना शुरू किया। लोगों को भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा थी कि वह पार्टी जो अन्य राज्यों में बात करती है कि हम मूल्यों की राजनीति करते हैं, हम चरित्र की राजनीति करते हैं, हम आदर्श की राजनीति करते हैं, तो निश्चित रूप से वह ऐसे मंत्रियों के बारगेन और बुली के प्रभाव में नहीं आएगी। इस बात को उन्होंने अपने केन्द्रीय नेतृत्व से कहा, लेकिन इसके बावजूद भी बाबू लाल मरांडी जी को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने अपने केन्द्रीय नेतृत्व से चुनाव में जाने को कहा। ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने किसी भी सदस्य को टोका नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें विधान सभा भंग करके चुनाव में जाना चाहिए। लेकिन विधान सभा भंग करने की बात नहीं हुई क्योंकि कथनी और करनी में अंतर है। हमेशा बात करते हैं आदर्श की लेकिन राजनीति हमेशा सत्ता-दृष्टिगत होती है। जो मुख्यमंत्री आपके थे उन्होंने रिक्मेंड भी किया कि हमें विधान सभा भंग करके चुनाव में जाना चाहिए, लेकिन आपने बात नहीं मानी। फिर आपने अर्जुन मुंडा जी को मुख्यमंत्री बना दिया और उन्होंने कहा कि कम से कम उन मंत्रियों को निकालिये या उनके विभाग बदल दीजिए, लेकिन आप उस पर भी राजी नहीं हुए जिसके कारण बाबू लाल मरांडी को पार्टी छोड़नी पड़ी, अगर आप भ्रष्टाचार से समझौता कर रहे हैं तो निश्चित तौर से बाबू लाल मरांडी आपके साथ नहीं खड़े हैं। माइन्स मिनिस्टर किसने बनाया?

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): बाबू लाल मरांडी ने।

श्री जगदम्बिका पाल : बाबू लाल मरांडी ने नहीं, आपके अर्जुन मुंडा जी ने। बाबू लाल मरांडी जी ने स्टेट मिनिस्टर बनाया, लेकिन उस समय माइन्स मिनिस्ट्री नहीं थी, आप करेक्ट कर लीजिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude. Your time is up.

श्री जगदम्बिका पाल : वह रनिंग कमेंट्री कर रहे थे।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You are not listening. At 3.30 p.m. Private Members' Business will start and nobody can encroach on that. You have to wind up now in one minute.

श्री जगदम्बिका पाल : आप पांच मिनट्स दे दीजिए। हमारे सत्तारूढ़ दल की तरफ से भी तो जवाब आयेगा। जांच के बारे में ऐसे कहा जा रहा है जैसे हम कोई जांच नहीं कर रहे हैं। जांच इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर रहा है, इन्कमटैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है और उसके पहले राज्य निगरानी भी कर रहा है। आप कहते हैं कि इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का क्या होता है? लैटर ऑफ रोगेट्री का आपने खुद उल्लेख किया कि उन मुल्कों के लिए जैसे लैटर ले लिया गया है कि अगर वहां पर जितनी जांच करने की आवश्यकता हो, उस जांच को किया जा सकता है। इतिहास गवाह रहा है, इस सदन के लोग रहे है, मंत्री पूर्व में रहे हैं, जिनके खिलाफ इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जांच की है, आज वे लोग राजनीतिक अवसाद और बनवास में हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। हमारी सरकार अगर मधु कौड़ा जी को बचाने की बात करती तो आज वे जेल में नहीं होते। आप लोगों को बचाने का काम करते हैं। आज इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा है, 70-70 जगह छापे पड़ रहे हैं। आज आपने माननीय प्रणब मुखर्जी के बयान का उल्लेख नहीं किया, आपने और सब अखबारों के बयान का उल्लेख कर दिया। प्रणब मुखर्जी के सामने पत्रकारों ने शायद पूछा हो कि क्या डायरी की जांच नहीं होगी, तो उन्होंने कहा कि डायरी की भी जांच होगी। माननीय प्रणब मुखर्जी का बयान रांची में क्या रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो कंटिजेंसी बढ़ाने की बात आई है, वह जनहित में है, सूखा-राहत कार्यों के लिए है। जो हम सप्लीमेंट्री बजट लेकर हम आये हैं, वह उस प्रदेश के करोड़ों गरीबों, आदिवासियों, गिरिजनों और मजलूमों के हित में है। इसलिए इसको पास करने की मैं आपसे इजाजत चाहता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे झारखंड संशोधन विधेयक और विनियोग विधेयक पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जहां तक यह सरकार वर्ष 2009 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड लेकर आई है तो यह बात भी सत्य है कि वहां चुनाव हो रहा है और यह बड़ा संवैधानिक सवाल है कि इस चुनाव के वक्त सप्लीमेंट्री बजट लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। इसका फैसला तो विद्वान लोग ही करेंगे।

सब जानते हैं कि वर्ष 2000 में इस राज्य का गठन हुआ है और यह राज्य एससीएसटी और आदिवासी बहुल राज्य है।

महोदय, झारखंड में बहुत-सी त्रास्दियां हुई हैं। मैं स्वयं वहां गया हूं। वहां बहुत गरीबी है। लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और दूसरी तरफ वहां जबरदस्त नक्सलवाद है। कल रघुवंश प्रसाद जी ने यह भी जानकारी दी थी कि चाहे राजनीतिक संकट रहा हो या कुछ भी कारण हो, वहां पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं, जिस कारण वहां विकास बाधित हुआ है। उसी कड़ी में यशवंत जी ने बहुत विस्तार से पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी के बारे में कहा कि 23 महीने के शासनकाल में 4575 करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ, जिसकी जांच अभी चल रही है। हम भी मांग करेंगे कि अगर वहां विकास के पैसे का घोटाला हुआ है, तो इस बात की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए।

सभापति महोदय, महंगाई भी बढ़ी है और जैसा कहा गया कि वहां आवश्यक वस्तुओं की जन वितरण प्रणाली भी फेल हुई है। मनरेगा के बारे में यशवंत जी ने बहुत विस्तृत बातें कही हैं कि दस अरब रुपए लैप्स हुए हैं। यह बहुत चिंता का विषय है। अगर यह पैसा खर्च हुआ होता और वहां पंचायत का चुनाव हुआ होता और मनरेगा के तहत पैसा खर्च हुआ होता, तो मेरे ख्याल से उस प्रदेश का चौमुखी विकास होता। जहां तक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा मनरेगा के तहत काम कराया गया और बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, इसकी भी जांच आने वाली जो भी सरकार हो, उससे कराई जाए। महामहिम राज्यपाल के सलाहकार ने स्वीकार किया है कि मजदूरों को अभी तक मजदूरी नहीं मिली है। यशवंत जी ने कहा है कि दो हजार करोड़ रुपए है। मैं झारखंड राज्य से हट कर अपने राज्य उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहता हूं, बल्कि यह पूरे देश में व्यवस्था की गई कि मनरेगा के तहत जो भी मजदूरी करे, वह बैंक से पेमेंट ले। आज भी गांवों से शहरों की तरफ लोगों का पलायन हो रहा है। तमाम मजदूर चौराहे पर खड़े होते हैं और मजदूरी करते हैं तथा चार-पांच दिन बाद मजदूरी लेकर वापिस घर जाता है और अपने बच्चों का पेट भरता है। एक हफ्ते मनरेगा के तरह मजदूरी करने के बाद वह बैंक का चक्कर लगाता है और जब तक दलालों से उसकी मुलाकात नहीं होती, तब तक उसे पेमेंट नहीं मिलती है। मनरेगा में व्यवस्था होनी चाहिए

कि एक मजदूर को कम से कम सौ रुपया रोज मजदूरी मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार मिलनी चाहिए, तभी मजदूरों की स्थिति ठीक होगी और देश से गरीबी दूर होगी।

आपने राजीव गांधी विद्युतीकरण के बारे में कहा कि डेढ़ वर्ष में केवल 22 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है, यह बहुत सोचने की बात है, जहां यूपीए सरकार का लक्ष्य वर्ष 2012 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। एनजीओज़ को 400 करोड़ रुपया मनरेगा चलाने के लिए दिया गया है, उस में भी जो घोटाला हुआ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि इन एनजीओज़ ने वहां क्या काम किए। मैं आने वाली सरकार के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि वहां अच्छी सरकार गठित हो और राज्य का समुचित विकास हो।

इन्हीं बातों के साथ मैं सप्लीमेंटरी डिमांड्स फार ग्रांट्स का समर्थन करता हूं कि वहां जो भी स्थिति है, वहां पैसा खर्च हो तथा उस राज्य का विकास हो।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, झारखंड प्रदेश प्राकृतिक सम्पदा में धनी है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहां की हालत बहुत खराब है। मैं वहां गया था और देखा कि वहां एनएच 98 मार्ग पटना से रांची है, उसके बीच एनएच 75 है। एनएच राजमार्ग 98 और 75 गाड़ियों के चलने लायक नहीं हैं। सारी सड़क खराब है। मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से मांग करता हूं कि एनएच 98 और एनएच 75, जो पटना से औरंगाबाद, डालटेनगंज और डालटेनगंज से गरभा होते हुए रांची तक जाती है।

15.00 hrs.

उस राष्ट्रीय राजमार्ग का तुरंत सुधार होना चाहिए। इसका सुधार क्यों नहीं हो रहा है? क्या गड़बड़ी है? कहां हेराफेरी है? क्या दिक्कत है? इसी कारण से उग्रवाद है, जहां सड़क नहीं होगी, सड़कें चौपट होंगी वहां उग्रवाद फैलेगा इसलिए इसका सुधार तुरंत होना चाहिए। एनएच-6 झारखंड में है। इसका भी सुधार होना चाहिए। भारत सरकार की पॉलिसी है कि गोल्डन क्वार्डिलेटरल अथवा ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर एवं नॉर्थ-साउथ कोरीडोर से सभी राजधानियों को, हर एक राज्य की राजधानी, जहां से सड़क गुजरती है, को जोड़ना है। इसे फोर लेन करना है। गोल्डन क्वार्डिलेटरल से रांची को फोर लेन क्यों नहीं किया गया? सरकार की पॉलिसी है। झारखंड के साथ उपेक्षा का व्यवहार हो रहा है।

महोदय, यहां चार परियोजनाएं हैं - पटाने, कदबन, कनहार और कोइल। यहां चार जलाशय और चार परियोजनाएं लंबित हैं क्योंकि यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश चार राज्यों से संबंधित है। इन चार प्रदेशों के कारण वहां के लोग तबाह हो रहे हैं क्योंकि ये जलाशय परियोजनाएं अधूरी रह गई

हैं। भारत सरकार चारों राज्यों को बुलाए, सिंचाई मंत्री उनको बुलाकर उनसे बातचीत करें। चारों परियोजनाओं से झारखंड का कायाकल्प हो जाएगा और उग्रवाद समाप्त हो जाएगा। ...(व्यवधान)

महोदय, जसवंत बाबू भाषण शुरू कर रहे थे, उन्होंने भाषण शुरू किया कि ये आचार संहिता है। पार्लियामेंट में वैधानिक औपचारिकता सप्लीमेंटरी बजट पास हो रहा है, उसे रोक रहे हैं और कहते हैं कि आचार संहिता है। आप अफसर से राजनीति में आए हैं, अफसर वाली मानसिकता है, किराने वाली होती तो राज न करते। जब ये वित्त मंत्री थे तब झारखंड को सौ–सौ करोड़ रुपया नहीं दिया, गरीब राज्य का सौ करोड़ रुपया रोक दिया। वित्त आयोग को याद कीजिए, वर्ष 1995-96 में वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे, तब बंटने के बाद बिहार को झारखंड का हिस्सा मिला, बिहार का भी मिला। लेकिन जब से ये वित्त मंत्री बने, वित्त आयोग का पैसा, जो राज्य का होता है, इन्होंने नहीं दिया। वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04 झारखंड का गला कटाया है।...(व्यवधान) वित्त मंत्री थे और कहते हैं क्या नहीं दिया पैसा, क्या नहीं दिया पैसा।...(व्यवधान) ये झारखंड के दुश्मन हैं। झारखंड की जनता के खिलाफ हैं। जब ये वित्त मंत्री थे तब पैसा नहीं दिया। लेकिन अब ये नहीं हैं।...(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह (दार्जीलिंग): मैं झारखंड का चुना हुआ सांसद हूं। ये क्या बकवास कर रहे हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। रघुवंश प्रसाद जी, डिस्टर्ब मत कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : राज बंट गया लेकिन राज किसका बना, इनका बना। ...(व्यवधान) क्यों बाबू लाल मरांडी को हटाया? भाजपा या कोई माई का लाल है, जो इस हाउस में जवाब दे। बाबू लाल मरांडी को हटाया गया क्योंकि वह रुपया नहीं पहुंचाता था। पहुंचाने वाला आ गया तब बना दिया और झारखंड में भ्रष्टाचार का बीजारोपण हो गया। तब कैसे रक्षा होगी? ''रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए।'' वहां की हालत बहुत खराब है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कंट्रोल करें।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : रोजगार गारंटी के विषय में कल हमारी एक बात छूट गई थी। यह जगजाहिर है कि एक्ट्रीम लैफ्टिस्ट, माओवादी ने हाल में बयान देकर कहा है कि रोजगार गारंटी क्रांतिकारी कानून है। कोई भी सरकार की योजना ऐसी नहीं है जिसका माओवादी लोग समर्थन करते हों और उसे खराब न कहते हों और उसे न रोकते हों। एक रोजगार गारंटी योजना ऐसी है, जिसका माओवादी ने भी समर्थन

किया है। इधर एक्सट्रीम लैफ्टिस्ट का समर्थन एक्सट्रीम राइटिस्ट के खिलाफ है। ये लोग गरीबों का क्या भला करेंगे। अब कुछ महीने लगे हैं, अब यशवंत बाबू समझने लगे हैं। ग्राम सभा नहीं हुई, कौन चैकिंग करेगा, अफसर के हाथ में हैं। आप जानते हैं क्या गड़बड़ी हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस मानिटरिंग कमेटी के हैड हजारीबाग जिले के होंगे। आपने अभी तक बैठक क्यों नहीं कराई?

श्री यशवंत सिन्हा : आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए नहीं कराई है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप बैठिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आचार संहिता इधर से लगी है।...(व्यवधान) चुनाव के बाद जब से जीते हैं, क्या आचार संहिता लगी हुई है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No cross-talks please.

… (*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, इसीलिए रोजगार गारंटी कानून झारखंड के लिए वरदान है, कायाकल्प की योजना है। लेकिन उसमें गड़बड़ी हो सकती है। उसका इलाज है - लाख दुखों की एक दवा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। लोक सभा, विधान सभा, ग्राम सभा। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, आप वहां ग्राम सभा करवा दीजिए और देखिये वहां कोई गड़बड़ी नहीं होगी। वहां जितनी नदियां हैं, उनमें चैक डैम से सिंचाई होगी। वहां जंगल हैं, वहां धरती के अंदर ट्राइबल्स लोगों के रत्न हैं।

महोदय, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो वहां अफसरों का भी बंटवारा हुआ। तीन तरह के अफसर उधर चले गये। एक जो इधर प्रताड़ित थे, वे उधर चले गये। दूसरे जो लुटेरे थे, जिन्हें लगा कि वहां खूब मालदार राज है, वे चले गये और तीसरे जिनका उधर घर पड़ा, वे चले गये। इस तरह से तीन तरह के अफसर उधर चले गये। लेकिन यह राजनीतिक वहां कैसे चले गये। अब यहां झारखंड के पैसे को रोक रहे हैं। मैं जाकर झारखंड के गांव-गांव में सुनाऊंगा। ...(व्यवधान)

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. It will not go on record.

*(Interruptions) ...**

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : भाजपा वाले झारखंड के खिलाफ हैं। इसीलिए वहां की जनता के विकास के लिए सावधानी बरती जाए, वहां कड़ाई हो, निगरानी हो, भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद किया जाए। लेकिन वहां का पैसा नहीं रोका जाए, पैसा रोकना जनता के साथ शत्रुता और बैर है।

---

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Shri Vijay Bahadur Singh wanted to speak for two minutes and he is allowed. Please conclude it two minutes because there is no time left.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Chaudhary Lal Singh, you are not allowed; please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR.CHAIRMAN: Shri Vijay Bahadur Singh, you may begin your speech and conclude in two minutes.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except what Shri Vijay Bahadur Singh says.

… (*Interruptions*)

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन दो मिनट में सिर्फ एक फार्मूले की बात हो सकती है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. I am repeatedly telling you. You may please take your seat. This is not correct.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Chaudhary Lal Singh, you are not allowed. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: There is no time and you should understand that.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Why do you speak like this? Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Why do you speak like this?

Whatever cross-talk was there, is not on record. Knowing that, why do you want to expunge that? There is nothing in the record to expunge. What is not there in the record, cannot be expunged. You should know that.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please take your seat now.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Vijay Bahadur Singh, I am going to call the hon. Minister. If you want to speak, you may speak.

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH: But they are not allowing me to speak.

MR. CHAIRMAN: You can speak now. Only what you are saying will go on record.

*(Interruptions) …**

---

* Not recorded.

श्री विजय बहादुर सिंह : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे दो मिनट का समय दिया है लेकिन दो मिनट में केवल फॉर्मूला की बात ही हो सकती है और मैं वही बात कहना चाहता हूं.। अगर कंटनजैंसी ग्रांट्स से कांस्टीट्युशनल क्राइसिस पैदा हो रहा है तो कंटनजैंसी ग्रांट्स देने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इस ग्रांट के पीछे यह मंशा है कि झारखंड में इलैक्शन हो रहे हैं, अगर इलैक्शन प्रभावित हों तो कंटनजैंसी ग्रांट्स टाईट रोप वाकिंग है। मुझे इस बात का कैसे ध्यान आया, वह बताता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्य श्री पाल साहब ने कहा कि साईकल्स बंटवाना है, मोटर साईकिल बंटवाना है और 23 दिसम्बर को नतीजे आ रहे हैं तो यह आचार-संहिता का डायरेक्ट उल्लंघन है। यू.पी.ए. सरकार की यह आदत है कि जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो रुपये की बदौलत इलैक्शन को प्रभावित करना चाहती हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि I am in favour that contingency grant may be given but extreme care and caution should be exercised.

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यू.पी. ए. सरकार की यह भी आदत है कि मिर्जापुर-चित्रकूट होते हुये, जहां पर श्रीराम का नाम लिया जाता है, तुलसीदास जी वहीं रहे, वह हाईवे-77 सड़क सैंट्रल गवर्नमेंट की है,...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have not much time left.

श्री विजय बहादुर सिंह : अभी एक मिनट भी नहीं हुआ है। यू.पी.ए. गवर्नमेंट जितने इलैक्शन लड़ रही है, मनी- पॉवर से लड़ रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितने करप्शन के केसेज़ हैं...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: Are you speaking on Jharkhand or on UPA?… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him. Let him finish.

… (*Interruptions*)

श्री विजय बहादुर सिंह : नारायणसामी जी, जब आप बोलते हैं तो हम बीच में नहीं बोलते हैं...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now, you may take your seat. You have made your point.

श्री विजय बहादुर सिंह : नारायणसामी जी, आप जब हमें सुनेंगे तो आपका कंडक्ट इम्प्रूव हो जायेगा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please understand that we have hardly 15 minutes left for this subject.

… (*Interruptions*)

श्री विजय बहादुर सिंह : सभापति जी, मैं लास्ट लाइन कह रहा हूं।

MR. CHAIRMAN: Now, you may take your seat. You have made your point.

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं यह कह रहा हूं कि The contingency grant should be released but only till the elected Government is there. Thereafter, the Supplementary Grant can be given. This is my submission.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): सभापति जी, इसके पहले कि मंत्री महोदय अपना जवाब प्रारम्भ करें, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से यह बात रखी गई है कि इन अनुपूरक मागों का आना अनुचित भी है और अनावश्यक भी है। यह आचार-संहिता का खुल्लम-खुला उल्लंघन है। इसलिये मंत्री जी इन सप्लीमेंटरी डिमांड्स को वापस ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग शान्ति से मंत्री जी की बात सुनेंगे और बाद में डिमाड्स को वापस ले लेंगे। लेकिन यदि मंत्री जी सदन में इन्हें पारित करने के लिये रखने वाले हैं तो हम फिर इस असंवैधानिक कार्य में आपके भागीदार नहीं बनना चाहेंगे और सब के सब वॉक आउट कर जायेंगे। आप अपनी तरफ से इनको पारित करा दीजिये। हम इस पाप के भागी नहीं बनेंगे। आप हमें बता दीजिये कि आप क्या करने वाले हैं?

MR. CHAIRMAN: Sushma Ji, you cannot make it conditional. First listen to him and then take a decision.

… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : हम इस पाप के भागी नहीं बनना चाहते हैं.।

MR. CHAIRMAN: You cannot predict what the Minister is going to say. Please listen to him and then take your decision.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN; Mr. Minister, please start your speech.

श्री नमो नारायन मीणा: सभापति महोदय, झारखंड की अनुपूरक मागों संबंधी चर्चा पर पांच माननीय सदस्यों ने...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Only hon. Minister's statement will go on record.

*(Interruptions) ...**

---

* Not recorded.

श्री नमो नारायण मीणा : उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिये और कुछ कानसैंसेज़ किये, मैं उन सुझावों का आदर करता हूं। सब से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कांस्टीट्युशनल रिक्वायरमेंट है। इलैक्शन कमीशन की तरफ से छूट दी गई है। इलैक्शन कमीशन के पास हमने डिमांड भेजी है और उन्होंने कहा है कि " We have no objection" इलैक्शन कमीशन का जो पत्र आया है, उसकी कॉपी मेरे पास है, मैं वह पढ़कर सुनाता हूं -

"We have no objection."

15.15 hrs.

At this stage Smt. Sushma Swaraj and some other hon. Members left the House.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: The Election Commission of India wrote a letter to the Chief Electoral Officer, Jharkhand, Ranchi on the subject as follows:

> "General Election to the Jharkhand Legislative Assembly, 2009 – Laying of Jharkhand supplementary budget 2009-10- permission – Reg.: 'I am directed to refer to your letter No.202/CEO dated 28.10.2009 on the subject cited and to state that the Commission has no objection to the proposal contained therein'."

महोदय, मैं यह पटल पर रखता हूं। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि कंटीजेंसी बिल का जो ऑर्डिनेंस लाये थे, उसे पार्लियामेंट के पहले सेशन में लाना जरूरी होता है इसलिए हम इसे लेकर आए हैं। माननीय सिन्हा साहब कह रहे थे कि एक पैसा भी नहीं दिया जाना चाहिए। पूरे राज्य के 24 जिलों में अकाल पड़ा हुआ है। उनके पास 150 करोड़ रूपए कंटीजेंसी फंड में उपलब्ध थे, उन्हें और पैसे की जरूरत महसूस हुई तो उसे हमारी सरकार ने 500 करोड़ रूपए किया। सभी 24 जिलों में अकाल राहत के लिए काम चल रहे हैं और लोगों को मरने से बचाया है, लोगों की परेशानियों को यह कंटीजेंसी फंड देकर दूर किया गया है।

महोदय, राज्य के द्वारा कुल 1074.03 करोड़ रूपए की पूरक अनुदानों की मांगें रखी गयी हैं, इस राशि में 48 लाख चार्जड है। गैर योजना के लिए 412.30 करोड़ रूपए की अनुपूरक मांग प्रस्तावित है। इसमें से 300 करोड़ रूपए सूखा सहायता से संबंधित है, शेष राशि मुक्त राजकीय निर्वाचन के लिए 27.00 करोड़ रूपए, पथ निर्माण के लिए 20 करोड़ रूपए, मानव संसाधन विकास के लिए 54.14 करोड़ रूपए है। योजना के अंतर्गत 661.73 करोड़ रूपए की मांग प्रस्तावित है। 8,200 करोड़ रूपए की राशि, योजना के आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 600.49 करोड़ रूपए का प्रावधान विभिन्न योजनाओं के पुनः

आबंटन और परिव्यय के आलोक में किया गया है। 61.24 करोड़ रूपए की राशि केन्द्रीय योजनाओं से संबंधित है। राज्य योजना के पूरक मांग के मुख्य प्रस्ताव रेलवे परियोजना के लिए 68.70 करोड़ रूपए, विद्युत योजनाओं के लिए 193.50 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना एवं स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के लिए 150 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री खाद्यान योजना के लिए 22.73 करोड़ रूपए रखे गये हैं। योजना पूरक मांग कर राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है। जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है कि यह राशि परिव्यय एवं पुनः आबंटन से प्राप्त हो रही है। गैर योजना के लिए 300 करोड़ रूपए की राशि, आपदा प्रबंधन के लिए उपलब्ध राशि से प्राप्त हो रही है। 40.61 करोड़ रूपए यूनीवर्सिटी के शिक्षकों के वेतन के लिए केन्द्रीय अनुदान से प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार राज्य पर पूरक मांग प्रस्ताव का कुल वित्तीय बोझ मात्र 71.69 करोड़ रूपए गैर योजना मद में पड़ रहा है। झारखंड आकस्मिकता निधि अधिनियम में संशोधन करते हुए यह राशि 150 करोड़ रूपए से 500 करोड़ रूपए की जा रही है। कई तरह के जो सरेंडर्स हुए हैं। कई माननीय सदस्यों ने बात उठाई थी कि सरेंडर्स हुए हैं। इरीगेशन डिपार्टमेंट में 90 करोड़ रूपए का सरेंडर हुआ है, वह इसलिए हुआ क्योंकि लैंड एक्वीजिशन नहीं हो पाया। हायर एजुकेशन में 90 करोड़ रूपए का सरेंडर हुआ है। इसकी समस्या यह थी कि यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाने के लिए प्रपोजल्स फाइनलाईज नहीं हो सके। आई.टी. सेक्टर में 35 करोड़ रूपए की, हैल्थ सेक्टर में 50 करोड़ रूपए की और सिविल ऐविएशन में 9.8 करोड़ रूपए की बचत हुई है। कई माननीय सदस्यों ने बताया है कि बिजली की कमी है। 193.50 करोड़ रूपए बिजली व्यवस्था के लिए री-अलोकेशन में दिये गये हैं।

महोदय, पूरे राज्य में अकाल पड़ रहा है। माननीय सिन्हा साहब ने कई तरह की चीजें उठायीं, मैंने इनका जवाब दिया। कॉस्टीट्यूशनल रिक्वायरेंट थी, पार्लियामेंट सेशन में नहीं था। राष्ट्रपति जी से हमने आर्डिनैन्स निकलवाया और लोक सभा में अब हमने पेश किया है। निर्वाचन आयोग से हमने परमीशन ले ली है। सूखे से निपटने के लिए यह पैसे जारी किये गये थे। एक उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रमाण का उस समय इलैक्शन कमीशन को ब्यौरा नहीं दिया गया था। इलैक्शन कमीशन को ब्यौरा दिया, उनके वहाँ से परमीशन आ गई तो उसको इस बार जोड़ा गया।

रेलवे की परियोजना की बात जो की है, यह मिड टर्म रिव्यू हुआ है। प्लानिंग डिपार्टमैंट झारखंड द्वारा इस वजह से इसको रखा गया है। राइट्स की योजनाओं की बात उठाई गई। कई माननीय सदस्यों ने और खासकर सिन्हा जी ने कहा कि पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। मैं इससे सहमत हूँ। 30 परसैंट अभी तक जो धन आबंटित था, वह खर्च नहीं हो पाया है। आप जानते हैं कि जैसे ही वित्तीय वर्ष चालू हुआ, उस समय संसद के चुनाव आ गए, अब विधान सभा के चुनाव आ गए। कई तरह की पाबंदियाँ लगी हुई थीं लेकिन बचे हुए समय में मैं आशा करता हूँ कि पूरे धन का उपयोग होगा।

महिलाओं की सहायता के लिए 7000 से अधिक महिला सहायता समूहों को जन वितरण प्रणाली से अनुज्ञाप्तियां दी गई हैं। जन वितरण प्रणाली की दुकानों में खाद्यान्न एवं चीनी पहुँचाई जा रही है। लेवी चीनी का वितरण जन वितरण प्रणाली के तहत किया जा रहा है। एपीएल परिवारों के लिए गेहूँ और सब चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक खास बात सिन्हा जी ने कही और माननीय रघुवंश प्रसाद जी ने भी नरेगा को लेकर यह मुद्दा उठाया। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि इस छोटे से राज्य में 35 लाख जॉब कार्ड जारी हो चुके हैं। 87.45 परसेंट हाउसहोल्ड को कवर किया हुआ है। आपने बैंक अकाउंट के बारे में कहा था । राज्य के 89.95 परसेंट नरेगा जॉब कार्डधारी बैंक एकाउन्ट / पोस्ट आफिस एकाउन्ट हैं। भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह की अंगुलियाँ उठाई गई हैं। पूरे राज्य में 1,29,542 नरेगा की योजनाएँ चल रही हैं। बड़े युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। सारे प्रदेश में अकाल की स्थिति है। 24 के 24 ज़िलों में अकाल राहत और सब तरह के काम चल रहे हैं। मैंने लगभग सभी का जवाब दे दिया है। मुझे जो समय दिया गया मैं उसको भी करीब दो-तीन मिनट एक्सीड कर गया। ...(व्यवधान) मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि झारखंड से संबंधित सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ और जो आर्डिनैन्स को रैगुलराइज़ करके हम विधेयक लाए हैं, इसको पारित करें।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill to amend the Jharkhand Contingency Fund Act, 2001 be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House may now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : I shall now put the Supplementary Demands for Grants (Jharkhand) for 2009-2010 to the vote of the House.

The question is:

> "That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 3, 6, 9, 10, 18, 21 to 23, 26, 27, 30, 33, 39 to 42, 44, 47, 48 and 51. "

The motion was adopted.

15.26 hrs.

JHARKHAND APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2009*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of the financial year 2009-10.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of the financial year 2009-10."

The motion was adopted.

SHRI NAMO NARAIN MEENA : I introduce** the Bill.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: I beg to move**:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of the financial year 2009-10, be taken into consideration. "

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of the financial year 2009-10, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 11.12.09.

**Introduced and moved with the recommendation of the President.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.
The Schedule was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.29 hrs

MOTION RE: THIRD REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): I beg to move:

> "That this House do agree with the Third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 9th December, 2009. "

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That this House do agree with the Third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 9th December, 2009."

The motion was adopted.

15.30 hrs.

RESOLUTION RE: STEPS TO ENSURE AVAILABILITY OF DRINKING WATER IN THE COUNTRY – Contd.

MR. CHAIRMAN : Now, the House will take up further discussion on the Resolution moved by Shri Satpal Maharaj on the 10th July, 2009. Now, I call Shri K.C. Singh `Baba'.

SHRI K.C. SINGH 'BABA' (NAINITAL-UDHAMSINGH NAGAR): Mr. Chairman, Sir I am grateful to you for having given me this opportunity to participate in the debate.

I am very grateful to Shri Satpal Majaraj for bringing in such an important topic in the Private Members' Resolution. I would like to say that Uttarakhand plays a very important role as far as water resources in India are concerned. In Uttarakhand, we must save our glaciers, lakes, rivers, and streams for the sake of the country. Uttarakhand is the catchment area of the Indo-Gangetic plain where more than one-third of the Indian population is residing. If there is an ecological disturbance in Uttarakhand, its impact cascades down right up to Bangladesh. Moreover, it is the cradle of the Indo-Gangetic civilization. It is the only surviving ancient civilization and rest have vanished from the face of the earth owing to heavy deforestation. This civilization is surviving owing to the vibrant forests which are still there.

15.32 hrs (Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

But owing to the forest fires, they are gradually vanishing. Forest fires are the main cause, but still forest fires have not been treated as national disasters owing to which other Departments like the Revenue Department, Police Department, etc. do not support the Forest Department for extinguishing these forest fires.

These forest fires cause i) drying up of natural springs and ii) reduce the water percolation capacity of the soil. If there are no forests in Uttarakhand, the Indo-Gangetic plain will definitely become a desert. The forests of Uttarakhand provide vegetal cover to the perennial flow of rivers and this is why they are

known as the Water Towers of North India. This is a very important subject and we have to be careful in maintaining the ecology of Uttarakhand for the sake of the country.

I would like to put a few points of mine in the treatment and purification of water also. Isotopes are one or two forms of a chemical element. They have the same numbers of protons but different numbers of neutrons in their atoms. Ozone is an isotope of oxygen. In the Isotope Technology, Ozonization is being done for treatment and purification of water. Hitherto, chlorination process is done for purification in which bleaching power is used. Ozonization is good, but the issue is whether the same policy can be adopted for all townships. It is possible that this technology can be adopted for Dehradun, Nainital and Kashipur. In Kashipur, the water bodies are absolutely polluted owing to industrialization as reported by the Irrigation Department.

Sir, as I was saying, if there are no forests in Uttarakhand, then it is going to be a very serious matter for India because one-third of the population that stays in the Indo-Gangetic plain. It will become very risky if it becomes a desert.

I would like to say that in water management, there is too much multiplicity of functions for Jal Nigam and Jal Sansthan.

There is one more thing regarding Isotope Technology. In India, we have only ozonisation which may not be suitable for every township but in the developed countries, they have other technologies like silver ozonisation and reverse osmosis (RO).

The fire is a very big problem in Uttarakhand as far as soil is concerned. The *Cheed* trees at the lower level are all right. They are fine. But, at the higher level, for which we have got to have the catchments, we have got to have these plants. Broad leafed, plants which are a must because they retain water. They retain water in the natural catchments known as *Naulas* in the Kumauni language. So, again, I would like to repeat that we have got to be very careful. Uttarakhand has to be considered as a major asset for the country as far as water is concerned.

Finally, I would request the Government to form a Committee and keep the people from Uttarakhand in the Committee, who know the area like the palm of the hands, people like Dr. A.P. Joshi, Dr. Ajay Rawat, Dr. Valdia and Shri Anup Shah. These people from Uttarakhand should be considered and they should be put into the Committee for the sake and benefit of India.

With these words, I conclude.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, मैं रूल 29 और 30 के तहत खड़ा हुआ हूं। उसके अनुसार जो गैर-सरकारी संकल्प लिए जाते हैं, उसके लिए सरकारी संकल्प द्वारा सब लोगों के लिए समय निर्धारित होता है। जुलाई से ही लगातार इसी संकल्प पर सदन में चर्चा जारी है, इसको छोड़कर आगे वाले संकल्प भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, रत्ना जी का, कौशलेन्द्र जी का, तो इस पर कितनी देर तक बहस चलेगी? इस पर सरकार का जवाब करवाइये और दूसरे संकल्प को लीजिए।

MR. CHAIRMAN : Do not worry. We will give time. Please sit down.

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): चेयरमैन साहब, मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

माननीय सदस्य श्री सतपाल महाराज जी ने जो सवाल उठाया है, पहाड़ी क्षेत्रों में पीने के पानी की उपलब्धता के लिए, उसका मैं समर्थन करता हूं। चूंकि मेरा क्षेत्र भी पहाड़ी क्षेत्र से लगा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि विश्वविख्यात दार्जिलिंग अभी राजनैतिक चर्चा के लिए प्रसिद्ध है। वहां आज तक पीने के पानी की बहुत किल्लत है, वहां पर पीने के पानी का इन्तजाम नहीं हुआ है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, वह भूटान के साथ लगा हुआ है। वहां पानी ट्यूबवैल से लेने के लिए बहुत गहरे तक जाना पड़ता है, 500-600 फीट के बाद पानी मिलता है, इसलिए वहां के लोग नैचुरल रिसोर्स का, झरने का पानी पीते हैं। मैं सरकार से चाहूंगा कि वहां पानी की व्यवस्था की जाये। जैसे स्वजलधारा की स्कीम ली गई है, उस स्वजलधारा स्कीम में चूंकि गांव में बिजली नहीं है, इसलिए ठीक से इन्तजाम नहीं हो सकता है। इसके लिए लोगों को स्वच्छ पानी पिलाने के लिए इन क्षेत्रों में कोई नई स्कीम लाई जाये, जिसके लिए प्रस्ताव किया गया है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि भूटान पहाड़ से जो उपलब्ध बहुत से झरने निकलते हैं, वहां परमीशन ली जाये, भूटान सरकार से बात की जाये तो वह पानी हम लोगों के यहां उपलब्ध हो जायेगा, जिसके लिए स्थानीय लेविल पर कुछ-कुछ जगह ऐसा किया भी जा रहा है। यह एक चिन्ता का सवाल है कि पानी रहते हुए भी हम लोग उसका व्यवहार नहीं कर सकते हैं और पानी चला जा रहा है। शहरों में पीने के पानी का बन्दोबस्त भूटान सरकार के सहयोग से करने के लिए मैं कहता हूं। चूंकि एकदम डुआर्स से लेकर असम तक यही एक समस्या रह गई है और जो पानी चला भी जा रहा है, उसका कैसे हम व्यवहार करें, वह प्राकृतिक सम्पदा से भरा हुआ है तो पानी पिलाने की असली जगह जो है, वहां उसकी व्यवस्था करनी है। चूंकि इस क्षेत्र में आदिवासी और ट्राइबल लोग ही ज्यादा रहते हैं और स्वच्छ पानी नहीं पीने के कारण उन्हें बहुत सारी बीमारियां होती हैं और बीमारी के कारण उनको अंधविश्वास भी रहता है कि डायन का मामला है, इसलिए स्वास्थ्य रक्षा के लिए उनको स्वच्छ पानी पिलाने के लिए यह बन्दोबस्त करना बहुत जरूरी है। इसलिए सतपाल महाराज जी जो यह प्रस्ताव लाये हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में पानी का बन्दोबस्त करायें, मैं इसका समर्थन करने के साथ-साथ डुआर्स पश्चिम बंगाल में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय क्षेत्र में जो गांव बसे हैं, चायबागान हैं, वहां पानी की किल्लत है, उन क्षेत्रों में भी पानी का बन्दोबस्त किया जाये और भूटान के साथ सम्पर्क करके, क्योंकि भूटान सरकार के साथ हम लोगों का दोस्ताना सम्पर्क है और वहां पानी उपलब्ध है, इसलिए उस पानी को लाया जाये। अंग्रेज चायबागान में उसको करके लाते थे। पहले अंग्रेजों की सरकार जो थी, चायबागान पत्तन के साथ-साथ भूटान से समझौता करके पानी पिलाते थे।

अभी भी कुछ-कुछ जगह पर पुरानी व्यवस्था ही चल रही है। नयी व्यवस्था के साथ-साथ मैं अनुरोध करूंगा कि नदी-नाला के संबंध में संपर्क करके, भूटान से बात करके हमें पानी पिलायें। कम पैसे में स्वच्छ पानी का इंतजाम हो सकता है, आदमी खुश रहा सकता है और चौतरफा विकास हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Mr. Chairman, Sir, I would like to start my speech by thanking you for giving me this opportunity to speak on the Resolution moved by Shri Satpal Maharaj regarding steps to ensure availability of drinking water in the country. I would like to sincerely congratulate Shri Satpal Maharaj for having taken the initiative to move this Resolution in this House and given us an opportunity to discuss such an important issue.

Firstly, there is the Accelerated Urban Water Supply Programme (AUWSP), which is prepared and implemented for the towns having a population less than 20,000 as per the 1991 Census under the Centrally-sponsored sharing-basis programme. As is known to all, the objectives of the Accelerated Urban Water Supply Programme is to provide safe and adequate water supply facilities to the entire population of the towns having population less than 20,000 as per 1991 Census in the country within a fixed time frame, to improve the environment and the quality of life, for creating better socio-economic condition and to achieve more productivity to sustain the economy of the country. Further, the features of this programme are to see that overall emphasis is being given to create a better incentive environment in the sector. There is a need to emphasize on rationalization of tariffs, separation of budget of water supply and sanitation from the municipal budget. We should see that subsidy is being extended for well identified target groups, water conservation, operation and maintenance and distribution being given priority over new capital works and emphasis on leak detection and preventive maintenance, rehabilitation of existing system among other things. The principal aim of the programme was to improve the quality of life of the poor, especially the most vulnerable sections of the population such as women, children and other deprived sections who do not have access to safe water.

I would like to draw the attention of the Union Government that there is a serious drinking water problem in a part of my parliamentary constituency. Kuttanadu Taluk is a backwater area and around two lakh people reside in Kuttanadu area and almost all the places in Kuttanadu are surrounded by water.

But the irony over there is that pure drinking water is not available for the people of Kuttanadu. The authorities of the local body are trying to provide drinking water to them through tanker lorries coming from distant places. However, I would like to mention that the drinking water that is provided is not pure or potable. Hence, the people of Kuttanadu are facing a lot of health hazards and several other major diseases connected with it as there is non-availability of pure drinking water. Actually, the life of the people of this area is in a very pitiable condition. Therefore, I would request the hon. Minister and the Union Government to take immediate steps to launch a pure drinking water project for the people of Kuttanadu Taluk, which will go a long way in improving their overall health.

Sir, I would like to sum up my speech by requesting all the hon. Members in this august House not to have a narrow outlook on this issue. We should also think of the larger interest of whole country on an issue like drinking water that is extremely essential for the survival of human race. We all are nothing without the availability of safe and pure drinking water and we must try to save water and take adequate measures to ensure that potable water is made available to all citizens of our country.

DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): Sir, I am thankful to you and to the hon. Member who has come out with this Resolution in this august House. While hearing some of my colleagues, I was wondering whether it is difficult to speak when all the benches are full or it is difficult when all the benches are empty. It is really difficult when nobody is, perhaps, interested and all the benches seem to be empty.

Sir, we are talking about a very important Resolution and the hon. Member has made it very categorical and made it very clear the steps to ensure availability of drinking water in the country. I belong to that part of the country which has huge water resources, that is, the State of Jammu & Kashmir. I come from the constituency of South Kashmir and you will be surprised to know that every Spring we have a shortage so far as drinking water supply is concerned.

I accept that we do have policies to ensure the drinking water supply, we have schemes in place, but unfortunately, the schemes which have been put in place are not functional. There is no monitoring. The main concentration of the Government should be on monitoring the schemes and they should be made time bound. The people, who are responsible for the implementation and monitoring of these schemes, should be made accountable because it is the basic necessity. It is not a luxury. Even after 62 years of Independence, there are many parts in the country which go without drinking water supply.

Sir, when I talk about the State of Jammu & Kashmir, which has huge water resources, unfortunately, way back in 1962, waters of Jammu & Kashmir, under a Treaty, which is known as Indus-Water Treaty, were given to Pakistan and unfortunately, we have no control so far as the State of Jammu & Kashmir is concerned on our own water resources. It is quite unfortunate.

Last time when the hon. Prime Minister visited the State of Jammu & Kashmir, we brought it to his notice when a delegation of our Party met him. He had promised that he would come up with a definite plan and he would try to compensate the State of Jammu & Kashmir because of the Treaty being

international in character we cannot ask for scrapping the Treaty but we can ask and demand for compensation because the State of Jammu & Kashmir is suffering because of this.

In last, we have, as I said, policies in place, programmes and schemes in place and as these are not working 100 per cent on the ground, I would request the Government to restore the credibility of this system in the eyes of the common people. We will have to make people, who are responsible for the implementation of the schemes to ensure the basic drinking water supply to our people, accountable. If the Government makes people accountable and if we in the House, from time to time, get feedback as to what has happened to those schemes and why those schemes are not functional we may take them up further so that the people living in the country get the basic amenity, the basic thing that is to ensure proper drinking water supply to our people.

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पेयजल की समस्या के बारे में बोलने का अवसर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी आजादी को 62 साल हो गए हैं और इन 62 सालों में करीब 46 साल तक सिर्फ एक पार्टी ने ही राज किया है। उसके बाद भी यह आज तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। मैं बुंदेलखंड के जिस जनपद से आता हूं, उस जनपद का नाम महुवा, हमीरपुर, खजुराहो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। जब नाइन्थ सैंचुरी में वहां चंदेलों का राज था, जब पृथ्वीराज चौहान वहां थे, तब बड़े-बड़े तालाब खुलवाए गए जिनमें अथाह पानी था। महुवा जैसे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में 11 बड़े-बड़े तालाब थे। मुझे यह कहने में शर्म आती है कि कांग्रेस पार्टी ने 46 साल तक राज किया, लेकिन एक कुआं तक नहीं बनवाया। जनपद महुवा में आज जाड़े में भी पोर्टेबल पानी बिल्कुल नहीं है। 40 टैंकरों से 50-50 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है। केन्द्र सरकार का ध्यान गरीबों की तरफ नहीं जाता। चूंकि इनकी शुरू से पूंजीवाद की मानसिकता रही है। मैं जब पार्लियामैंट में आया, तब माननीय नेता सदन प्रणब मुखर्जी साहब ने बजट पेश किया। जब वे खेती के बजट पर आए तो उन्होंने लाखों-करोड़ों रुपयों के प्रावधान में सिर्फ एक हजार करोड़ रुपये इरीगेशन के लिए रखे। मैं बताना चाहता हूं कि एक हजार करोड़ रुपये में एक बांध तक नहीं बन सकता। वही सरकार हजारों-करोड़ों रुपये कॉमनवैल्थ गेम्स में लुटा रही है। यह इनकी मानसिकता है। यह चाहते हैं कि लोग गरीब रहें, लोगों को पानी नहीं मिले। ये कभी नरेगा के माध्यम से, कभी बैंक के कर्ज माफ करके राज कर रहे हैं। इन्होंने पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, प्रिवी पर्सेज़ किया, जातिवाद लगाकर डिवाइड किया और अब ये सिर्फ मनी पावर से राज करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह कौन सी बड़ी भारी एटॉमिक थ्योरी है या बड़ा भारी नासा का मामला है कि ये पानी तक नहीं दे सकते। हमीरपुर महुवा में सौ और डेढ़ सौ फीट पर पानी आ रहा है। प्राइवेट आदमी ट्यूबवैल भी नहीं लगा सकता। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की बल्कि जो व्यवस्था हो रही है, उसमें भी बाधा डाल रहे हैं।

आप कहते हें कि हिन्दुस्तान बड़ा भारी इकोनॉमिक पावर हो रहा है। अगर यह इकोनॉमिक पावर है, तो पीने के लिए पानी क्यों नहीं है। उसका कारण यह है कि थ्रूआउट कांग्रेस सरकार की जो नीति रही है, वह रिच डौमिनेटेड थी।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Just a minute. Hon. Members, the extended time for the discussion on the Resolution is over. If the House agrees, the time of discussion on the Resolution may be extended by one more hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मेरी मांग यह है कि केन्द्र सरकार वहां पर्याप्त घन उपलब्ध करवाए और स्पैसीफिक पोर्टेबल वाटर में एक टाइम बाउंड स्कीम लाए। हम हमेशा सुनते हैं कि यह हो रहा है, वह हो रहा है। जब स्कीम के बारे में पूछते हैं तो पता लगता है कि सैक्रेटेरिएट के एयर कंडीशंड कमरे में स्कीम बन रही है। टाइम बाउंड बताया जाए कि बुंदेलखंड में दो साल में, तीन साल में कुछ होगा। वहां कोई वाटर टैंक ही नहीं है। शहरों, कस्बों में टंकी नहीं है। वहां के छोटे-छोटे लड़के और लड़कियां तीन-तीन गगरी पानी दोनों हाथों में लेकर चलती हैं। यदि यह चीज दिल्ली में हो जाए तो इन्हें समझ में आएगा कि पानी की प्राब्लम क्या होती है। जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में जाता था, तब देखता था कि लोग दो-दो किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते थे और पूरा गांव शाम तक सिर्फ पानी ही भरता रहता था।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए ज्यादा बजट का प्रावधान हो, नहीं तो यह समस्या गंभीर होती जाएगी। यहां देख लीजिए क्या हो रहा है, 12000 करोड़ रूपए कामनवेल्थ गेम में आतिशबाजी की तरह 15 दिन में खर्च हो जाएंगे, यहां दो-चार बड़े होटल बन जाएंगे, चार-छः खेल गांव बन जाएंगे और 100 मेडल्स में से 95 मेडल्स बाहर वाले लेकर चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि जिस गांव में 1000 से ज्यादा आबादी हो या क्लस्टर में वाटर टैंक बनवाएं जिससे लोगों को पानी न ढोना पड़े। जोशी जी अभी सदन में दिखाई दिए जो ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। झांसी से निर्वाचित प्रदीप जैन जी उसी मंत्रालय में स्टेट मिनिस्टर हैं, वहां अभी इलेक्शन हुआ जिसमें इनका कैंडीडेट हार गया। सिर्फ वाटर प्राब्लम पर ये हार गए। कांग्रेस को यह रियलाइज करना चाहिए कि बिना वाटर दिए, इनका श्रीगणेश उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला है। इसमें कोई बहुत बड़ी एटामिक टेक्नालॉजी नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ एक सोच और मनोबल होना चाहिए। Water is a fundamental right. अब मैं संविधान की बात करना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा है "The Constitution will endeavour a decent living of its citizen." सुप्रीम कोर्ट ने कांस्टीट्यूशन बेंच में कहा है "Decent living means not animal living." विदेशों में, आस्ट्रेलिया में लोग व्हेल मछली को बचाने के लिए खर्चा कर रह हैं, वहां जानवरों को पाल रहे हैं और यहां हिन्दुस्तान में आदमी मर रहे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। दो साल पहले कांग्रेस के स्टार प्रचारक युवा सम्राट वहां गए थे। वहां उन्होंने कहा कि पेयजल की समस्या एकदम ठीक हो जाएगी। जैसे जीशस क्राइस्ट में, आप समझेंगे सभापति महोदय, It was a day and it was a day. Then, it was a night and it was a night. उस तरह की जादुई चीज कही गयी। दो साल हो गए, वहां एक कुंआ तक नहीं खोदा गया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक समयबद्ध कार्यक्रम इसके लिए बनाएं और यह

एनश्योर करें कि किसी भी गांव में कोई पानी सिर पर लेकर न ढोए, वाटरटैंक्स बनाएं, ट्यूबवेल्स बनाएं जिससे पानी की समस्या दूर हो।

श्री प्रेमदास (इटावा): महोदय, आपने मुझे पानी के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

पानी की आज पूरे देश में समस्या है। जब पूरे जनसमुदाय, पूरे देश को पानी नहीं मिलेगा, पानी के लिए परेशान रहेंगे, तो इस देश में मिल ही क्या सकता है। हवा, पानी, भोजन हमारे मौलिक अधिकार हैं। हमारा लोक सभा क्षेत्र इटावा चंबल और यमुना के किनारे का क्षेत्र है। एक साल की वार्ा में खेती के लिए पानी नहीं मिलता है, आम आदमियों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि आबादी बढ़ती जा रही है, अगर हमारी सरकार ने पानी की समस्या को हल न किया तो आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या होगी। हम जानते हैं कि जब बरसात होती है, बड़े-बड़े तालाबों में पानी इकट्ठा किया जाता था, तो दो साल-तीन साल तक जमीन में पानी रहता था। आज पूरा पानी जमीन से खींचा जा रहा है। बड़े-बड़े शहरों में बहुत बड़ी समस्या है। पानी बहुत प्रदूति है जिससे अनेक बीमारियां फैल रही हैं। जब हम लोग अपने लोक सभा क्षेत्र में जाते हैं, हर आदमी नल की डिमाण्ड करता है। जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा है, अगर बड़ी-बड़ी पानी की टंकियां बन जाएं, तो पूरी समस्या हल हो सकती है। लेकिन यह भी जरूरी है कि वार्ा का पानी रोक-रोककर निकाला जाए। मेरे क्षेत्र में पांच नदियां पड़ती हैं जिनका पानी दिल्ली से होकर, उत्तर प्रदेश में होते हुए बिहार के रास्ते समुद्र में गिर जाता है।

16.00 hrs.

अगर 20-25 किलोमीटर पर बांध लगाकर पानी को रोका जाए तो वाटर लेवल भी मैनटेन होगा और इस समस्या का समाधान भी होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस समस्या को हल करने की बहुत आवश्यकता है। अगर यह समस्या हल नहीं हुई तो भविष्य में पानी पर अगला विश्वयुद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र से आता हूं। वहां पानी की बहुत बड़ी समस्या रही है और पानी को किस तरह से मैनेज करते हैं, वहां के लोग इस बात को बखुबी जानते हैं। कहा जाता है कि वहां घी मिल जाता है लेकिन पानी नहीं मिलता है। मान्यवर, हमारे यहां पानी पीने का तरीका भी अलग है। पानी के लोटे को सीधा मुंह में पानी डालकर पीते हैं जिससे एक बूंद भी पानी व्यर्थ न हो। रेगिस्तान में रहने वाले लोग वाटर मैनेजमेंट को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हमने पानी के अभाव को भोगा है। किसी जमाने में जो वाटर-हार्वेस्टिंग का ढांचा था, जो हमारे कुंड थे, बावड़ियां थीं, जोहड़ थे, तालाब थे, उनको वापिस रिचार्ज करने की जरूरत है, अन्यथा यह पानी का संकट ठीक होने वाला नहीं है। घरों में नल चला गया, बिजली नहीं होती है तो वाटर सप्लाई बंद हो जाती है। आज भी मेरे संसदीय क्षेत्र में तीन-तीन दिन तक पानी नहीं आता है। हम राष्ट्रीय सीमा पर बसे हुए हैं, वहां पर इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है। किसी जमाने में, एक बहुत अच्छी स्कीम " अपनी योजना" के माध्यम से भारत सरकार लाई थी और उसमें जर्मनी के केएफडब्ल्यू, I think, KfW is a financial institution of the German Government. उसके सहयोग से एक स्कीम आई थी जिसमें 956 गांवों को 423 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। हमारे राजस्थान के चुरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ जिले उसमें सम्मिलित थे। यह बहुत अच्छी स्कीम थी और अपनी योजना के माध्यम से खारे पानी को मीठा पानी बनाया गया। कल्पना नहीं थी कि रेगिस्तान में, नहर का पानी भी वहां आ सकता है। लेकिन जो सैकिंड फैज में 867 करोड़ का प्रोजैक्ट 256 गांवों और पांच शहरी क्षेत्रों के लिए है वह अभी भी भारत सरकार में पैंडिंग है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के आरडी मिनिस्टर या जहां भी यह पेंडिंग है, मैं कहना चाहता हूं कि सैकेंड फेज की योजना के प्रोजेक्ट को मंजूर करें। मेरे बीकानेर क्षेत्र में वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा, मैं कहता हूं कि नरेगा के लिए भी ज्यादा से ज्यादा पैसा दीजिए और मोनिटरिंग भी कीजिए। आज कोई आदमी यह सर्वे नहीं कर रहा है कि पानी कितना नीचे जा रहा है। पहली बात यह है कि पानी पीने के लिए नहीं है। दूसरी बात कुओं के माध्यम से सिंचाई हो रही है और सिंचाई का भी कोई मोनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है। इधर ग्राउंड वाटर विभाग कह रहा है कि डार्क जोन घोषित कर दिया है और उसकी कोई सुनता नहीं है तथा कुएं खोद रहे हैं। पानी का स्तर लगातर नीचे जा रहा है। वॉटर रिचार्ज करने का सिस्टम कमजोर हो गया है, तो वाटर का लेवल कैसे ऊपर आएगा? यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने पर समस्या का समाधान हो सकता है। मैं वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, जिसमें यह कहा था कि संसार में 70 परसेंट बीमारियां पानी से पैदा होती हैं। जब हमें स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, तो स्वस्थ नागरिक देश में कैसे पैदा हो

सकते हैं? जब इस देश में स्वस्थ नागरिक पैदा नहीं होंगे, तो आने वाली चुनौतियों का मुकाबला देश कैसे कर सकेगा? स्वच्छ पानी बहुत जरूरी है, वाटर मैनेजमेंट जरूरी है। रहीम दास जी तो कह गए हैं कि

''रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून''

वॉटर मैनेजमेंट का जब कन्सेप्ट चला था, जब यात्राएं निकली थीं, तब एक नारा कहा गया कि जल है, तो कल है, अगर जल नहीं है तो कल भी नहीं है। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस गंभीर चुनौती का आप मजबूती से मुकाबला करे। If you have water, then you have a bright future. If you do not have water, then you do not have a bright future.

MR. CHAIRMAN : You have predicted the future. You please sit down.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Thank you.

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने बजट भाषण में भी मंत्री जी को कहा था कि पांच साल के अंदर देश के हर गांव में कम से कम पेयजल अवश्य पहुंचना चाहिए। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र जयनगर, सुंदरवन में है। मेरे क्षेत्र में एक नलकूप लगाने के लिए एक लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा आता है। हमारे यहां पश्चिम बंगाल के 12 जिलों में ग्राउंड वाटर आर्सनिक कनटेमिनेशन हो गया है, इसके कारण कैंसर की बीमारी भी हो रही है और बहुत से लोग मारे भी गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। पहले इस बात को छिपाने की कोशिश की थी। मैं इसी सिलसिले में कहना चाहता हूं कि हमारा एक विचित्र देश है, जिसमें कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है और कभी प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान पहुंचता है। जब हम राजस्थान में देखते हैं कि सूखा पड़ रहा है, तब पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है। इसकी रोकथाम करने के लिए योजना तैयार करनी चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि हमारी खेती योग्य जो जमीन है, आजादी के 62 वर्ष बाद भी 62 फीसदी जमीन सिंचाई के अंतर्गत नहीं आई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि सभी गांवों में पेयजल पहुंचे। आर्सनिक कनटेमिनेशन और फ्लोराइड कनटेमिनेशन भी एक समस्या है, इसे रोके। इसके लिए जिस तकनीक की भी जरूरत है, उस पर शोध हो। बारिश के पानी को हार्वेस्टिंग करने की बात माननीय सदस्यों ने कही है, उसे बहुत महत्वपूर्ण ढंग से देखा जाए। इससे सूखे की समस्या का अंत होगा और पेयजल की समस्या भी खत्म हो सकती है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (KUMARI AGATHA SANGMA): Sir, I rise to give reply to the speech of the hon. Member, Shri Satpal Maharaj who has moved this Resolution. I personally have very high regards for the hon. Member not only because he is an hon. Member of this House but also because he is a very important spiritual leader of this country.

In my reply I will make sincere effort to include the different aspects or the different issues which the hon. Members have raised but in case of my inability to do so, in case of any specific queries that the hon. Members have raised, I, on behalf of the Ministry, will send it in a personal note to all the hon. Members.

This Government has resolved to improve the quality of life of the *Aam Aadmi*. Drinking water is one of the most important and fundamental needs of the *Aam Aadmi*. Recognizing its importance, the Government has designated the national programme for rural drinking water as one of its flagship programmes and is monitoring, its progress very closely under *Bharat Nirman*. Though drinking water is a State subject, Central Government has been taking active interest in supporting the State Governments to meet the challenges of providing potable drinking water in adequate quantity to all households in rural areas.

Mr. Chairman, the hon. Member has moved the Resolution with a specific mention of Uttarakhand. The State is a hill State, heavily afforested, small in size but with logistic problems. Efforts have been made to tackle the drinking water issues keeping in view the uniqueness of terrain and available water resources. For example, pumping up of water to a hill top and using gravity for distribution is a common practice in Uttarakhand. The State took up 22 projects for as many towns under the Accelerated Urban Water Supply Programme. All these projects have been completed as per the guidelines of the programme and duly commissioned. As the House is aware, all such projects for urban areas are now being taken up under the Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission.

As far as the rural areas are concerned, all States, including Uttarakhand, are provided support under the National Rural Drinking Water Programme, earlier known as Accelerated Rural Water Supply Programme. In one of its components mentioned by the hon. Member, namely *Swajaldhara,* the State has completed 163 schemes and another 17 schemes are in various stages of implementation. The State considered the model so successful that it adopted its principles for all rural water supply schemes. Based on *Swajaldhara* principles, the sector-wide approach project assisted by the World Bank has been in operation since 1st December, 2006 in the State of Uttarakhand. Under this project, presently under implementation, 8270 habitations are proposed to be covered with potable drinking water supply by the year 2012. Under the National Rural Drinking Water Programme, funds have been regularly released to the State. Presently, 45 continued schemes taken up from State sector funds, covering a total of 1171 habitations, have been dovetailed with the funds released from the Center. We have released Rs. 89.30 crore in 2007-08, Rs. 85.86 crore in 2008-09 and made a release of Rs. 61.82 crore in the current year as the first installment. The State has performed extremely well and reports almost 75% achievement in the last four years with respect to the physical targets.

At the national level, provision of drinking water constitutes one of the important schemes under *Bharat Nirman*. During the period 2005-09, under *Bharat Nirman*, more than 54000 uncovered habitations were provided with drinking water and augmentation was undertaken in about 3.58 lakh habitations where the quantum of water supply had reduced due to various reasons. In addition, in 50,167 habitations where water quality was a problem, alternate sources of drinking water were provided.

The outlay for rural drinking water which was Rs. 4060 crores in 2005-06 has been increased to Rs. 6400 crore in 2007-08 and to Rs. 7300 crore in 2008-09. For the year 2009-10 a sum of Rs. 8000 crore has been provided. This is an indication of the seriousness and earnestness with which the Central Government is viewing the problem of drinking water in rural areas.

Even though concerted efforts have been made to solve the drinking water problem in rural areas, it cannot be said that the challenges have been met fully. The introduction of rigs to dig bore wells brought relief to many parts of the country. However, the exploitation of groundwater for irrigation has now reached such a level that there are risks that availability for drinking water will be a problem. The water tables have gone down steeply in many blocks. Along with this, there is a .problem of contamination. There are five major contaminants namely arsenic, fluoride, iron, salinity and nitrate. Arsenic happens to be a major problem in West Bengal; fluoride in Rajasthan, Karnataka, Gujarat, Madhya Pradesh; iron in Orissa, Assam, West Bengal, Tripura, Karnataka and salinity has been reported in Rajasthan, West Bengal, Karnataka, Gujarat and Maharashtra. Nitrates have been found increasingly in Rajasthan, Karnataka and Gujarat.

During the speeches by the hon. Members, many suggestions have been made about how the drinking water scenario can be improved. The important suggestions, *inter alia*, were -

1. To bring sustainability to water sources and water systems
2. To provide for a district water security plan
3. Urgent steps to protect water sources and to conserve water
4. To encourage rainwater harvesting, and
5. To preserve traditional water bodies

Sir, I would like to draw the attention of all the hon. Members to the Guidelines for the National Rural Drinking Water Programme, which can be seen on the website of the Department of Drinking Water Supply.

The National Rural Drinking Water Programme gives emphasis to ensuring sustainability of water availability in terms of potability, adequacy, convenience, affordability and equity by adopting a decentralized approach involving PRIs and community organizations. The fundamental approach is to provide adequate flexibility to the States, the Union Territories to incorporate the principle of decentralized, demand driven service delivery with an area specific strategy.

The objective is to ensure the drinking water security to all villages on a sustainable basis. Adoption of appropriate technology, revival of traditional systems, conjunctive use of surface and groundwater, conservation, rainwater harvesting, which was specifically mentioned by hon. Member Shri Vijay Bahadur Singh, and recharge of drinking water sources have been given a major emphasis in this new approach. Fresh efforts are being made to put in place a mechanism for convergence with related programmes at the field level, especially with the National Rural Employment Guarantee Scheme. It is extremely satisfying here to state that almost 50 per cent of NREGA funds are being used for water conservation and harvesting structures such as ponds, canals etc. Habitations affected by the presence of arsenic, fluoride and iron in the drinking water and habitations with salinity problems will continue to receive focused attention and for this purpose we will work closely with the State Governments to identify location specific solutions to tackle these problems. I hope it will be appreciated that the suggestions which have made by the hon. Members have already been incorporated in the guidelines of the National Rural Drinking Water Programme.

Sir, the Resolution also refers to monitoring of the Centrally sponsored drinking water schemes. I have to bring to the notice of the House that an Integrated Management Information System (IMIS) has been introduced and the States are feeding information on line. The design of IMIS enables monitoring of the schemes on a close to a real time basis with the added advantage that the data is fed at the lowest level, and is available in the public domain. In addition to these

schemes there is also inspection which is done by the Area Officers from the Department of Drinking Water Supply.[k52]

Further, the Ministry of Rural Development has constituted District Vigilance and Monitoring Committees under the chairpersonship of the elected Members of Parliament. The constitution of this Committee is an important step of the Ministry to ensure that the grass root monitoring of the Centrally-sponsored schemes, including those relating to the Drinking Water Supply, is also done under the guidance of the representatives of the people.

The Resolution also suggests that a time-bound comprehensive Action Plan should be drawn up. I would like to bring to the notice of the House that annual monitorable targets for the two most important areas, namely, coverage of uncovered habitations and tackling problems in quality affected habitations already exist. The guidelines specify drawing up of Village Action Plan based on which a District Water Security Plan and a comprehensive Water Security Action Plan for the State will be prepared.

Sir, in several speeches, reference was also made to the adverse impact of climate change, deforestation and receding glaciers on the availability of drinking water. Attention was drawn to the pollution of the rivers and water bodies and how this is creating diverse problems for the citizens. Members also referred to the illegal and harmful pumping of effluents by industries into the underground aquifers. These are all issues of serious concern and are engaging the attention of the Government as a whole and of the concerned Ministries and Departments. The Ministry of Water Resources, in consultation with the concerned Departments and the State Governments, is in the process of preparing a document for the National Water Mission under the National Action Plan on Climate Change. The main objective of the National Water Mission is "Conservation of water, minimizing wastage and ensuring its more equitable distribution both across and within States through integrated water resources development and management." It will, therefore, be seen that concerns of the hon. Members are already being addressed.

Sir, drinking water will continue to be one of the topmost priorities of the Government of India and will constitute a part of the extended Bharat Nirman. I would like to seek the cooperation of all the hon. Members by way of suggestions to ensure that our rural areas are provided with adequate drinking water. The actions already taken and being taken to meet the drinking water needs of rural India have been briefly summarized.

I would, in this background, urge the hon. Member to withdraw the Resolution.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड में पानी का बड़ा संकट है। जब वहां गर्मी पड़ती है और जल स्तर नीचे चला जाता है तो पानी खच्चरों और टैंकरों से उपलब्ध कराया जाता है। कहीं-कहीं टैंकर नहीं भजे जाते हैं तो लोगों को बहुत कठिनाई होती है। इस कारण हमारे उत्तराखंड में पानी की भारी समस्या बनी हुई है। इसलिये, मैं चाहूगा कि सरकार की तरफ से ऐसी योजना बने जिसमें केन्द्र की ओर से जो पैसा जाता है, वह राज्यों पर खर्च हो। जब यह योजना बनायेंगे तो अगले 5-10 सालों में पानी की उपलब्धता न केवल पहाड़ी क्षेत्रों के लिये बल्कि पूरे भारत की जनता को उपलब्ध होगी। सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हुये अपना संकल्प वापस लेना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House that the Resolution moved by Shri Satpal Maharaj be withdrawn?

The Resolution was, by leave, withdrawn.

16.26 hrs.

RESOLUTION RE : SPECIAL ECONOMIC DEVELOPMENT PACKAGE FOR THE EASTERN DISTRICTS OF THE STATE OF UTTAR PRADESH

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं-

> " कि उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी जिलों, जिन्हें पूर्वांचल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन पर विचार करते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए घोषित पैकेज की तर्ज पर इस क्षेत्र के लिए भी विशेष आर्थिक विकास पैकेज तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए तुरंत कदम उठाए।"

महोदय, आज आपने हमें इस मुद्दे को उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मेरा उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और इसकी जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है। यह प्रदेश पहले पांच हिस्सों में था। हमने अपना एक हिस्सा उत्तराखंड अलग कर दिया और अब हमारे पास चार हिस्से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। मेरा पूर्वांचल, जहां की मैं निवासी हूं, वहां के कई माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारा क्षेत्र शायद उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ है। यह आज से नहीं, बहुत सालों से पिछड़ा हुआ है। जब स्वतंत्रता का आन्दोलन शुरू हुआ था तो पूर्वांचल ने ही सबसे पहले आवाज उठायी थी। गाजीपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में हम सब लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठायी।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): आप इलाहाबाद को भूल गयीं। इलाहाबाद तो केंद्र बिन्दु था।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, you can speak on whatever points she has forgotten to mention when your turn comes to speak on this issue in the House.

… (*Interruptions*)

राजकुमारी रत्ना सिंह : महोदय, हमारे पूरे पूर्वांचल ने अंग्रेजों की खिलाफत की। सबसे पहले अंग्रेजों ने हमें पिछड़ा किया। उसके बाद जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने पूर्वांचल के पिछड़ेपन को देखकर वर्ष 1962 में एक कमेटी गठित की, कि पूर्वांचल के लिए कुछ किया जाए। आज मैं फिर से यह विषय उठाना चाहती हूं कि पूर्वांचल की तरफ केंद्र सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। केंद्र सरकार को पूर्वांचल के निवासियों के लिए बहुत कुछ करना है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्वांचल को और पिछड़ा कर रही है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not disturb her.

… (*Interruptions*)

राजकुमारी रत्ना सिंह : महोदय, 20 साल से जब से हम लोगों का राज वहां नहीं रहा, तब से पूर्वांचल धीरे-धीरे पिछड़ता जा रहा है। ...(व्यवधान) 20 साल से पूर्वांचल और पिछड़ता जा रहा है। ...(व्यवधान) मैं पूर्वांचल के लोगों के आक्रोश की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं। हिन्दुस्तान के 7 फीसदी लोग पूर्वांचल में रहते हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, my request is that if the hon. Members from the other side want to counter any point that is being said by the hon. Member, then they can do so when they themselves get a chance to speak. But let her not be interrupted like this in the House. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please keep quiet.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: This is exactly what I was suggesting just now. I will allow you whenever your turn comes, and you can refute the points made by the hon. Member. Please do not disturb her right now.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please continue your speech.

… (*Interruptions*)

राजकुमारी रत्ना सिंह : महोदय, पूर्वांचल में भारत के 7 प्रतिशत लोग रहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इन 7 प्रतिशत लोगों में सबसे ज्यादा पिछड़ापन है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। सबसे पहले हम हैल्थ और एजुकेशन पर आते हैं। पूर्वांचल में सबसे कम चाहे एलोपैथिक हॉस्पीटल हों या मैटरनिटी एवं चाइल्ड वैलफेयर हो, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की तरफ से 11 प्रतिशत हो, हमारे पूर्वांचल में 11.4 प्रतिशत कम हैं। हम लोग शिक्षा की तरफ देखते हैं तो शिक्षा में उत्तर प्रदेश के आंकड़े 56.27 परसेंट हैं। भारत में 64.80 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, लेकिन मेरा पूर्वांचल पिछड़कर 54.27 परसेंट है। महिलाओं में सिर्फ 39.13 प्रतिशत को शिक्षा मिल रही है। हम देखें तो पूरे हिन्दुस्तान में नंबर ऑफ स्कूल प्रति लाख पॉपुलेशन पर 2007-08 में हिन्दुस्तान का औसत 70 प्रतिशत है और हमारे यहाँ पूर्वांचल में जूनियर बेसिक स्कूल 68 प्रतिशत हैं। पश्चिम में देखें तो 80 परसेंट हैं और बुंदेलखंड में देखें तो 104 परसेंट हैं। जूनियर

स्कूल भी हमारे यहां 87 परसेंट हैं जबकि और जगहों पर ज्यादा हैं। मैं इन् आंकड़ों के द्वारा यह कहना चाहती हूँ कि पूर्वांचल में जितनी शिक्षा हमें चाहिए, उतनी नहीं है। खास तौर से मैं मैडिकल शिक्षा के संबंध में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। हमारे गोरखपुर में एक मैडिकल कालेज है जिसकी हालत बहुत ही खराब है। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से यही रिक्वैस्ट करेंगे कि हमारे यहाँ दो-तीन मैडिकल कालेज पूर्वांचल में और बनाए जाएँ जिससे हम अपने लोगों को मैडिकल शिक्षा की सुविधा दे सकें। जो हमारे मैडिकल कालेज हैं, उनका नवीनीकरण किया जाए। खासकर वहाँ गोरखपुर का जो मैडिकल कालेज है, उसमें बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। हमारे पूर्वांचल में एक बहुत बड़ी बीमारी है जैपनीज़ एनसिफैलाइटिस। यह एक एपिडैमिक के रूप में चल रही है। इसका भी कोई ठीक इलाज नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ अभी भी बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं। हमारे युवा नेता राहुल जी ने सरकार से कहा था कि वह जो कर सकते हैं, ज़रूर करेंगे, पर स्टेट गवर्नमैंट ने जो उनकी राय थी, पूरी तरह नहीं मानी। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb her.

राजकुमारी रत्ना सिंह : मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि एनसिफैलाइटिस को वारफुटिंग पर लिया जाए और इस बीमारी के इरैडिकेशन के लिए हमें कुछ करना चाहिए।

अब मैं खेती-बाड़ी पर आती हूँ। ये 2005-06 के आंकड़े हैं। पूरे हिन्दुस्तान में 42.40 परसेंट भूभाग पर खेती होती है। हम जब यूपी के आँकड़े देखें तो 78.6 परसेंट एरिया सोन है। मेरे पूर्वांचल में 74 परसेंट ही है जबकि पश्चिम यूपी में 90.2 परसेंट, सैन्ट्रल यूपी में 82 परसेंट और 60 परसेंट बुंदेलखंड में है। उत्तर प्रदेश के पूरे आंकड़े में भी हम लोग 4.6 परसेंट कम हैं। हम लोगों के यहां जो फर्टिलाइज़र आता है, उत्तर प्रदेश में ग्रास क्राप एरिया प्रति केजी 2006-07 में, उसमें पश्चिम यूपी को 174.09 दिया जाता है और मेरे पूर्वांचल को 151.79 दिया जाता है। इसमें भी कमी की जाती है। ...(व्यवधान) फर्टिलाइज़र तो दिल्ली से लखनऊ भेजना केन्द्र की जिम्मेदारी है लेकिन लखनऊ से हर जिले में खाद पहुँचाना तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb the hon. Member.

राजकुमारी रत्ना सिंह : हमारे उत्तर प्रदेश के जो आँकड़े मिल रहे हैं, फर्टिलाइज़र तो बहुत भेजा जाता है, हर साल सात परसेंट की बढ़ोतरी करके भेजा जाता है पर गरीब किसानों को फर्टिलाइज़र अभी भी नहीं मिल रहा है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb the hon. Member. You can speak when your turn comes.

राजकुमारी रत्ना सिंह : पूर्वांचल के किसानों को सबसे बड़ी परेशानी तो फर्टिलाइज़र की है। हमने उत्तराखंड में पूसा इंस्टीट्यूट भी दे दिए। हमने पंत नगर वाला इंस्टीट्यूट दे दिया, लेकिन अभी भी हमें वहां अच्छे बीजों की बहुत कमी पड़ रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि एक अच्छा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट भी पूर्वांचल में दिया जाए, जिससे हमारे पूर्वांचल के किसानों को अच्छे बीज मिल सकें। हम आपने आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा, on gross value of agriculture output, per hectare of gross crop area at the current prices for 2005-06, पूरे हिन्दुस्तान के आंकड़े 26910 रुपए हैं। पश्चिमी यू.पी. में 39989 रुपए और पूर्वांचल में 24485 रुपए मिलते हैं। हम लोग करीब 13-14 परसैंट पश्चिम से पीछे हैं, per hectare gross crop area at current prices. पूर्वांचल में सबसे बड़ी परेशानी गन्ना किसानों की है। आप पूरे हिन्दुस्तान के आंकड़े देखिए, productivity of major crop per quintal hectare put together. पूरे हिन्दुस्तान में शुगर केन सन् 2006-07 के अंदर 690.22 था और हमारे पश्चिम में 608.71 है, पूर्वांचल में 523.61 है। हमारे यहां शुगर केन में भी बड़ी परेशानी है। पांच-सात सालों में, बल्कि बीस सालों में एक फ्लक्चुएटिंग शुगर पॉलिसी के कारण, जब-जब नयी सरकारें आती हैं तो शुगर पॉलिसी भी डिस्टर्ब हो जाती है। शुगर पॉलिसी की प्रोबलम के कारण पूर्वांचल में कई चीनी मिलें बंद हो गई हैं और हमारे गन्ना किसान कुछ चीनी मिलों को बेचने का प्रस्ताव भी कुछ साल पहले कर दिया। हमारे कई किसान नेपाल में जाकर अपना गन्ना बेच रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि शुगर केन पॉलिसी थोड़ी लोंग टर्म होनी चाहिए ताकि गन्ना किसान, मिल मालिक और सब मिल कर कुछ कर सकें। सबसे ज्यादा परेशान किसान होता है, जो अपना गन्ना मिल मालिक को बेच देता है और मिल मालिक उसे सही दाम नहीं देते। पूर्वांचल में गन्ना किसानों के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना है। अगला ज्वलंत मुद्दा हमारे किसानों का है - जैसे फर्टिलाइजर, चीनी की भी प्रोबलम है। हमें बीज नहीं मिलता है, सबसे बड़ी प्रोबलम यह है कि हमारे यहां काफी नदियां नेपाल से पूर्वांचल में आती हैं - घघरा, सरजू, गंढक, राप्ती, तोंस है, जो नेपाल से शुरू होकर हमारे पूर्वांचल में आती हैं। जैसे ही धान लगाने का समय होता है, वे इतनी बाढ कर देती हैं कि हर वर्ष गोरखपुर एरिया में बाढ़ आ जाती है और किसान परेशान हो जाते हैं। बाढ़ रोकने के लिए कुछ चैक डेम्स बनाए जाएं, इसके कई फायदे होंगे। इससे हम लोग इलैक्ट्रीसिटी भी प्रड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में सबसे कम बिजली का उत्पादन है।

सभापति महोदय, पूर्वान्चल में सबसे कम बिजली का उत्पादन होता है और सबसे कम खर्च होता है क्योंकि बिजली हमें मिलती ही नहीं है, तो हम क्या खर्च करेंगे और कहां से खर्च करेंगे। वहां मुश्किल से छः-सात घंटे बिजली मिलती है। जितने घंटे बिजली मिलती है, उतने ही घंटे में हम जितनी बिजली खर्च कर सकते हैं, उतनी करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि नेपाल जब इन नदियों में पानी छोड़े, तो हमें सूचित करे और यहां चैक डैम्स बनाएं। उनसे इलैक्ट्रिसिटी की भी प्रोडक्शन हो सकती है और पूर्वान्चल को बिजली भी मिल जाएगी।

सभापति महोदय, बैंकिंग एवं फायनेंस में हमारे यहां क्रेडिट एंड डिपॉजिट का रेश्यो देखें, तो पूरे हिन्दुस्तान में वर्ष 2007-08 में 74.16 परसेंट, पश्चिम यू.पी. में 52.61 परसेंट है और पूर्वान्चल में 29.07 परसेंट है। इसलिए क्रैडिट डिपोजिट रेश्यो में भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्श्यल बैंक्स, पर लाख ऑफ पापुलेशन इन दि ईयर 2007-08 में देखें, तो पूरे हिन्दुस्तान के आंकड़े 6.5 परसेंट हैं, लेकिन हमारे पश्चिमी यू.पी. में 5.00 परसेंट है और पूर्वान्चल में 4.2 परसेंट है। बैंकिंग सैक्टर में भी पूर्वान्चल में बहुत कमी है। फिर मैं एम्पलॉयमेंट एंड मैनपॉवर पर आती हूं। हमारे यहां परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स टू टोटल पापुलेशन, पूरे हिन्दुस्तान में 30.40 प्रतिशत है। पश्चिम यू.पी. में 24.19 और पूर्वान्चल 22.02 प्रतिशत है। मेल वर्कर्स इंगेज्ड इन रूरल ग्रॉस वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एट करेंट प्राइसेस फॉर 2005 और 2006 को देखें, तो हिन्दुस्तान का 5536 है। हमारे वैस्टर्न यू.पी. का इंडिया के एवरेज से ज्यादा 8893 है। इसकी तुलना में हमारा पूर्वान्चल बहुत पीछे यानी 3731 है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारा पूर्वान्चल कितना पिछड़ा है। यदि आप पर कैपीटम इन्कम एट करेंट प्राइसेस फॉर 2005 एंड 06 देखें, तो पूरे हिन्दुस्तान का 25,956 है। वैस्टर्न यू.पी. का 17,083 है और हमारे पूर्वान्चल का सिर्फ 9,499 है। भारत के आंकड़े से 15 हजार रुपए कम हैं और पश्चिम यू.पी. से पूर्वान्चल के 8 हजार रुपए कम हैं। इस तुलना से आप स्वयं देख सकते हैं कि हमारा पूर्वान्चल कितना पिछड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से यही आग्रह करूंगी कि इन विषयों पर खास ध्यान दिया जाए।

सभापति महोदय, हमारे पूर्वान्चल में हिन्दू, बुद्धिस्ट और मुस्लिम समाजों के बहुत ज्यादा धर्म स्थान हैं। हमारे पूर्वान्चल में पूरा बुद्धिस्ट रूट है। बाबा विश्वनाथ काशी में हैं। सारनाथ भी बनारस में हैं, लेकिन हमारे यहां कोई अच्छा इंटरनैशनल एयरपोर्ट नहीं है। वाराणसी में जो इंटरनैशनल एयरपोर्ट है, उस पर ज्यादातर चार्टर्ड फ्लाइट्स आती हैं। उस पर कोई इंडियन फ्लाइट्स नहीं आती हैं। वह एयरपोर्ट सिर्फ दिन के समय चलता है। कहीं से भी जाएं, तो बनारस का एयरपोर्ट अमूमन प्रातः 8.00 बजे से सायंकाल 4.00 बजे तक चलता है। उसके बाद कोई भी फ्लाइट बनारस के एयरपोर्ट से नहीं चलती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि बनारस एयरपोर्ट को एक अत्याधुनिक, मॉडर्न इंटरनैशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, जिससे

थाईलैंड, श्रीलंका और चायना आदि से जो टूरिस्ट्स आते हैं, वे वहां सुगमता से पहुंच सकें। हिन्दू धर्म के श्रद्धालु भी बहुत दूर-दूर से बनारस आते हैं। बुद्धिस्ट रूट में आते हैं तो उनको भी इस इण्टरनेशनल एयरपोर्ट का लाभ मिल सके। हमारे इस क्षेत्र में टूरिज्म बढ़ेगा तो एक अच्छा एम्पलॉयमेंट का, एक अच्छा रोजगार का नया सोर्स मिलेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि वाराणसी एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाये। हमारे यहां गोरखपुर में भी एयरपोर्ट है, जहां हर एक या दूसरे दिन हवाई जहाज जाता है, उसको भी अपग्रेड करने की जरूरत है।

वाराणसी कई धर्म के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और यहां गंगा-जमुनी तहजीब है। वहां एक तरफ आप घंटों की आवाज सुनते हैं तो अजान भी सुनाई पड़ती है और इसके बीच में हम अपने लूम्स की आवाज भी सुनते हैं। मैं तो कहूंगी कि विश्व के सबसे अच्छे वीवर्स मेरे पूर्वांचल में रहते हैं, चाहे वाराणसी हो, भदोही हो, देवरिया हो या मिर्जापुर हो, सभी वीवर्स यहां रहते हैं। उनके हाथों में जो हुनर है, शायद विश्व में कहीं नहीं है। अब इन वीवर्स के साथ अन्याय हो रहा है। वे न्याय मांग रहे हैं। बनारस का ब्रोकेड और बनारस का रेशम पूरे विश्व में मशहूर है। पहले तो वहां हैंड वीविंग होती थी, फिर उन्होंने पावर लूम लगाये तो बिजली आनी बन्द हो गई तो फिर बेचारे वीवर्स उसी हालत में आ गये। आज उनको अच्छा यार्न नहीं मिलता है, क्योंकि यार्न हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से कहूंगी कि आप मंत्री जी से आप आग्रह करें कि यार्न के लिए सब्सिडी दी जाये, जिससे वे और यार्न इम्पोर्ट करें और बनारस और आसपास के जिलों में वीवर्स को फिर से एक नया जीवन मिले। एक्सपोर्ट के लिए भी उनको इंसेंटिव्स दिये जायें, जिससे चाहे कालीन हो, रेशम हो या ब्रोकेड हो, उसको वे बेच सकें।

मुझे विश्वास है कि वीवर्स के लिए यह सरकार बहुत कुछ करेगी। मैं 1-2 बिन्दु और जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी कांग्रेस सरकार ने बैकवर्ड एरिया ग्राण्ट फंड शुरू किया, जो पूर्वांचल के कई जिलों में चल रहा है। बी.आर.जी.एफ. के नाम से यह है, पर बी.आर.जी.एफ. में हम लोगों को कई परेशानियां हो रही हैं। यह पैसा तो केन्द्र सरकार का है और केन्द्र सरकार जिले को पैसा भेजती है, पर हमारे जो एम.एल.एज़. हैं और वहां जो प्रशासन है, वे एम.पी. की राय नहीं लेते और वह पैसा जिस तरह खर्च होना चाहिए, वह नहीं हो पाता। मैं सभी एम.पीज़. की तरफ से कहना चाहूंगी, जो पूर्वांचल के एम.पीज़. हैं कि बी.आर.जी.एफ. में बिना एम.पी. की राय के कुछ कार्य नहीं हो, जिससे कि हम लोग अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकें। हम लोग जो प्रपोजल देते हैं, उसके अनुसार कुछ कार्य नहीं हो पाता है।

हमारी सरकार ने कुछ साल पहले नरेगा स्कीम शुरू की। आज पूरे हिन्दुस्तान में नरेगा स्कीम चल रही है। नरेगा में पूर्वांचल में बहुत कुछ काम करवाया गया है, पर अभी भी नरेगा में बहुत कुछ हम लोगों को परेशानी होती है। वहां के जो अधिकारी हैं, वे ऐसे काम करवा देते हैं, जो मानक के अनुरूप नहीं होते।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि नरेगा पर भी पूर्वांचल में खास ध्यान दिया जाए। ...(व्यवधान) उस पर खास ध्यान दिया जाए। उसमें कई परेशानियां हो रही हैं। ...(व्यवधान)

महोदय, मेरा प्रतापगढ़ एक बहुत ही पिछड़ा जिला है। पूर्वांचल का वह ऐसा जिला है, जहां एक भी इंडस्ट्री आज की डेट में नहीं है। एक इंडस्ट्री मेरे पिता जी ने लगायी, वह केंद्रीय मंत्री थे, वहां प्रताप आटो ट्रैक्टर्स फैक्ट्री लगी। लेकिन वर्ष 1989 के करीब उस समय राज्य सरकार ने एक प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ उसको बेच डाला। उसके बाद उसने सारे मूवेबल प्रापर्टीज उस फैक्ट्री से निकाल लीं। अंततः वह सिक मिल हो गयी। आज वह प्रताप आटो ट्रैक्टर्स बीआईएफआर में है। मैं चाहती हूं कि प्रताप आटो ट्रैक्टर्स को भारत सरकार ले ले। वहां एक मेडिकल कालेज खोले, क्योंकि वहां सौ से एक सौ पच्चीस एकड़ जमीन है। 231 जो नया नेशनल हाइवे डिक्लेयर हुआ है, उस पर प्रताप आटो ट्रैक्टर्स स्थित है। इसमें एक मेडिकल कालेज खोंले, क्योंकि इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर अभी भी काफी मौजूद है और इसकी लोकेशन भी अच्छी है। मेडिकल कालेज खुल जाए, तो बहुत से लोगों को राहत मिलेगी या कोई फर्टिलाइजर प्लांट सरकार वहां लगा दे, जिससे कि मेरा प्रतापगढ़ जिला, जिसमें एक भी इंडस्ट्री नहीं है, इससे कुछ तो इंडस्ट्री वहां हो जाएगी। पूर्वांचल में सारी इंडस्ट्रीज राज्य सरकार की फ्लुक्चुएटिंग पालिसीज के कारण बंद होती जा रही हैं। शुगर बंद हो गयी, सीमेंट बंद हो गयी, जो ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : If you disturb, I will not allow you to speak. I will cancel your name. So, please do not disturb her.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, एलिगेशन लग रहा है, तो क्यों नहीं बोलेंगे?

MR. CHAIRMAN: You will have your turn. At that time, you can speak. But if you get up once more, I will cancel your name.

राजकुमारी रत्ना सिंह : मैंने इसके आंकड़े रखे हैं कि मेरा पूर्वांचल जिसकी मैं एक निवासी हूं, वह कितना पिछड़ा है। वहां सात प्रतिशत पापुलेशन है और वह हर चीज में पिछड़ा है। वहां बैंकों की कमी है, इंडस्ट्री की कमी है और भी बहुत सी चीजों की कमी है। मैं चाहती हूं कि हमारे पूर्वांचल को एक ऐसा सोशियो इकॉनामिक पैकेज दिया जाए, जिससे यहां की जनता आगे बढ़ सके। यहां की जनता उठ सके और लाभ प्राप्त कर सके। हमारे पूर्वांचल के लोग मेहनती हैं और उनको मौका मिलेगा तो वे जरूर इतने ऊंचे उठ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल सबसे आगे की सिचुएशन में पहुंच सकता है। इसमें केंद्र सरकार की मदद की जरूरत है, क्योंकि राज्य सरकार इतना काम नहीं कर पाएगी, जितनी हमारी केंद्र सरकार कर पाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यही कहूंगी कि हमें एक स्पेशल पैकेज दिया जाए। हमारे वीवर्स को पैकेज दिया जाए, शुगर किसानों को, सभी किसानों को और पूर्वांचल के सभी निवासियों को एक एक्स्ट्रा हेल्प मिले जिससे कि हम लोग भी उठ सकें और सिर ऊपर उठाकर चल सकें।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्या को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूर्वांचल के प्रश्न को उठाया। जिस विस्तार के साथ, मार्मिक पीड़ा के साथ, वेदना के साथ पूर्वांचल की व्यवस्था को वह यहां रख रही थीं, वह समझने लायक है और सुनने लायक भी है। मैं प्रार्थना करूंगा कि गैर-सरकारी संकल्प जब सदन में प्रस्तुत हों तो उसको किसी राजनीतिक दल से न जोड़ा जाए, क्योंकि जब हम राजनीति करने लगेंगे, तो सत्य और तथ्य को नहीं पकड़ पाएंगे। मैं भी विपक्षी दल में रहा हूं। समाजवादी आन्दोलन से चला था चौधरी चरण सिंह जी के साथ, भाजपा तक की यात्रा, 1959 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना था। मैं अपनी राजनीतिक यात्रा के पचास साल पूरे कर चुका हूं। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसे हिन्दुस्तान में राज करने का अवसर नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ज्यादा जिम्मेदार है और अगर देश में कुछ अभाव रहा, हम नहीं कर पाए, तो हम भी उसके लिए बरी नहीं हो सकते, हम भी थोड़े-बहुत जिम्मेदार जरूर हैं। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं समझेंगे, तब तक राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर समग्र विकास नहीं कर सकते। राष्ट्र का जितना विकास होना चाहिए, उतना नहीं हुआ, यह सत्य है। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्र का विकास ही नहीं हुआ।

हम 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुए थे। उस समय जहां खड़े थे और आज जहां खड़े हैं, अगर सोचा जाए, तो इन दोनों में गुणात्मक परिवर्तन है। लेकिन दिशा ठीक नहीं थी, दृष्टि सही नहीं थी और गति सही नहीं थी, इसलिए उस पर हम चिंतन करें। जहां पूर्वांचल की सीमा समाप्त होती है, वहां से मिथलांचल की सीमा प्रारंभ होती है। गोरखपुर-पडरौना की सीमा जहां समाप्त होती है, वहां नारायणी के उस पार बगहा से मिथलांचल की सीमा शुरू होती है जो किशनगंज, बंगलादेश के बार्डर तक जाती है। जस हालत पूर्वांचल की तस हालत मिथलांचल की। आपके यहां भी पूर्वांचल में नदियां नेपाल से निकलती हैं और नेपाल में जब वर्षा होती है तो अथाह पानी आकर हमारी सभी फसलों को ले जाता है, घर बर्बाद हो जाते हैं, जानवर बर्बाद हो जाते हैं, हम भी बर्बाद होते रहते हैं। उसी तरह मिथलांचल में है। जब नेपाल में वर्षा होती है, तो हमारे यहां भी पानी आ जाता है। हम बाढ़ से उजड़ते रहते हैं। बाढ़ का मिथलांचल या पूर्वांचल में कोई स्थायी निदान न निकला है, न निकलने की कोई संभावना है, क्योंकि नेपाल से नदियां आती हैं। एक बार ऊंचा पानी आकर नीचे फैलता है तो उसे हम किसी प्रकार रोक नहीं सकते। बिहार के लोग इस आंदोलन को मिथलांचल में चलाते थे कि कोसी, कमला, गंडक को रोकने के लिए नूनथर में, वराह क्षेत्र में, शीशा पानी में डैम बनाया जाए। वह नेपाल में बनेगा। किसी दिन राजनीतिक हालत बिगड़ जाए, नेपाल से हमारे संबंध बिगड़ जाएं, तो हो सकता है कि एक बार उस डैम का फाटक उठा दिया जाए तो तीन सौ फीट पानी आ जाएगा । पूर्वांचल और मिथलांचल के लोग समुद्र के गर्भ में डूब जाएंगे, उतने पानी में बह जाएंगे।

यह राजनीतिक कारण से नहीं हो पा रहा है, इसलिए रुका हुआ है। लेकिन दूसरे उपाय किए जा सकते हैं। परिवहन हो, बिजली हो, अगर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, तो विकास कहां से होगा। पूर्वांचल और मिथलांचल में टूटी-फूटी सड़कें हैं। हमने आजाद भारत में इतने दिन देखा।

एक बार मैं सड़क पर जा रहा था, तो आगे-आगे एक मोटर साइकिल वाला अपनी नई पत्नी को लेकर सिनेमा दिखाने ले जा रहा था। जब सड़क के गड्ढे में मोटर साइकिल हिचकोले मारती तो वह पलट-पलटकर हाथ लगाकर देखता था।

श्री दारा सिंह चौहान : क्योंकि उसकी नई-नई शादी हुई थी इसलिए वह पीछे हाथ लगा कर देख रहा था।...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव :मैंने उसे रोक कर पूछा कि पलट-पलटकर क्या देखते हो। वह कहने लगा कि मैं यही देखता हूं कि पीछे मेरी पत्नी बैठी है या किसी गड्ढे में गिर गई। ऐसी हालत में हम उस जगह रहे हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना होगी कि सड़कें ठीक हों। गांव-गांव को जोड़ा जाए। आप अनुकरण करिये। हरियाणा में जाइए, पंजाब में जाइए, सभी गांवों तक पक्की सड़कें बनी हुई हैं। जिस गांव में पक्की सड़कें बनी हुई हैं, वहां यातायात दुरुस्त है, परिवहन सेवा है, वह इलाका उन्नत है। जहां सड़कें नहीं है, परिवहन नहीं है, यातायात की सेवा नहीं है, वह इलाका सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। पिछड़े होने का कारण क्या है? पिछड़े होने का कारण है। जहां सरकार जिम्मेदार है, व्यवस्था जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, वहां हम खुद भी जिम्मेदार हैं। मैं पूर्वांचल और मिथलांचल का हूं। मैं जानता हूं कि हमने राजनीति का सबसे ज्यादा जातीयकरण किया, जाति का अपराधीकरण किया, अपराध का सामाजीकरण किया। हम इस बात के भुक्तभोगी हैं। मेरी आत्मा आज रोती है कि हम कितने गिर गए थे। हमारा नेता चाहे कितना ही भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, चाहे जेल चला जाए, जेल से निकले, हाथी पर बिठाकर घंटी वाजा बजाकर उसका स्वागत किया जाए, लेकिन जब वह सामाजिक समारोह में जाता है, तो अपनी जाति में पूजित होता है। वह भ्रष्टाचारी नेता सामाजिक समारोह, सांस्कृतिक समारोह में कहीं भी जाता है तो उसे ऊंचे आसन पर बिठाया जाता है।

17.00 hrs.

उसकी आरती उतारी जाती है, माला पहनायी जाती है, जय-जयकार किया जाता है और कहा जाता है कि मेरा नेता कैसा हो, इन्हीं के जैसा हो, जो सब कुछ खायेगा, देश को मिटायेगा, अपना नाम उठायेगा। हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। इसलिए पूर्वांचल, मिथलांचल और राज्य के सभी पिछड़ों इलाकों का तब कल्याण होगा जब उस देश के नयी पीढ़ी के नौजवान, उस इलाके के लड़के-लड़कियां, ये नयी पीढ़ी वाले

एक दिन उठें, साहस करें और अपनी जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों की अर्थी निकालें और अग्नि की चिता में जाकर भस्म कर दें। जिस दिन जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को जलाकर राख कर देंगे, उस दिन उस राख से ऐसी क्रान्ति निकलेगी जिससे पिछड़े इलाके का संभव और समग्र विकास हो सकेगा। यह हमारा प्रधान रोग है और इस रोग का निदान चाहिए।

माननीय सदस्या ठीक कह रही थीं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सभी गन्ना मिलें बंद हैं। मिथलांचल में सभी गन्ना मिलें बंद हैं। मेरे क्षेत्र में दस किलोमीटर की दूरी पर तीन चीनी मिलें -- रैयाम, लोहट और सकड़ी बंद पड़ी हुई हैं। वहां गन्ना ही एकमात्र सबसे बड़ा उद्योग था, जिससे चीनी बनती थी, किसानों को नकदी फसल थी और उनके घर में खुशहाली आती थी। लेकिन देश के कुछ इलाकों के शुगर लॉबी वालोंने सोचा कि उत्तर प्रदेश और बिहार, जो सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला है, जब तक वहां की चीनी मिलें बंद नहीं होंगी तब तक उनके इलाकों के चीनी मिल वालों का कल्याण नहीं होगा। इसलिए उन्होंने षडयंत्र के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलों को बंद कर दिया। महोदय, हमारे गन्ने की किस्म अच्छी है, हमारी रिक्वरी अच्छी है, हमारे किसान मेहनती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जहां भी कमाने के लिए जाते हैं, वहां मेहनत करते हैं। आप चाहे कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली या जहां कहीं भी शहर में चले जाइये, वहां आपको वे मेहनत करते हुए मिलेंगे। वे पसीना बहाते हैं, महलों और अट्टालिकाओं को सजाते हैं और उनकी छाया में सोकर अपनी रात गुजारते हैं। आज दिल्ली में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मिथलांचल के कम से कम पांच लाख लोग फुटपाथ पर सोते हैं। वे पेड़ के नीचे सोते हैं, पेड़ के नीचे जीवन जीते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में शादी करते हैं और वहीं बच्चे पैदा करते हैं और वहीं बूढ़े होते हैं। वे फुटपाथ पर ही मर जाते हैं फिर उनकी लाश लावारिस जैसे रह जाती है। यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहां आर्थिक विकास नहीं है। हमारे यहां सड़क, बिजली नहीं है। माननीय सदस्या कह रही थीं कि बिजली तो कब आती है, कब जाती है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बेटी जब ससुराल जाती है, तो ठिकाना रहता है कि त्यौहार पर आयेगी। लेकिन जब बिजली जाती है, तो कोई ठिकाना नहीं। वह आयेगी या ससुराल में ही रह जायेगी या मायके में ही रह जायेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं।

भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलायी जाती है। श्रीमान् जी माफ कीजिए कि बिजली लगायी जा रही है, लेकिन यह कहते हैं कि खम्भा, तार, ट्रांसफार्मर आदि हम देंगे और उसे लगवा भी देंगे, लेकिन बिजली राज्य सरकार पैदा करे। अगर कोई आदमी कहे कि चूल्हा हम खोद देंगे, बर्तन हम देंगे, बनाने वाला हम देंगे, लेकिन चावल-दाल का इंतजाम तुम करो, तो हम उन्हें कहेंगे कि हम जलावन का इंतजाम खुद कर लेंगे, बर्तन का इंतजाम खुद कर लेंगे, तुम मुझे चावल-दाल दे दो। भारत

सरकार कहती है कि बिजली खुद पैदा करो। अब हम बिजली कैसे पैदा करेंगे? हमारे पूर्वांचल और मिथलांचल में न कोयला है, न गैस है और न यूरेनियम है। इन्हीं तीन चीजों से बिजली बनती है। हम कोयला कहां से लायेंगे? जहां कोयला है, अब वह चाहे झारखंड में हो या जिस एरिया में हो, पूर्वांचल और बिहार को आप कोयले के दस खानों का पट्टा दे दीजिए। हम अपनी खान से कोयला निकालेंगे, अपने रेट पर लायेंगे और अपने बिजली घर बनायेंगे, नहीं तो आप हमें गैस दीजिए। अब गैस आप पैदा करते हैं। आप हमें गैस दीजिए जिससे हम बिजली घर बनायें। बिहार में दो बिजली घर बने हुए हैं। उनका शिलान्यास हो गया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उनका शिलान्यास किया गया, लेकिन वे आज तक नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अब हम पैसा कहां से लायें? आप टैक्स लेंगे, आयकर लेंगे, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कपड़े, सलाई, दवाई, नमक, हल्दी-मिर्च, सड़क आदि पर आप टैक्स लेंगे। यानी सब टैक्स आप लेंगे और हमें कहेंगे कि पैसा तुम लाओ। मेहनत करें हम, मौज उड़ाओ तुम। ऊपर से कहो कि खाने-ठिकाना का इंतजाम खुद करो। हमें परिश्रम और पसीने का भी हिस्सा नहीं मिलता है, इसलिए मैं केन्द्र सरकार को आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। एक नीति बने कि जो पिछड़े इलाके हैं, चाहे वह बुंदेलखंड हो, चाहे मिथिलांचल हो, पूर्वांचल हो, चाहे राजस्थान का इलाका हो, उसका विकास होना चाहिए। आज कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पिछड़ापन नहीं है। क्या महाराष्ट्र के सभी इलाके बराबर हैं, क्या गुजरात में सभी इलाके बराबर हैं, क्या राजस्थान में सभी इलाके गंगानगर जैसे हैं, क्या बिहार के सभी इलाके नालन्दा और हाजीपुर जैसे हैं, क्या छत्तीसगढ़ में सभी इलाके बराबर हैं? हर राज्य में पिछड़ा इलाका है, उनको जानबूझकर पीछे रखा गया है। जो इलाका जितना पीछे है, वह सामाजिक दृष्टिकोण से भी उतना ही पीछे है, जो सामाजिक दृष्टि से पीछे हैं, उनको प्रशासन में हिस्सा नहीं मिला, राजनीति में हिस्सा नहीं, मंत्रिमंडल में हिस्सा नहीं, मुख्यमंत्री में हिस्सा नहीं, अफसरों में हिस्सा नहीं, न दिल्ली सरकार में हिस्सा, उनको कहीं हिस्सा मिला नहीं। उत्तर प्रदेश में माननीय चौधरी चरण सिंह थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने किसान जातियों को सबसे पहले मंत्रिमंडल में स्थान दिया था, इसलिए उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह बिहार तक के किसानों के नेता रहे। उनसे पहले कौन पूछता था पिछड़े जाति के लोगों को। हमारा भी दुर्भाग्य है कि जो पिछड़े इलाके का नेता है, वह अपने नेता के पीछे दुम पकड़कर चलते रहता है, वह अपनी आवाज नहीं उठाता है। हम तो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर, राजनीतिक दृष्टि से कमजोर, प्रशासनिक दृष्टि से कमजोर, सामाजिक दृष्टि से कमजोर हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। बच्चे को कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, बच्चा न बढ़िया पढ़ेगा, न कंप्टीशन में जाएगा, न ऊंची कुर्सी पाएगा, न हाकिम बनेगा, न आईएएस-आईपीएस बनेगा, न इधर से पैसा आवे, न उधर से पैसा आवे, न गन्ना मिल चले, गन्ने की खेती भी मरती जा रही है। यह एक सुनियोजित षडयंत्र है कि पिछड़े इलाके को

पिछड़ा बनाकर रखो, उनको दबाकर रखो। वे दबे रहें, उनकी आवाज नहीं उठने पाए क्योंकि अगर वे ताकतवर हो जाएंगे, तो उनकी आवाज गूंजने लगेगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है , पिछड़ापन दूर होगा तब सामाजिक उन्नति होगी जब, पिछड़ापन दूर होगा तब, शैक्षिक दृष्टि से उठेंगे जब, पिछड़ापन दूर होगा तब, आर्थिक दृष्टिकोण से उठेंगे जब, पिछड़ापन दूर होगा तब, प्रशासनिक दृष्टि से उठेंगे , इसीलिए जातियों के आधार पर जो आरक्षण है, वह अपनी जगह पर रहे, उसका मैं समर्थक रहा हूं, उसके लिए संघर्ष करता रहा हूं। लेकिन उसके साथ-साथ एक नए सिद्धान्त को लागू किया जाए कि जो इलाके आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, वहां के लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में उसी हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनके लिए अलग से आरक्षण किया जाए तब कहीं उनका मुकाबला हो सकता है। आज कौन सा बैंक गरीब की बात सुनता है? जो इलाका गरीब है, वहां हाकिम उनकी क्या बात सुनेगा। पूर्वांचल की जो पीड़ा है, वही पीड़ा मिथिलांचल की है और हम उसी पीड़ा से ग्रस्त हैं। बुंदेलखंड के लिए आपने क्या किया है? क्या बनाते हैं आप? हमें गरीब बनाते हैं, दिल्ली की सरकार से कोई जाए और कहे, हम तुमको सोना देंगे, चांदी देंगे, कंबल देंगे, कपड़े देंगे। मुझे भिखमंगा बनाकर रखो, गरीब बनाकर रखो, भूखा रखो और मुझे खाने में हलवा-पूड़ी का लोभ दिखाकर अपनी जय-जयकार कराओ। यह सबसे बड़ी राजनीतिक अधमता है, यह सबसे बड़ा प्रशासनिक पाप है क्योंकि गरीब की गरीबी का उपहास करना ठीक नहीं है। हम गरीब हैं, हमको कहोगे, हम तुम्हारे लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं? क्या दे रहे हो आप? क्या अपनी जायदाद बेचकर दे रहे हो, कोई अपना कपड़ा बेचकर दे रहे हो, क्या अपनी घरवाली के जेवर बंधक रखकर दे रहे हो, कहां से स्पेशल पैकेज दे रहे हो? आप भारत सरकार के खजाने से स्पेशल पैकेज दे रहे हो। वह खजाना मेरा भी है। वह खजाना इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, निर्धन, निर्बल, मेहनतकश लोगों का है। इन्हीं लोगों के पसीने से भारत सरकार का खजाना भरा हुआ है। उस पसीना बहाने वाले को उसका लाभ मिलना चाहिए। अफसोस है जहां पसीना है, वहां पैसा नहीं है और जहां पैसा है, वहां पसीना नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पिछड़ापन तभी दूर होगा जब पैसा पसीने वाले के पास में जाएगा और जहां बिना पसीने के पैसा है वहां से पैसा लाओ और पसीने वाले के पास पहुंचाओ, तब पसीने वाला आगे बढ़ पाएगा और देश से पिछड़ापन मिट जाएगा, चाहे वह लालसिंह का कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे बिहार हो, चाहे और कोई दूसरा प्रदेश हो, यही बात हमें चाहिए।

अंत में मेरी प्रार्थना है कि हमारे झारखंड के साथी बैठे हुए हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र और जहां-जहां पहाड़ी इलाके हैं, उनमें बसने वाले जो भी लोग हैं वे एससी और एसटी हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी हालत इसलिए बिगड़ी हुई है कि उन पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, उनकी दशा पर कोई

सोचना वाला नहीं है। " कमाए कोई, खाए कोई, पसीना बहाए कोई, मौज उड़ाए कोई।" पुराने जमाने में जमींदार थे, जमींदारी बेचकर लाते थे और दरवाजे पर मुज़रा करवाते थे, आज सरकार ऐसी आती है जो गरीब किसान, निर्धन, निर्बल, दलित, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति-जनजाति के पसीने से मौज उड़ाती है, ऊपर आते हो और हमसे पैकेज के नाम से जय-जयकार करवाते हो। ओ जय-जयकार कराने वाले, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि अपना जय-जयकार कराना बंद करो, अगर तुम ऐसी ही राजनीति करते रहोगे तो एक दिन हिंदुस्तान का भूखा, नंगा, दलित, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़े, अति-पिछड़े, किसान-मजदूर उठकर आयेंगे और जिस दिन वे दिल्ली की तरफ मार्च कर देंगे, उस दिन रामधारी दिनकर के शब्दों में कहेंगे " हटो स्वर्ग के दूत मैं स्वर्ग लूटने आता हूं, छोड़ों सत्ता की जनता दिल्ली आती है।"

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजकुमारी रत्ना सिंह जी के संकल्प पर, पूर्वांचल के विकास पर विकास पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। चूंकि यह प्राइवेट मैम्बर बिल है और इसमें सभी मैम्बरों को पूरा अधिकार होता है कि वे अपनी बात रखें। जब राजकुमारी जी बोल रही थीं, तो माननीय दारासिंह जी यूपी के मामले पर बड़ा इंटरप्ट कर रहे थे। जबकि इस संकल्प में देखा गया है कि व्यक्ति अपनी व्यथा, अपनी अभिव्यक्ति सदन में व्यक्त करता है।

आंकड़े बताते हैं कि पूर्वांचल में 28 जिले आते हैं। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, गाजीपुर, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, भदौही, सिद्धार्थ नगर, गौंडा, बलरामपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, बलिया, फैजाबाद, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, देवरिया, फतेहपुर, वाराणासी, जौनपुर, सोनभद्र, बस्ती, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावास्ती, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ, बाराबंकी, चंदौली और अम्बेडकर नगर। कुल 28 जिले आते हैं। हमने पूर्वांचल के विषय से संबंधित सामग्री लाइब्रेरी से मंगवाई थी, जिसमें 13वें वित्त आयोग से पूर्वांचल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 80 हजार करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मांगने की बात कही थी, जबकि वर्ष 2001 की जनगणना से देखें तो इस आंकड़े की स्थिति कुछ और ही है। सामरा समिति की सिफारिश को अगर देखा जाए, तो उस संदर्भ में समिति ने भी कहा कि पूर्वांचल के विकास के लिए विशेष पैकेज देने की जरूरत है। वर्ष 2001 की जनगणना से 36.82 का यहां जो आंकड़ा दिया है, मुझे याद है कि फतेहपुर से ले कर गोरखपुर तक, हमारे इलाहाबाद से सटा हुआ फतेहपुर, कौशांबी, गोरखपुर और उसके बाद मिथलांचल बिहार का एरिया आता है। रत्ना जी, जब आप बोल रही थीं, तब आपने इलाहाबाद का नाम नहीं लिया। हमारे देश की आजादी का केंद्र बिंदु इलाहाबाद रहा है। आनंद भवन, स्वराज भवन ऐतिहासिक नगरी है और छह-छह लोग देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। राहुल गांधी जी सदन में उपस्थित हैं और मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस बारे में आप विस्तार से बोलेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पूर्वांचल के विकास की चर्चा चल रही है। मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में कौशांबी का जो सर्वे हुआ 73.12 और प्रताप गढ़ का 76.53। यह बात सत्य है कि वर्ष 1998 में जब मैं प्रथम बार जब चुन कर आया था, उस वक्त फतेहपुर के माननीय सदस्य ने एक क्वैश्चन सदन में लगाया था। उन्होंने प्रश्न किया था, उसमें उत्तर प्रदेश के दस या बारह जिले लिए गए थे, जिसमें हमारा फतेहपुर, कौशांबी और प्रतापगढ़ शामिल था। उसमें 45 करोड़ रुपए की हर डिस्ट्रिक्ट की योजना आई थी, जिससे बहुत अच्छा कार्य भी हुआ था। उस 45 करोड़ रुपए से विकास संबंधित जितने भी विभाग थे, उन्हें पैसा वितरित किया गया था और काफी विकास हुआ था। जहां तक पूर्वांचल को देखा जाए, तो इलाहाबाद ही केंद्र बिंदु बनता है। गंगा, यमुना, सरस्वती की तहजीब और पावन पवित्र धरती को मैं नमन करता हूं, जहां पंडित मोती लाल नेहरू से लेकर पंडित जवाहर

लाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी का इलाहाबाद से संबंध रहा है। गांधी-नेहरू परिवार के बारे में देखा जाए, तो इलाहाबाद पालिटिकल केंद्र बिंदु रहा, आजादी का केंद्र बिंदु रहा और बहुत ऐतिहासिक वहां का महत्व रहा है चाहे धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसे देखा जाए या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, इलाहाबाद का बहुत महत्व है। भारद्वाज आश्रम, संगम है, जहां प्रति वर्ष कुम्भ मेला लगता है, अर्धकुम्भ मेला लगता है। यहां उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी है और केंद्रीय सरकार के बहुत से दफ्तर भी वहां है। यहां उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा आयोग भी है। केंद्र और यूपी सरकार के कई दफ्तर यहां हैं। इस कारण भी इलाहाबाद का काफी महत्व है। जहां तक देखा जाए, जो परिप्रेक्ष्य हमने आपके सामने रखें हैं, इलाहाबाद का उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया है। इसी सदन में श्री जयपाल रेड्डी जी, जो हमारे शहरी विकास मंत्री जब उत्तर दे रहे थे, श्री सोमनाथ चटर्जी स्पीकर के रूप में पीठ पर बैठे थे, मैंने सवाल किया था कि पंडित जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास योजना के नाम पर हम देश के बड़े-बड़े महानगरों को तो ले रहे हैं, लेकिन जिस शख्सियत के नाम से यह योजना है, उनसे संबंधित शहर इलाहाबाद को आप भूले जा रहे हैं। उस समय आदरणीय सोनिया गांधी सदन में बैठी थीं, हमने कहा कि मैडम वह आपका घर और ससुराल है, इसलिए इस शहर को जरूर शामिल कीजिए। यह सवाल मैंने पिछली लोकसभा के समय में उठाया था, लेकिन आज तक इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के तहत कोई काम ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या बात है, वहां पैसा ही नहीं जा रहा है। आदरणीय राहुल जी से मैं निवेदन करूंगा कि इलाहाबाद में पंडित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण के लिए पैसा क्यों नहीं जा रहा है, क्यों विकास नहीं हो रहा है, इस बारे में आप विशेष तौर से ध्यान दें। मैंने आपको एक पत्र भी दिया था, जब मैंने प्रश्न रखा था। अभी कुंभ मेले संगम नगरी की बात कही जा रही थी। यहां देश-विदेश से करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। धार्मिक ग्रंथों और पुराण में कहावत है कि जो संगम में डुबकी लगाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह स्वर्ग में जाता है। यह धारणा है। आज भी पूर्वांचल प्रदेश में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। यहां बहुत पर्यटक आते हैं। यहां बौद्ध सर्किट भी है। कौशाम्बी, हमारा जिला है जहां से मैं सांसद हूं, सारनाथ, बनारस, श्रावस्ती और कई ऐसे जिले हैं जहां विदेशी पर्यटक आते हैं। इलाहाबाद में केवल एयरफोर्स बेस एयरपोर्ट है। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा होना चाहिए चाहे वाराणसी को बना दें या इलाहाबाद में इरादतगंज, यमुना के पार है, को बना दें। यहां पुराना एयरपोर्ट बना है इसे अंतरराष्ट्रीय अड्डे में बदल दें तो बहुत अच्छा होगा।

महोदय, यहां बीआरईजीएफ की बात कही गई है। सम्मानित सदस्या रत्ना जी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर बीआरईजीएस के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसका पुराना नाम राष्ट्रीय सम विकास योजना था और वर्तमान में इसे हम बीआरईजीएस योजना के नाम से जानते हैं। केंद्र सरकार से डॉयरेक्ट पैसा पिछड़े

जिलों को जाता है। लेकिन इसमें एमपी की कोई भागीदारी नहीं है। उन्हें पूछा ही नहीं जाता है, उनको पता ही नहीं लगता है, केवल अधिकारी इसका भोजन करते हैं। मैं चाहता हूं कि बीआरईजीएफ के पैसे में एमपी की भागीदारी होनी चाहिए। इसी तरह से पीएमजीएसवाई में हमसे कुछ नहीं पूछा जाता है, न उद्घाटन कराया जाता है और न हमें बुलाया जाता है। लेकिन इसमें व्यवस्था होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि स्थानीय सरकारों या राज्य सरकारों में कोई हस्तक्षेप हो लेकिन जो योजनाएं यहां से डायरेक्ट जाएं, उनमें मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को जरूर सहभागी बनाया जाए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।

महोदय, हमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, सतर्कता निगरानी समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है। सत्र 19 नवंबर से शुरू हुआ था। मैं यह सत्र शुरू होने से पहले 12 नवंबर को अटैंड करके आया हूं। इसमें पिछली कार्यवाही को वीटो करते ही तीन-चार घंटे हो गए, भोजन आया, लोगों ने पैकेट में भोजन किया और चले गए। अगर हम किसी जांच के लिए लिखते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो हमारी कोई सहभागिता या भागीदारी नहीं होती है। अगर आपने मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, लोक सभा या राज्य सभा को अध्यक्ष बनाया है तो आपको कम से कम इतना तो करना चाहिए कि आर्थिक प्रस्ताव पर सिग्नेचर हो, जांच कराई जाए, पनिशमेंट की व्यवस्था हो और इसके साथ वित्तीय पावर भी देनी चाहिए तभी हम, ग्रामीण विकास का जो सपना, महात्मा गांधी से लेकर स्व. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देखा था उस परिकल्पना को सफल कर पाएंगे।

महोदय, अभी सांसद निधि की बात कही गई। कल एक सम्मानित सदस्य ने सप्लीमेंटरी बजट की बात रखी थी। मेरे ख्याल से सांसद निधि स्व. नरसिम्हा राव जी के समय से शुरू हुई थी। तब से यह अब तक एक से दो करोड़ हुई है। आज स्थिति यह है कि यह राशि वर्ष 1998 से वही दो करोड़ है। आप देखिए कि दाम कितने बढ़ गए हैं। एक किलोमीटर सड़क एक साल में बना सकते हैं। एक विधायक को, हमारे प्रदेश में एक, सवा या डेढ़ करोड़ रुपए मिलते हैं। उसे पूर्वांचल निधि और भी निधियां जैसे बीआरईजीएस में राशि मिलती है। जनता हमें भी वोट देती है और जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि यह काम करवाइए। हम कहां से करवाएं? या तो इस सांसद निधि को खत्म कर दिया जाए या दस करोड़ कर दिया जाए क्योंकि हम अलग बदनाम होते हैं। यह मेरी मांग है।

महोदय, जहां तक पूर्वांचल के विकास की बात है। इसी सदन में योगी आदित्यनाथ ने बीमारियों और स्वास्थ्य के बारे में कॉलिंग अटैंशन और प्रश्न काल में कहा था। यह बात सत्य है कि पूर्वांचल के कुछ हिस्से गोरखपुर से लेकर तराई एरिया में आते हैं। जो हमारा लोक सभा क्षेत्र है, वह गंगा और यमुना के बीच का हिस्सा है। वहां तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। यदि बाढ़ आ गई तो बाढ़ खत्म होने के बाद वहां भयानक बीमारियां आती हैं। यह बात सबको मालूम है। अगर सूखा पड़ गया तो और भी बीमारियां आती हैं।

इनसिफलाइटिस के बारे में अभी रत्ना जी ने बताया। चेचक की बीमारी के बारे में कहा जाता है कि इसका बिल्कुल उन्मूलन हो गया है। लेकिन आज भी गांवों मे लोगों को बड़ी और छोटी चेचक निकलती है। जॉन्डिस होता है, मलेरिया होता है, दिमागी बुखार होता है, डेंगू होता है, कालाजार होता है। इस तरह की तमाम बीमारियां पूर्वांचल में हैं। इनके लिए मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि एक केन्द्रीय दल वहां जाए और पूर्वांचल के तमाम सुदूर इलाकों और खासकर पिछड़े इलाकों में जाकर अध्ययन करके वहां वैक्सीन्स की व्यवस्था करे। तभी वहां इन बीमारियों का इलाज हो सकता है।

महोदय, आपने घंटी बजा दी है, जबकि प्राइवेट मैम्बर बिल पर बोलने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। इस पर हमें बोलने दीजिए, यह हम लोगों का ही समय होता है। ...(व्यवधान)

यदि शिक्षा के मामले में देखा जाए तो पूर्वांचल में ज्यादातर शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों की बहुलता है और इन्हीं के अंदर गरीबी, गुरबत है। श्री राहुल गांधी जी ने बड़ी अच्छी जगह चुनी है और वहां जाकर गरीबों के बीच में बैठकर आपने सब कुछ देखा भी है। इसके अलावा मल्टी-सैक्टोरल डैवलपमैन्ट प्लान के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय जहां रहते हैं, उनके डैवलपमैन्ट की बात इस सरकार ने कही है। श्री रंगनाथ मिश्र जी की रिपोर्ट के बारे में भी हम लोगों ने सदन में मामला उठाया था कि वर्ष 2007 में जब आयोग ने रिपोर्ट दे दी तो अब तक सरकार को इसे सदन के पटल पर रखना चाहिए था, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। आज आप अल्पसंख्यकों की बस्तियों में चले जाइये और उनकी स्थिति को देखिये तो आप देखेंगे कि एस.सी. और एस.टी. से भी ज्यादा बतदर उनकी स्थिति है। मैं समझता हूं कि सरकार को उनकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है और इसके लिए सरकार को अलग से बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

महोदय, अभी जब मैं रत्ना जी से बात कर रहा था तो वह कुछ जातियों का नाम ले रही थीं। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश में तथा जहां जंगली एरियाज हैं या बहुत से प्लेन एरियाज हैं, जहां आदिवासी रहते हैं, उन्हें घूमन्तु कहते हैं। आज भी करीब 227 ऐसी जातियां हैं, जिनके लोगों की संख्या करोड़ों में हैं। उनके सिर पर न कोई छत है, न उनके पास कोई रोजगार है, न उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है। बस वे लोग घूमते रहते हैं। उन लोगों की खानाबदोश की जिंदगी है। कभी जंगलों में जायेंगे, कहीं प्लेन में खुले आसमान के नीचे टैंट्स लगाकर रहते हैं और वहां थोड़ी बहुत जड़ी-बूटियां और दवा आदि बेचकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। उनकी जिंदगी के बारे में भी हमें इस सदन में सोचना पड़ेगा। हमारे सम्मानित सदस्य, श्री राजा रामपाल जी यहां नहीं बैठे हैं, उन्होंने इस विषय को सदन में उठाया था। मैं कहना चाहता हूं कि ये 227 जातियां आज भी समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग-थलग हैं। उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। यह बात सही है कि उनकी जिंदगी कुत्ते-बिल्ली से भी अधिक

बदतर है। यदि हम लोग एक कुत्ता या बिल्ली भी पालते हैं तो बड़े प्यार से उसे अपनी ए.सी. गाड़ी में घुमाने ले जाते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में हम लोगों ने आज तक नहीं सोचा। इनमें आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति और पिछड़ी जातियों के लोग भी हैं। इसलिए उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। इन जातियों की संख्या पूर्वांचल में बहुत अधिक है। इसलिए मैंने इनका उल्लेख किया है। इनका जो पुश्तैनी रोजगार है, उससे हमें जोड़ना पड़ेगा, जो उनका पुश्तैनी रोजगार चला आया है, जैसे निषाद, मल्लाह है, जो गंगा, यमुना या अन्य नदियों के किनारे रहते हैं। उन्हें मछुआरे बोलते हैं। उन्हें हमें रोजी-रोटी से जोड़ना पड़ेगा। घाट का पट्टा, नाव का पट्टा, बालू का पट्टा, मछली पकड़ने का पट्टा ये सब उन्हें मिलना चाहिए। वे केवट लोग हैं। वहां केवट लोग हैं, भगवान राम सिंगूरपुर एक ऐतिहासिक जगह है जहां भगवान राम ने नाव से गंगा नदी पार की थी। उसके बाद हमारे क्षेत्र कौशाम्बी से होकर यमुना पार करके चित्रकूट गये। उन केवटों की स्थिति बहुत खराब है। आज उनकी हालत यह है कि वे कामरेड बनकर लाल सलाम नाम की सेना बनाकर आज हथियार लेकर यमुना के किनारे खड़े हुये हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती है। आज वे भी आतंकवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इन लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा कि उनका जो पुश्तैनी रोज़गार है, उस रोजगार से उन्हें जोड़ना पड़ेगा। इसके किनारे बसने वाले हर जाति के लोग हैं जो बीड़ी बनाकर अपना जीवन-यापन करते हैं। जब तम्बाकू का प्रयोग करते हैं तो उन्हें टी.बी. हो जाती है। श्रम मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, उन्होंने ऐसे लोगों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की है। कौशाम्बी जनपद में कम से कम इन लोगों के लिये स्पेशल सीजीएचएस का अस्पताल होना चाहिये क्योंकि वहां कोई अस्पताल नहीं है। इलाहाबाद में करोड़ों की संख्या में बीड़ी मजदूर रहते हैं। इसी प्रकार चारपाई बुनने के डोरी बनाते हैं। गगा नदी से मूंज लाते हैं, बान बनाकर उसे बेचते हैं। बर्तन बनाने वाले लोग शमसाबाद में रहते हैं। मिट्टी लाकर बर्तन बनाये जाते हैं। हमारे यहां तांबे का बर्तन, पीतल का बर्तन बनता है लेकिन वहां के लोगों की स्थिति यह है कि दूर से लोग आते हैं और वहां की मिट्टी उठाकर ले जाते हैं। उस मिट्टी में भी बहुत कुछ है।

सभापति जी, माननीय सदस्य चले गये हैं। भदोही में कालीन का काम होता है। पूर्वांचल के इस भाग से कालीन विदेशों में जाते हैं। बुनकर लोग हैं। प्रतापगढ़ में परियांवा है जहां के तमाम बुनकर यह कार्य करते है। राजकुमारी जी ने अपने क्षेत्र के बारे में यह नहीं बताया जिसे मैं बताकर पूरा कर रहा हूं.। वाराणसी में साड़ियां बनती हैं. कानपुर की चप्पल प्रसिद्ध हैं जो पूर्वांचल में आते हैं।. सरकार को इन लोगों के बारे में गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग या आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, उनके बच्चे जो कुपोषण के शिकार हैं, हमारी जो महिलायें हैं, उनके अंदर

हिमोग्लोबिन की कमी है जिस से हमेशा ये महिलायें और बच्चे बीमार रहते हैं.। उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, उनकी शिक्षा के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

सभापति जी, अगर हमारे यहां रेल कनैक्टिविटी को देखा जाये तो मालूम होगा कि वहां परिवहन की भारी कमी है। सरकार कहती है कि मुगलसराय से लेकर कोलकाता तक मेन सड़क पूर्वांचल से होकर केवल कुछ जिलों में से होकर गुजरती है। अगर देखा जाये तो हम लोग बराबर उस क्षेत्र की स्थिति के बारे में सवाल उठाते रहते हैं। कभी नियम 377 के अधीन तो कभी शून्य प्रहर के तहत या प्रश्नकाल में मामला उठाते रहते हैं. लेकिन यह काम कभी पूरा नहीं हो पाया है। जैसे भरवारी-सिराथू-मनौरी में ऊपरिगामी पुल की बात है, इलाहाबाद में नवसृजित जिला कौशाम्बी बना हुआ है, वहां पर कुंडा में भी घंटों जाम लगा रहता है। अगर ऊपरिगामी पुल न बना तो नये जिले का कोई महत्व नहीं रहेगा और न पूर्वांचल के विकास की कोई बात कही जा सकती है। भरवारी में रेल गोदाम की व्यवस्था नहीं है क्योंकि खाद की कमी है, तमाम अनाज वहां इलाहाबाद से होकर नैनी से होकर कौशाम्बी जाता है, अगर गोदाम की व्यवस्था हो जाये तो अच्छा होगा। हर स्टेशन पर सुलभ शौचालय बन जाये ताकि वहां का कुछ डेवलेपमेंट हो सके। कुंडा और पूरे प्रतापगढ़ में आम भी होता है। आंवला भी होता है जबकि इलाहाबाद और कौशाम्बी में अमरूद भी होता है जिसकी जैम और जेली बनता है। हम बाहर भी भेजते हैं। इलाहाबाद में कैनी कम्पनी बनी हुई है लेकिन फूड प्रोसैसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां चंदौली नक्सल ऐरिया और सोनभद्र का ऐरिया पूर्वांचल में आता है। मुझे याद है कि हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने चंदौली में नक्सल ऐरिया में उन्होंने अपना हैलीकाप्टर उतारा था। नक्सलाइट लीडर बासवती आयी। उसने कहा कि वह समाज की मुख्यधारा से अलग है। हमारे लिये कुछ नहीं है। वहीं श्री यादव जी ने जो घोषणा की उसके चलते वह हमारी पार्टी की कार्यकर्ता हैं। वह समाज की मुख्यधारा से जुड़ गई हैं। उसे राजनौतिक सम्मान मिला है। वहां चुनाव होता है, ग्राम प्रधान भी होता है, ब्लाक प्रमुख भी होता है। तभी हम नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं जब हम उन्हें शिक्षा देंगे, समाज की मुख्यधारा से उन्हें जोड़ेंगे तमाम विकास की सुविधायें देंगे तब जाकर आतंकवाद खत्म हो सकता है। अभी हमारे यहां हाई कोर्ट की बात हो रही थी। हाई कोर्ट का डिवीज़न करना चाहते हैं। जब उसकी भव्यता होती है तभी उसका अस्तित्व रखता है। आप चार, दस सुप्रीम कोर्ट कर दीजिए तो वह कोई मायने नहीं रखेगी। सुप्रीम कोर्ट के लिए लोग दिल्ली आते हैं, हर जगह सुप्रीम कोर्ट खोल दी जाए तो यह मुश्किल होगा। मैं ज्यादा कुछ न कहकर अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि ज्यादातर पूरे देश में कांग्रेस की सरकार रही है, उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है। हमने विकास किए हैं, लेकिन पूर्वांचल के विकास के लिए, यहां राहुल जी बैठे

हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये जो तमाम 28 जिले हैं, इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुझे विश्वास है, आप दौरा कर रहे हैं और आप इन पर विशेष ध्यान देंगे।

महोदय, जहां तक विद्युत उत्पादन की बात है। किसी एरिया में, किसी प्रदेश मे अगर बिजली न मिले तो मेरे ख्याल से वहां का विकास संभव नहीं है। आज बिजली मनुष्य की जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उससे वह रोजगार भी करता है, उससे वह व्यवसाय भी करता है। किसान बिजली से खेती करता है, सिंचाई करता है, मढ़ाई करता है, छोटे-मोटे लघु उद्योग धंधे लगाकर अपना जीवन-यापन करता है। यहां वर्तमान में 6,600 मेगावाट बिजली की बात है। वर्ष 2012 तक 12 हजार मेगावाट बिजली का लक्ष्य रखा गया है और पांच वर्ष में 32,000 मेगावाट बिजली का लक्ष्य रखा गया है। मैं चाहूंगा कि पूर्वांचल की तरफ विशेष ध्यान देकर, वहां विद्युत की जो कमी है, वहां मुश्किल से केवल 5-6 घंटे बिजली आती है उसे दूर किया जाए।

महोदय, अगर बिजली आ जाए तो मेरे ख्याल से समूचे पूर्वांचल का विकास होगा। इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री दारा सिंह चौहान : महोदय, आपने मुझे इस संकल्प पर चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आज पूर्वांचल के पिछड़ेपन और उसके लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज की बात यहां रखी गयी है।

17.38 hrs. (Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

महोदय, आजादी के इतने दिन बाद जब आज पूर्वांचल के पिछड़ेपन की चर्चा हो रही है तो मैं इस बात को बताना जरूरी समझता हूं कि वह पूर्वांचल की धरती, जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। चाहे वह गोरखपुर का चौरी-चौरा कांड रहा हो, चाहे मऊ का मधुबन कांड रहा हो, चाहे बलिया के चित्तू पांडे रहे हों, ऐसी बहुत ही ऐतिहासिक धरती पूर्वांचल है। जहां पर पंडित राहुल सांकृत्यायन से लेकर अल्लामा सिबली नोमानी जैसे लोग पैदा हुए। वह पूर्वांचल जहां पर तमाम ऋषि, महर्षियों ने जन्म लिया और पूरे देश और दुनिया को मानवता का संदेश दिया। आज कितने दुर्भाग्य की बात है कि वह पूर्वांचल, जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जहां के विद्वानों, ऋषियों, महर्षियों ने देश और दुनिया को मानवता का संदेश दिया, आज वही पूर्वांचल अपनी लाचारी और बेबसी पर रो रहा है।

महोदय, आज उसके पिछड़ेपन की चर्चा इस पार्लियामेंट में हो रही है। इस बात को मैं जरूर बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश में जो अलग-अलग प्रदेशों की मांग हो रही है, चाहे तेलंगाना हो, चाहे हरित प्रदेश हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि इस देश में जो गैर बराबरी है, जैसे परिवार है, अगर परिवार में हम एक-दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं तो भाई-भाई से अलग हो जाता है। उसे इंसाफ नहीं मिल पाता, उसे न्याय नहीं मिल पाता है। उसी तरीके से आज पूरे देश में जो अलग-अलग राज्य की मांग हो रही है, उसका एक कारण है कि जिसकी देश और प्रदेश में हुकूमत है, जिसकी गलत आर्थिक नीति के नाते जो क्षेत्र छूट गए हैं, वे अपने विकास की बात करते हैं कि हम इनसे अलग होकर अपने विकास की बात करेंगे। अपना राज्य बनाएंगे और उसके विकास की बात करेंगे। इसलिए आज अगर पूर्वांचल के पिछड़ेपन के विकास की बात हो रही है तो मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, पूर्वांचल के पिछड़ेपन के बारे में हमारे तमाम साथियों ने चर्चा की। वह प्रदेश, जिसका उत्तर प्रदेश एक हिस्सा है, जिसने एक नहीं, आधा दर्जन प्रधान मंत्री दिए, वह पूर्वांचल है। पूर्वांचल ने जय-जवान, जय किसान का नारा दिया। इस धरती पर लालबहादुर शास्त्री पैदा हुए।

सभापति महोदय, आज यहां पिछड़ेपन पर चर्चा हो रही है। लोग अपने विकास और बेहतरी के लिए तरस रहे हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस प्रदेश और देश में आजादी से लेकर अब तक

अगर देश की सरकारों ने पिछड़ेपन की तरफ ध्यान दिया होता तो शायद आज देश की पार्लियामेंट में ऐसे क्षेत्रों के पिछड़ेपन की चर्चा नहीं होती। इस देश में आजादी मिलने के बाद भी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दास्ता एवं गुलामी थी, उसका कारण है कि आज हम अलग-अलग हिस्सों में अपनी-अपनी बात कह रहे हैं। माननीय हुक्मदेव नारायण जी कह रहे थे, उन्होंने सारी बात का निचोड़ रखा कि आज देश में हर क्षेत्र में समाज में जो असंतुलन और गैर-बराबरी है, इसका क्या कारण है?

सभापति महोदय, हम इस देश में इन्साफ, इंसानियत और मानवता की बात करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि आज देश में हम जाति के खिलाफ हैं। जाति की बुनियाद पर राजनीति करने वाले, जिसके जहन में उस क्षेत्र की गरीबी, लाचारी और बेबसी कभी दिमाग में नहीं आई। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि आज पूर्वांचल का वह गरीब, जिसे पिछड़ा कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि वहां दलित पिछड़े हों, चाहे अकलियत के लोग हों, वहां सामान्य समाज के लोग भी पिछड़े हैं, चूंकि पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। वहां के चाहे बुनकर, किसान एवं नौजवान हों, उनकी पढ़ाई-लिखाई और नौकरी का कोई साधन नहीं। मैं इसलिए इस बात को चर्चा में लाना चाहता हूं, इसकी चर्चा हो चुकी है कि आज भी प्रदेश, खास कर पूर्वांचल में रहने वाला गांव का गरीब झोंपड़ी में रहता है। आजादी के 60 साल बाद भी आज वह अपने दो जून की रोटी के लिए तरसता है। आज 60 साल के बाद भी हम पूर्वांचल के उस गरीब की चकाचौंध रोशनी में पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं, लेकिन उस पूर्वांचल का दुर्भाग्य है कि आज भी वहां ऐसे तमाम गांव हैं - चाहे केन्द्र की सरकार कितना भी प्रचार करे, बोर्ड लगा दे, लेकिन आज भी वह गरीब बिजली के खम्भे को देखने के लिए तरस जाता है। आज भी हम पूर्वांचल के पिछड़पन की चर्चा करते हैं, जहां साढ़े छ: करोड़ लोग रहते हैं। आज भी जहां तीस फीसदी आबादी ट्रेन में बैठने के लिए तरसती है, उस पूर्वांचल की हम चर्चा करते हैं। इसका एक ही कारण है, जहां जिनकी भी सरकारें रही हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी, प्रांत से लेकर केन्द्र की सरकार में सबसे ज्यादा दिन तक रही है।

सभापति महोदय, उस समय की सरकार को पूर्वान्चल की बेहतरी और विकास के लिए जितना ध्यान देना चाहिए था, वह उसने नहीं दिया। इसी कारण आज पार्लियामेंट में पूर्वान्चल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज की मांग हो रही है। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री, बहन मायावती जी ने ...(व्यवधान) 17 जुलाई, 2007 को पूर्वान्चल के विकास के लिए 36,270 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज देने की मांग की, लेकिन केन्द्र सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। सड़क निर्माण हेतु 3,700 करोड़, स्वास्थ्य सुविधा विकास के लिए 2,522 करोड़, पेयजल के लिए 500 करोड़, बिजली कार्य के लिए 3,094 करोड़, सिंचाई के लिए 3,991 करोड़, गरीबों के आवास के लिए 4,112 करोड़, समाजोत्थान कार्यक्रम के

लिए 8,322 करोड़, कृषि विकास के लिए 6,000 करोड़, अन्य कार्यों हेतु 2,000 करोड़ और गांव सभा की सुविधाओं के लिए 1250 करोड़ रुपए की मांग की है। पूर्वान्चल क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से स्पेशल आर्थिक पैकेज देने की मांग की थी, लेकिन केन्द्र सरकार ने उधर ध्यान नहीं दिया।

सभापति महोदय, यही नहीं, जब इस देश में राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, जब देश की मौजूदा सरकार के पक्ष में आंकड़े नहीं थे, जब देश को जरूरत थी महिला राष्ट्रपति बनाने की, जब देश का उप राष्ट्रपति एक अल्पसंख्यक समाज से बनाने की जरूरत थी, तो हमारी नेता, उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री, बहन मायावती जी ने आगे बढ़कर केन्द्र सरकार को समर्थन दिया। इसके एवज में ...(व्यवधान) देश की सरकार और देश के प्रधान मंत्री ने केवल पूर्वान्चल नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, वहां की बिजली के लिए, जैसा हमारे मित्र ने कहा, वहां इंटरनैशनल एयरपोर्ट के लिए, बौद्ध परिपथ के विकास के लिए धन देने का वायदा किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक प्रधान मंत्री महोदय का संकल्प पूरा नहीं हो पाया है। इसी नाते आज हम सदन में इस संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं।

सभापति महोदय, आज देश में बहुत क्षेत्रीय असंतुलन है। आज भी समाज में, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आजादी मिलना चाहिए थी, वह नहीं मिली है। पूर्वान्चल के चाहे पिछड़े समाज, दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज की बात हो, बहुत पिछड़ा हुआ है। श्रीमती रत्ना सिंह जी, संकल्प पेश कर के चली गईं। पूर्वान्चल का चाहे अकबरपुर हो, टांडा हो, बनारस हो या मऊ हो, तमाम क्षेत्र देश के एवरेज से बहुत पीछे हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले चाहे बुनकर हों, किसान हों, नौजवान हों, उनकी बेहतरी और विकास के लिए केन्द्र सरकार को कोई टाइम-बाऊंड कार्यक्रम बनाना चाहिए था, लेकिन वह अभी तक नहीं बनाया गया है। इलाहाबाद की चर्चा हुई। वह कभी देश की जंगे आजादी का केन्द्र था और वहां से देश की आजादी की प्लानिंग होती थी और योजनाएं बनती थीं। वहां से आजादी की लड़ाई लड़ी गई, इतना ही नहीं, बल्कि आजादी के बाद, अब तक वही इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का शिक्षा का सबसे बड़ा केन्द्र रहा है, जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। फिर चाहे पूर्वान्चल का गोरखपुर इलाका हो, फिर चाहे बिहार की सीमा से लगा हुआ पडौना से लेकर राजगंज, गोरखपुर, बस्ती और बहराइच आदि जिले हैं, ये सब बहुत पीछे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि आज समाज में जो सामाजिक असंतुलन है, इन जिलों के पीछे रहने का वह भी एक बहुत बड़ा कारण है। कि आज ऐसे जो समाज के गरीब हैं, जिनको लोगों की होड़ में शामिल होने को मौका नहीं मिलता है, हम सारे लोग भी उसी में शामिल हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से जितना हो सकता है, उसने पूर्वांचल की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम किया, चाहे गरीबों को आवास देने का

सवाल हो, बुनकरों की बेहतरी के लिए काम हो। जिस गोरखपुर की चर्चा हो रही थी, वहां भी वायरल रिसर्च सैंटर की स्थापना की गई है।

इतना ही नहीं, आजादी के 60 सालों में हम महिलाओं के विकास की बात करते रहे, मैं तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम किया। जो गांव की गरीब बेटी है, जिसका बूढ़ा बाप मजदूरी करने के बाद अपने बच्चों को दो जून की रोटी नहीं दे सकता, अपनी बेटी को पढ़ा नहीं सकता, हमारी सरकार ने व्यवस्था की कि उसकी गरीब बेटी भी अगर कल इंटर कालेज में जायेगी, अगर फर्स्ट ईयर में एडमीशन कराएगी तो उसे एकमुश्त 15 हजार रुपये और एक साइकिल आने-जाने के लिए दी जायेगी। वह गरीब, जिसका बाप मजदूरी करने के बाद अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकता था, उसकी शादी नहीं कर सकता था, हमारी नेता ने उसकी शादी की पूरी व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे तमाम जो पिछड़े समाज के लोग थे, जो गरीब हैं, जिनके पास कोई खेत नहीं, बिजनेस नहीं, नौकरी नहीं, उनके लिए भी उन्होंने काम किया। गरीबी के नाते जो लोग बड़े-बड़े महानगरों में, कोलकाता में, मुम्बई में मजदूरी करते हैं और किसी तरह से परिवार का पेट पालते हैं, उसका बेटा नहीं पढ़ सकता है, इंटर कालेज, डिग्री कालेज में पढ़ने के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश की सराकर ने उसकी जो एडमीशन फीस थी, उसकी प्रतिपूर्ति के नाम से उनको दी जा रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, गरीब हैं, जहां लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती, लोग काम के लिए बाहर चले जाते हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने 58 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये मजदूरी कई साल पहले कर दी, अभी तो इस बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि 100 रुपया मजदूरी मैं कर रहा हूं। हमारी सरकार ने कई साल पहले यह काम कर दिया। वहां गरीबों के लिए, यह नहीं कि किसी एक समाज के लिए, हर समाज के लिए, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, बी.पी.एल. के नीचे हैं, उन सारे लोगों के लिए उन्होंने काम किया। कल जहां उनको एक कमरे का मकान मिलता था, हमारी सरकार ने...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please address the Chair. You please conclude.

श्री दारा सिंह चौहान : चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, किसी भी समाज का होगा तो एक ही मानक होगा। अगर वह गरीब होगा तो उसके लिए एक लाख 75 हजार रुपये का मकान बनाकर काशीराम शहरी गरीब आवास योजना में उनकी पढ़ाई के लिए, बेहतरी के लिए गरीबों को दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जहां तक सबसे पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, हमारी सरकार ने अपने सीमित संसाधन से कई बार केन्द्र सरकार से सवाल उठाया था, जब ऊर्जा का सवाल था कि जो डिमांड और सप्लाई गैप हमारे प्रदेश में है। इस देश की सरकार उसको समझ नहीं पा रही है, दे भी नहीं पा रही है तो अपने सीमित

संसाधन से 4500 करोड़ रुपये की योजना का उत्तर प्रदेश में निर्माण हो रहा है और बिजली उत्पादन करने की दिशा में हम अग्रसर हैं, इसलिए जो पिछड़ा पूर्वांचल है, जिसके लिए हमारी माननीय सदस्या संकल्प लाई हैं,...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री दारा सिंह चौहान : मैं उस पर चर्चा करते हुए इतना जरूर करना चाहूंगा कि आज पूर्वांचल, जो देश की आजादी से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा आगे रहा है, हमेशा से उसकी उपेक्षा होती रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से विकास...(व्यवधान) मैं उसकी भी बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में जो रायबरेली है, वह भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की सीमा पर है। वहां पर तो बड़े-बड़े कल-कारखाने लग रहे हैं। वहां पर सैण्ट्रल रेलवे कोच फैक्टरी बन रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलोजी की शाखा खुल रही है, नेशनल ऑटोमोबाइल टैस्टिंग एंड रिसर्च इन्फ्रास्ट्रक्चर का कारखाना खुल रहा है। मैं चाहता हूं कि...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt him.

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इंट्रप्ट मत करिए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : मैं उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को बधाई दूंगा, जिस बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, जिस बाबा साहब ने देश में रहने वाले गरीबों, लाचारों और मजलूमों को आवाज दी, स्वाभिमान-सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार दिया, अगर उनके नाम पर कोई स्मारक बनाया जा रहा है, तो वह गलत नहीं है, सही है। तमाम ऐसे महापुरूषों के नाम पर हमने काम किया है।

सभापति महोदय, जिस तरीके से देश के दूसरे हिस्सों का विकास हुआ, पूर्वांचल का भी विकास उसी प्रकार से हो। पूर्वांचल में एम्स की तर्ज पर बड़े-बड़े हास्पिटल्स खोले जाने चाहिए। वहां पढ़ाई के लिए मेडिकल-टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां की सड़कों के विकास के लिए 5,900 करोड़ रूपए का जो प्रपोजल प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए हमारी प्रदेश सरकार ने भेजा है, मैं चाहता हूं कि उसे जल्दी से जल्दी स्वीकृत करके और स्पेशल आर्थिक पैकेज देकर वहां के लोगों को, दूसरे जो विकसित प्रदेश हैं, उनके साथ खड़ा करने के लिए पूरा-पूरा सहयोग करना चाहिए। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में जिनकी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 6 करोड़ 54 लाख आबादी है, उसके विकास से संबंधित जो संकल्प का प्रस्ताव श्रीमती रत्ना सिंह जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि 27 जनपदों में फैले इस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान दशा है, उसका आकलन उत्तर प्रदेश सरकार ने करा रखा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराये गए आकलन से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 36 संकेतकों के आधार पर कराये गए विकास के कंपोजिट इंडेक्स की सूची से जो आकलन किया गया है, उसके अनुसार प्रथम श्रेणी में विकास संबंधी 125 एवं इससे अधिक अंक पाये हुए जो वेरी हाई कंपोजिट इंडेक्स आफ डेवलपमेंट के कुल छः जिले उत्तर प्रदेश में हैं, उसमें से पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं है। इसके पश्चात् द्वितीय श्रेणी में 110 से 125 अंक पाए हुए हाइली कंपोजिट इंडेक्स आफ डेवलपमेंट वाले सात जिले उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें से पूर्वी उत्तर प्रदेश का मात्र एक जिला वाराणसी है। तृतीय श्रेणी में 95 से 110 अंक के बीच मीडियम कंपोजिट इंडेक्स आफ डेवलपमेंट में 24 जनपद उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें से मात्र पांच जनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं।

माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही कराए गए इस सर्वेक्षण के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के 80 से 95 अंक प्राप्त लो कंपोजिट इंडेक्स आफ डेवलपमेंट के 18 जनपदों में से 8 जनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। इसी के साथ पांचवीं श्रेणी में वेरी लो कंपोजिट इंडेक्स आफ डेवलपमेंट में, ऐसे जिले जिनके 80 अंक से भी कम हैं, उत्तर प्रदेश में मात्र 16 जनपद उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें से 12 जनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का नक्शा है। हम यहां पर राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की चर्चा करते तो अच्छा था। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो बद् से बद्तर स्थिति है, पिछले बीस सालों में उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने शासन किया, वह इसके लिए कम दोषी नहीं हैं। वर्ष 1994 में जो सरकार थी, उसने पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो रीढ़ थी, जो चीनी मिलें थीं, उनको बेचने का प्रयास किया। आज वर्ष 2009 में जो सरकार है, वह गन्ने का भाव नहीं तय कर पा रही है। उसकी अपनी चीनी मिलें, सरकार की चीनी मिलें, ...(व्यवधान) आप सुनने को तैयार होइए, उसकी अपनी 22 चीनी मिलें, एक भी सरकार नहीं चला रही है, न चलाने का उसका इरादा है। उस गन्ने को निजी चीनी मिलों के हाथ में देकर भ्रष्टाचार से पैसा कमाने का आज उत्तर प्रदेश सरकार काम करने जा रही है। उसके पास चलाने के लिए 22 चीनी मिलें हैं, लेकिन उसमें से एक भी चीनी मिल नहीं चलायी जाती है।

18.00 hrs.

आजादी के बाद आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेल से छितौनी और बगहा जुड़ा। उत्तर बिहार सीधे दिल्ली से जुड़ गया, लेकिन आनंदनगर से लेकर गोंडा तक आमान परिवर्तन का काम अधूरा पड़ा हुआ है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Harsh Vardhanji, please take your seat. You can continue your speech when the House takes up this discussion next day.

SHRI HARSH VARDHAN : Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN : Some hon. Members are waiting to raise some submissions. I hope the House will agree for extending the time until we complete these submissions.

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.

MR. CHAIRMAN : Thank you. We will now take up 'Zero hour' submissions.

श्री महाबली सिंह (काराकाट): सभापति महोदय, बिहार राज्य के रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर जिले अत्यंत पिछड़े और नक्सल प्रभावित हैं। वहां शिक्षण संस्थानों की कमी के कारण अधिसंख्यक लोग निरक्षर और बेरोजगार हैं, जिसके चलते वहां आतंकवादी, नक्सलवादी, उग्रवादी गतिविधियों को बल मिल रहा है। हम सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वहां केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए इस सदन में कई बार चर्चा की गई। बार-बार चर्चा करने के बाद भी आज तक उन जनपदों में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकी। इसके चलते बिहार के पठारी इलाके, जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, गरीबी के कारण वे अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय की जो स्थापना की, उनमें गरीब लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में कई बार इस बारे में प्रश्न उठा कि रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जमुई नक्सल प्रभावित जिले हैं और उनमें एक भी केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना आज तक नहीं हो पाई है। इस कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब लोगों में बहुत असंतोष है। लोग नक्सल गतिविधियों से जुड़ते जा रहे हैं, इसका एक कारण शिक्षा का अभाव भी है। हम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि उन नक्सल प्रभावित जिलों में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए।

श्री मोहम्मद असरारुल हक़ (किशनगंज): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं आपके जरिए सरकार के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि बिहार की 728 किलोमीटर लम्बी खुली सीमा नेपाल से मिली हुई है। जिस तरह हाउस में पूर्वांचल और मिथलांचल का जिक्र हुआ, ऐसा ही एक इलाका सीमांचल का है। मैं बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल और मिथलांचल के जिस पिछड़ेपन का जिक्र किया गया है, उससे बहुत ज्यादा बुरी हालत सीमांचल की है। इसी सीमांचल का एक निर्वाचन क्षेत्र किशनगंज है, जिससे मैं चुनकर आया हूं। पूरा किशनगंज नेपाल की सरहद पर है। वहां गरीबी तो है ही, लेकिन तालीम की भी कमी है। लेकिन खुली हुई सरहद होने की वजह से बाहर से आना-जाना है, लोग नेपाल की तरफ से आ रहे हैं। कुछ दिनों से वहां व्यावसायिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ उस इलाके से घुसपैठ हो रही है और नशीले पदार्थों की आवाजाही भी हो रही है। इसी तरह अवैध हथियार, जाली करैंसी के आने का भी सिलसिला होता है। वहां एक तरफ कारोबार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ वह गरीब इलाका है। हम चाहते हैं कि यदि वहां कस्टम का बाकायदा कार्यालय बना दिया जाए तो वह तिजारत नियमित हो जाएगी और वहां के लोगों को फायदा पहुंचेगा। वहां जो गलत गतिविधियां चल रही हैं, उसके जरिए हम उन पर भी पाबंदी लगा सकेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि वहां कस्टम कार्यालय बनाया जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं पहले एक मिनट बोलकर फिर अपनी बात शुरू करूंगा। कभी-कभी हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण मामला होता है और उसे जब हम यहां उठाते हैं, तो उसे स्टेट मैटर कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। अगर हम अपनी बात यहां नहीं कहेंगे, तो कहां करेंगे?...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Do not go in that. Whatever point you want to raise, raise it briefly. आप संक्षिप्त में बोलिये। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैंने कल शून्य प्रहर में यह मामला उठाया था। जब सत्र शुरू हुआ था, तब भी मैंने जीरो ऑवर में यह मामला उठाया था। मैं सदन में कई बार यह मामला उठा चुका हूं कि पूरे देश में मिलावट हो रही है। हमारे क्षेत्र में एक ही परिवार के आठ लोग ड्राप्सी से मर गये हैं। अभी परसों 18 साल की एक लड़की पम्मी की मृत्यु हो गयी। उसका घर बिल्कुल जी टी रोड पर है। जब डेड बॉडी जा रही थी, तो उन्हें सड़क पार करनी थी। आपको याद होगा कि जब डेड बॉडी जाती है, तो दो-चार जगह मंजिल रखते हैं। मंजिल रखने में जीटी रोड थोड़ा जाम हो गया। उस परिवार के आठ लोगों की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। उस परिवार सहित अन्य तमाम लोग, जो उस शवयात्रा में शामिल थे, उन 72 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया।

सभापति महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा। अगर मैं इस बात को यहां नहीं रखूंगा, तो फिर कहां रखूंगा। इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि अगर ऐसे बेगुनाह लोगों, जिनके ऊपर त्रासदी गुजरी है, परिवार के लोग मरे हैं, उनको मुआवजा देने की जरूरत है। उन पर मरहम लगाने की जरूरत है। वहां पर और भी कई लोग बीमार हैं। हो सकता है कि एक-दो लोगों की और मौत हो जाये। मैंने कल मांग की थी कि एक डाक्टर वहां पर जाकर इलाज करे। उनको मुआवजा दिया जाये या उलटा उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाये। अगर शवयात्रा लेकर उसे दफनाने जा रहे हैं, तो उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों की गयी? मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं और सरकार से निवेदन करूंगा कि ड्राप्सी से जो मौतें हो रही हैं, उनकी जांच की जाये। उस परिवार को मुआवजा दिया जाये और उनके परिवार पर जो मुकदमे लगे हैं, उन्हें वापस लिया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि कोल इंडिया की सब्सिडियरी सैंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड और भारत कुकिंग कोल है। वहां वर्ष 1988-89 और 90 के दरम्यान कोल ट्रैंक रोड का निर्माण किया गया था, जो कोलियरीज को जोड़ने के लिए किया गया था। आज उसे लगभग 20 साल होने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर उसका कोई रख-रखाव नहीं है। वे उसे न तो

स्टेट गवर्नमैंट को हैंड ओवर कर रहे हैं और न ही और कुछ कर रहे हैं। वहां रोज एक्सीडैंट हो रहे हैं। अब तो वहां हैवी वाहन चलने स्टार्ट हो गये हैं, जिससे वहां बहुत बुरा हाल है। इसके साथ-साथ कालोनी की जो सड़क है, यह मेन रोड़ क्या बनायेंगे, भारत कुकिंग कोल की कालोनी की जितनी भी सड़कें हैं, उनकी स्थिति भी जर्जर है। सैंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड की कालोनी की जो सड़कें है, वे भी जर्जर हैं। उनको इसके लिए जो पैसा मिलता है, वह किस चीज मे बंदरबाट कर रहे हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ा विषय है।

सभापति महोदय, आपसे आग्रह है कि कोल ट्रैंक रोड का अविलंब जीर्णोद्धार किया जाये, ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान राजस्थान में पड़े सूखे की तरफ दिलाना चाहता हूं। राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें से 26 डिस्ट्रिक्ट्स में सूखा घोषित है। आप यह समझ सकते हैं कि 33 जिलों में से 26 जिलों में सूखा है, तो वहां पर सूखे की कैसी स्थिति होगी। वहां के किसान और पशुधन की स्थिति कैसी है, आप इससे समझ सकते हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नैशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कार्पोरेशन और भारत सरकार की एक स्कीम फसल बीमा है। नैशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कार्पोरेशन के खाते में कमर्शियल बैंक और सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक से आटोमेटिक प्रिमियम जमा हो जाता है। जमा होने के बाद जब क्लेम का भुगतान होता है, तो उसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। मान लीजिए वर्ष 2009 का क्लेम है और भुगतान 2010 में होगा तो उससे किसान को क्या फायदा होगा। मैं सदन के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कारपोरेशन की प्रक्रिया में सुधार करें। जब अकाल, सूखा पड़ा हुआ है, उस समय उसको क्लेम नहीं देंगे, तो कब देंगे। मैंने जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई गलत क्लेम ले सकता है। मैं समझ पाया हूं कि पांच प्रतिशत से ज्यादा कोई गलत क्लेम मिलेगा भी नहीं, फिर 95 प्रतिशत किसान तो ठीक हैं। अगर पांच प्रतिशत किसान ने गलत क्लेम ले भी लिया, तो आप अगले साल रिएडजस्टमेंट कर लीजिए। किसान को आप तकलीफ क्यों देते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कारपोरेशन की प्रक्रिया में सुधार हो। There is a gap between filing the insurance claim and payment of the insurance claim. Hence, this gap should be bridge immediately, and this is my request, through you, to the Government.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, यह कटु सत्य है कि देश की प्रांतीय सरकारों द्वारा राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त स्थान समय पर नहीं भरने के कारण तथा शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी लगाए जाने से शिक्षण व्यवस्था बहुत प्रभावित हो रही है तथा शिक्षा का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। यही कारण है कि अभिभावकों को राजकीय विद्यालय की बजाय अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कराने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। अभी भी बहुत से प्रांतों तथा नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित उत्तराखंड राज्य के विद्यालयों में वर्षों से अध्यापकों के हजारों पद रिक्त होने से शिक्षण व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है तथा राज्य के विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। इससे जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

मेरा सदन के माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से विनम्र आग्रह है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी व्यापक नीति बनाई जाए, जिससे सभी प्रदेशों के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त स्थान समय पर अवश्य भरे जाएं। इसके साथ ही शिक्षकों के शिक्षण कार्य से अतिरक्त अन्य कार्य न करवाने के संबंध में राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाए, ताकि बच्चों का भविष्य खराब न हो। धन्यवाद।

श्री प्रेमदास (इटावा): महोदय, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, फिर भी यहां बहुत बड़ा अंतर है। ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में अगर 2000 वोट हैं, तो विधानसभा की सूची में 1800 वोट हैं और इसके बाद लोकसभा की सूची में 1500 वोट हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह अंतर क्यों है? मेरी मांग है कि मतदाता सूची एक जैसी बनाई जाए।

मैं चाहता हूं कि चुनाव में पैसे का चलन बढ़ता जा रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ब्लाकों और जिला पंचायत अध्यक्ष सीधे तौर पर जनता से चुन कर आने चाहिए। अगर जनता से सीधा चुनाव होगा, तो अच्छे, भले और कर्मठ लोग चुन कर आएंगे।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN: The final Member to speak on the '*Zero Hour*' submission is Shri Jagdambika Pal.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri Jagdambika Pal is being called every day.

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): I am being called to make my submission for '*Zero Hour*' after eight days. … (*Interruptions*) मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके लिए केन्द्र सरकार स्वयं चिन्तित है। पिछले

दिनों जब स्वाइन फ्लू का प्रकोप और उसके वायरस इस मुल्क में आए तो तमाम एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन्स पर यह व्यवस्था की गयी, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात को कहा कि स्वाइन फ्लू अब नियंत्रण में है। लेकिन पिछले दिनों से लगातार देश की राजधानी दिल्ली के बारे में समाचार पत्रों में छप रहा है कि कल स्वाइन फ्लू, एच1एन1 के 181 पॉजिटव मरीज पाए गए। उसके एक दिन पहले 246 मरीज और उससे भी एक दिन पहले 175 मरीज उन अस्पतालों में गए। अब तक 38 लोग अब तक मर चुके हैं। कामनवेल्थ गेम्स दिल्ली में होने वाले हैं। वर्ल्ड हैल्थ आर्गनाइजेशन ने भी स्वाइन फ्लू के सेकण्ड फेज, उसके वायरस की भयावहता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। जो हमारा एनआईसीडी है, जो इस तरह के एपेडेमिक रोगों के बारे में केन्द्र सरकार के स्तर पर, केन्द्र सरकार के अधीन एक संस्थान है। उस राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने भी कहा है कि यह स्वाइन-फ्लू का दूसरा स्टेज है। जहां पर स्वाइन-फ्लू की फिर से गंभीरता बढ़ रही है, अभी माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आया है कि ठंड बढ़ने से स्वाइन-फ्लू का प्रकोप और बढ़ेगा। अभी आपने राजस्थान में भी पढ़ा होगा कि स्वाइन-फ्लू से 80 लोग मर चुके हैं। इसी तरह से हर राज्य में हो रहा है। दिल्ली की भी जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री माननीया किरण वालिया जी है और चाहे दिल्ली के इस विषय में जो इंचार्ज बनाए गये हैं, माननीय गुप्ता जी, उन्होंने भी कहा है कि इसकी स्क्रीनिंग के लिए जितने मरीज आ रहे हैं, लोगों को कठिनाई आ रही है और लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, जहां टैस्ट के लिए 3000 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसलिए इस टैस्ट के लिए, इस तरह की कुछ सरकारी व्यवस्था हो कि अगर गरीब लोगों को स्वाइन-फ्लू हो रहा है तो उनके टैस्ट की व्यवस्था, जो 8 सरकारी अस्पताल निर्धारित किये गये हैं, उनमें हो। जब तक उनके टैस्ट न हों, तब तक उनको टैमी-फ्लू का वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगा। मैं समझता हूं कि यह कोई राजनैतिक विषय नहीं है, यह जनजीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है और यह सत्ता या प्रतिपक्ष का प्रश्न नहीं है। आगे इसका कोई कुप्रभाव न पड़े और किस तरह से इसके बढ़ते हुए वायरस की भयावहता को रोक सकते हैं, उस दिशा में प्रयास करना, निश्चित तौर से बहुत ही आवश्यक है। इस सदन के माध्यम से, इस विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : Sir, I would like to associate myself with what Shri Jagdambika Pal has said.

MR. CHAIRMAN : Shri Meghwal is allowed to associate himself with what the hon. Member has said.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदय, मैं माननीय जगदम्बिका पाल जी के भाषण से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

MR. CHAIRMAN: I thank all the hon. Members. The House stands adjourned to meet again on Monday, December 14, 2009, at 11.00 a.m.

18.17 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 14, 2009/Agrahayana 23, 1931 (Saka).